पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW & P M

W ebite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 9 अंक 62 प्रति सोमवार इंदौर, 19 से 25 अक्टूबर 2015 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

वा.कर स्वं निर्धारण व डीम्ड का षड़यंत्र

जीएसटी बहुराष्ट्रीय कं. हितकारी- बर्बाद होंगे करोड़ों व्यवसायी

अमेरिका ग्रीस की तरह राज्य सरकारों और भारत सरकार भी होंगी दिवालिया, फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऋण की भीख मांगना

भारत की मोदी सरकार भी विश्व व्यापार संगठन की बहुराष्ट्रीय कं. के मोटे कमीशन के लालच में फंस करें जिस तरह वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने के लिए उतावली हुई जा रही है, उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कुल मिलाकर मुखेरा जन पार्टी को राष्ट्र हितों और उसकी जनता के भविष्य से कदापि मतलब नहीं, उसे तो अपने बहुराष्ट्रीय कं., देशी पूंजीपति मित्रों, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे सैकड़ों को करों की वसूली में लाखों करोड़ की छूट देकर, स्वयं हजारों करोड़ का कमीशन हजम कर 2 करोड़ से ज्यादा लघु, मध्यम वर्गीय व्यवसायियों को नष्ट कर, बाजार की प्रतियोगिता को नष्ट कर एकाधिकारी बहुराष्ट्रीय कं. को राष्ट्र की 125 करोड़ जनता से लूट का मार्ग प्रशस्त करना है।

गुजराती चाय बैचने वाले धूर्त मक्कार मोदी को तत्काल फायदा चाहिए, उसे बिलकुल मतलब नहीं कि उसकी किस नीति से राष्ट्र की जनता के भविष्य पर 5 से 50 वर्ष बाद क्या असर पड़ेगा, फिर जिस भाजपा की स्थापना के मुरली मनोहर जोशी जैसे विद्वानों को अपनी तानाशाही चलाने के लिए गर्त में धकेल कर मानव संसाधन मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी जिसे मंत्री की आंग्ल भाषा में शब्दांकन न आता हो, में बैठा दिया गया हो, जहां न अब कोई विद्वान मंत्री हो, उच्च स्तरीय सोचवाला अर्थशास्त्री हो, जो केवल महाजालसाज, कर चोर धूर्त, मक्कार जनता के घोर शोषणकारी पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने में ही महान समझ रहे हो। उसे न केवल विश्व

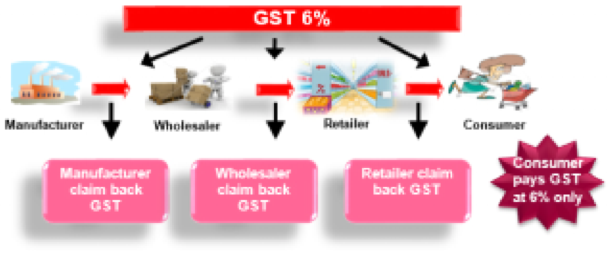

वरन भारत की जनता से क्या सरोकार, जबकि ग्रीस के आर्थिक संकट का ताजा उदाहरण इन दानवों ने देखा हैं कि वहां कैसे युरोपियन देशों और उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पहले कर्ज का मीठा विषैला रसपान कराया और बहुराष्ट्रीय ने अमेरिका जैसे और पिछले 10 वर्ष में इन्हीं पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय ने अमेरिका जैसे देश में मोदी का दौर दिखाकर भुगतान संकट उत्पन्न कर दिया। सन् 2008 में इसी भुगतान संकट के चलते अमेरिका के बड़े-बड़े बैंक दिवालिया हो गए यह बात दूसरी थी कि उसमें सबसे ज्यादा जो कि लाखों-करोड़ में था भारतीयों का काला धन डूबोकर हजम कर लिया गया और भारत को अर्थव्यवस्था पर न केवल इस मंदी का आंच भी नहीं आई और हमारी अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, हमारी बैंक सरकारी थीं जो जनता के 70 प्रश लेन-देन का माध्यम थी, हमारे सारे उद्योग, धंधे, व्यवसाय पूर्णतः चंद पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के चंगुल में नहीं थे, लघु उद्योग व्यवसायियों से न केवल स्वयं को वरन करोड़ों को रोजगार मिला हुआ था, उनसे सरकार कस्टम, एक्साइज विक्रय कर, आयकर के रूप में बराबर आय के स्त्रोत बने हुए थे, बेशक चीनी माल के आयात ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया, एक तरफ भारतीय उद्योग, धंधे और व्यवसाय चौपट हुए तो दूसरी तरफ 60-70 प्रतिशत आयात किए गए माल पर न केवल कस्टम, एक्साइज, नहीं मिला तो दूसरी तरफ आयात शुल्क, विक्रय कर और आयकर का भी नुकसान उठाना पड़ा, फिर चीन के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और आय का स्त्रोत था, जिससे वह अपनी न केवल सैन्य शक्ति बढ़ा रहा हैं, जबकि सरकार चाहे तो मात्र 1 वर्ष में चीन के आयात को पूर्णतः प्रतिबंधित कर उसकी कमर तोड़ सकती हैं और उसके विकल्प में अपने उद्योग धंधे विकसित कर लाखों को रोजगार दे सकती हैं। वैसे भी चीनी अर्थव्यवस्था अभी इसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकसित होने के कारण डगमगा रही है और उसका लाभ आसानी से हम ले सकते हैं। इसके लिए छोटी इकाइयां, उद्योग और उद्यमियों को करों में, बिजली, पानी और अन्य प्रकार के अनुदान देकर विकसित किया जा सकता है। मानसून सत्र में केंद्र की भाजपा सरकार जीएसटी नहीं लगा पाई हैं तो ये जालसाजों की फौज अब अध्यादेश के माध्यम से लागू करने का षड़यंत्र रच रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 10 पर)

सभी केन्द्र व राज्यों के सत्ताधीशों की गिद्ध निगाहें जमीनों पर

भूमाफिया और पूंजीपतियों की रखैल भाजपा, भू अधिनियम बदलने को बेताब

प्रम मोदी, मप्र का मुमं शिवराज व अन्य सभी मंत्री नाचते है भूमाफियाओं के इशारों पर अधिकांश बड़े समाचार पत्र मालिक स्वयं भूमाफिया या भूमाफियाओं के साथ

सत्ता में आते ही हर सत्ताधीश की निगाहें जमीनों पर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए लगी रहती हैं। चाहे वो भारत के केन्द्र सरकार के मंत्री हो या राज्य सरकारें के मंत्री, अधिकारियों के साथ ही हर पूंजीपति की , उद्योगपति की निगाहें भी जमीन हथियाने पर लगी रहती है। केन्द्र व राज्यों में सत्ता चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, सपा, बसपा, जदयू, डीएमके या अन्य किसी दल की, इतिहास और वर्तमान देख लीजिए, न केवल मंत्री, सांसद, विधायकों, पार्षदों और सरपंचों से लेकर आईएएस, आईपीएस, आईएसएस से लेकर हर अधिकारी, बाबु, चपरासी तक, प्र.मं. मोदी ने भी आते ही किसानों की जमीनें हड़पने के लिए पुराने कानूनों को समाप्त कर नए कानून लाने की कोशिश की, संसद में भारी विरोध हुआ तो अध्यादेश लाने की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तो तो भारी मन से तत्काल में तो इरादा बदलने और कानून न बदलने की घोषणा कर दी, इसके विपरीत अपने उद्योगपति, पूंजीपति मित्रों अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, भारती, से लेकर बहुराष्ट्रीय कं. यथा इंडियन टोबेको कं., हिन्दुस्तान लीवर बनाम युनिलीवर, जो भारतीय बाजारों में चिप्स बेचने से लेकर बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में हिस्सेदार हैं।

(शेष पृष्ठ 11 पर)

सारी मोबाइल सेवा प्रदात्ता कंपनी हजारों करोड़ का डालती है डाका

कॉल ड्रापिंग उपभोक्ता को लूटने का नियोजित षड़यंत्र

भारत में वर्तमान में लगभग 100 करोड़ सिम कार्य कर रही है। सभी सेवा प्रदात्ता कं. यथा शास. बीएसएनएल, निजी में अंबानी की रिलायंस, भारती, टाटा, बिरला की आइडिया, वोडाफोन, विडियोकॉन ज जैसी 10-12 कं. जो मोबाइल सेवाएं प्रदान करती है। प्रतिदिन ग्राहकों से औसतन रु. 20 से 50 तक लूटती है। जबकि लूट में कॉलर टोन, एसएमएस, डाटा पेक के साथ ही जानबूझकर सुंदरियों से बात कीजिए,

साफ्टवेयर में ही व्यवस्था की गई है ताकि जनता को लूटने के साथ ही, अन्य तरीकों से बचत की जा सके

भविष्यफल, समाचार, शेयर्स जैसी अनेकों सेवाओं के नाम पर भी रुपए 3 से 5 प्रति मिनट काटकर अरबों रुपए की लूट उपभोक्ताओं के साथ भ्रमित करके ही कर दी जाती है। अधिकांश कं. के शिकायती काल सेंटर भी मुफ्त सेवा देने के नाम पर तबियत से पैसा लूटते हैं। इस प्रकार ये माना जाए कि रु. 20 प्रतिदिन के 20×100 करोड़ अर्थात रुपए 2000 करोड़ प्रतिदिन की इस लूट को रोकने की व्यवस्था सरकार की दूरसंचार नियामक आयोग के पास कोई व्यवस्था तो दूर वह इस लूट की शिकायत भी सुनना या लेना तक नहीं चाहता।

(शेष पृष्ठ 11 पर)

भारत का दृष्य-श्रव्य और मुद्रित प्रसार माध्यम है, धूर्तों के अड्डे

आतंकी याकूब जिसने 257 निर्दोषों को अकाल मौत की नींद सुलाया, उनका नायक वैश्या से बदत्तर सनी लिओनी उनकी नायिका यथार्थ कल्याणकारी भविष्य से दूर, निरर्थक, तथ्यों पर जनता का ध्यान लगाना

देश के दिशाहीन और धूर्त मीडिया में नहीं भविष्य परक दृष्टि

भारत का दृष्य श्रव्य प्रसार माध्यम, ज्ञानहीन, बुद्धिहीन और पूर्णतः दिशाहीन होने के साथ, निहायत बत्तमीज, पूर्णतः बिकाऊ, निहायत छिछोरों का गिरोह बन गया है, किसी भी दृष्य-श्रव्य समाचार शृंखलाओं में कोई भी बहुत बड़ा बुद्धिजीवी, समाज सुधारक, भविष्य परक दृष्टि का ज्ञानी-ध्यानी, संचालक, निर्देशक तो दूर कार्यक्रम प्रस्तोता तक नहीं, किसी भी विषय की पीढ़ी को दिशा-निर्देश देने वाला भविष्य के नियोजन में, वर्तमान की अधारशिला को मजबूती देने वाला कोई भी चिंतक दूर-दूर तक किसी भी समाचार शृंखला व केवल भारत की वरन् विश्व की दृष्य-शृव्य समाचार शृंखला में नहीं देखा गया, इकस दुष्परिणाम पूरी दुनिया के हर देश के न केवल प्रशासन वरन जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, कोई देश दिवालिया हो रहा है, तो अमेरिका और चीन देश आर्थिक मंदी की चपेट में आकर जनता के हितों में कटौती करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वहां कोई नीति नियंता, ज्ञानी, ध्यानी, विषय विशेषज्ञ, समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री नहीं है, वहां प्रसार माध्यमों में केवल अर्थलोलुप, अपने कुकर्मों को छुपाने, सरकार प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने को बचाने, धन कमाने, अवैध जमीनों पर कब्जे कर कॉलोनी काटने वाले अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं का कब्जा है, जो सारे दिन किसी भी औचित्यहीन तथ्य पर जनता को भ्रमित कर, सनसनी फैलाने वाले समाचार तथ्य प्रस्तुत करते रहते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि न केवल दृष्य-श्रव्य के साथ मुद्रित प्रचार-प्रसार माध्यमों के संचालक से लेकर पत्रकारों तक के मस्तिष्क में जनहित की भावना सर्वोपरि होना चाहिए, भूत क्या था, वर्तमान में क्या है? परंतु भविष्य में सर्वजन सुखाय- सर्वजन सुखाय क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान केन्द्रित कर, समाचार की प्रस्तुति न केवल दृष्य व श्रव्य माध्यमों के साथ मुद्रित माध्यमों में भी होना चाहिए, जनहित, समाज राष्ट्रहित के साथ, (शेष पृष्ठ 10 पर)

संपादकीय

हर शाख पर उल्लू, अंजामे गुलिस्तां

कुंठित मानव ज्वालामुखियों से ज्यादा घातक

पूरे विश्व में मानव, समाज, राष्ट्र जो भी भारी पड़ा अपने से कमजोर को शोषित करने लगा। जिसने जिस पर विश्वास किया उसने उसके साथ विश्वासघात किया। जनता पूरी दुनिया के लोकतंत्र में जिस पर विश्वास कर नेता चुनती हैं, वह उस नेता जनता के विश्वास का सम्मान कर, जनता के संपूर्ण सुखद भविष्य की कामना की अपेक्षा जनता, के विश्वास को उसकी मजबूरी समझ, सत्ता को बाप की जागीर समझ उसे सत्ता में मिले अधिकारियों और शक्तियों को हथियार बनाकर, जनता पर ही सबसे पहले उपयोग करता है, जनता से लूट, जनता का शोषण कर, उसके धन से दिन में दस जोड़ी कपड़े बदलता हैं। जनता महंगाई, हर कदम पर सरकारी लूट, पूंजीपतियों की लूट से भले ही त्राहि-त्राहि कर रही हो, पर स्वयं को थोड़ी सी गर्मी लगने, अपने कुकर्मों की जालसाजियों की आलोचना होने पर मुंह छुपाकर जनधन का दुरुपयोग करते हुए विदेश यात्राओं पर घूमने निकल जाता है। अपनी कमाई के कमीशन, के लिए पूंजीपतियों के हित साधन और श्रमिकों के चहुंदिशी शोषण के लिए पुराने कानूनों को समाप्त कर, नए कानून बना, श्रम के घंटे बढ़ा देता हैं। न्यूनतम जीवन यापन की मजदूरी की दरें कम कर देता हैं। सबको रोजगार का वादा करने के नाम पर लाखों सरकारी पदों को समाप्त कर देता है। छोटे व्यापारियों, छोटे उद्योगों को अपने मोटा कमीशन देने वाले पूंजीपती मित्रों के लिए समाप्त करने कभी जीएसटी लगाने की बात करता है, तो किसानों से जमीन हड़पने के लिए भूमि सुधार कानून लगाने की पहल करता है, छल-कपट से सत्ता हथियाकर चारों तरफ त्राहि-त्राहि करने के लिए जनता को मजबूर कर देता है।

संपूर्ण पृथ्वी के जिस हिस्से में देवीयों-देवताओं ने जन्म लिया हो वहां ज्ञान-विज्ञान गणित अर्थशास्त्र से लेकर वेदों, उपनिषदों, संहिताओं की रचना करने वाले ऋषि मुनियों की जन्म स्थली आखिर क्यों सहस्त्रों वर्षो से गुलामी का देश झेलती रही, इसके पीछे अगर इतिहास में जाएं तो मालूम पड़ता है कि जिस धरती पर देवताओं का जन्म हुआ था, वहां दानवों का भी जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी मौज-मस्ती के लिए जनता का घोर शोषण किया जिससे जनता कुंठित हुई और कुंठित मस्तिष्कों की कुंठाओं ज्वालामुखियों से ज्यादा घातक होती है, उसी की देन था कि विदेशी आक्रमणकारियों ने आसानी से जन सहयोग के चलते इस राष्ट्र पर राज्य किया, शोषणकारी राजसत्ताओं को उखाड़ फेंका।

पूंजीवाद घोर शोषणकारी है, वह येन-केन प्रकरेण अपने लाभ के लिए सत्ताधीशों को अपनी जेब में डाल, अपनी लूट, शोषण, डकैती डालने की प्रवृत्तियों को बचाने कानून बनवाते हैं, प्राकृतिक मानव निर्मित साधनों पर कब्जे जमाते हैं। फिर मनमाने तरीके से लूट का तांडव करते हैं। शिक्षा, बिजली, सड़कें, दूरसंचार, परिवहन, यात्रा आदि सत्ताधीशों ने अपने मोटे कमीशन को हड़पने, पूंजीपतियों को लूटने के लिए छोड़ दिया, जिन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतगर्त सरकार ने आधारभूत सेवाएं मानकर अपने अधीन रखा था, पर पूंजीवादी राक्षसों के हाथों में जाने पर जनता को लूटने, शोषण करने के लिए नए नियमों और कानूनों को बनाकर लूट तो कई गुना कर रहे हैं। पर सेवाएं निम्न स्तर की देकर जनता के मस्तिष्क को कुंठित कर रहे हैं। जिसका जनता न तो सत्ताधीशों के कानूनों के कारण यदि जवाब नहीं दे पा रही है तो पूंजीपतियों, सत्ताधीशों को यह नहीं सोचना चाहिए कि जनता हमारा क्या कर लेगी, नियम-कानून, सत्ताधीश सब हमारी जेब में हैं, तो ये भ्रम न केवल पूंजीपतियों, सत्ताधीशों को किस रूप में भारी पड़ेगा यह समय परिभाषित करेगा, परंतु हर सरकारी विभाग में बैठे नौकरशाहों से पूंजीपतियों तक सब जनता के इस आक्रोश और कुंठा का शांत रहकर भी जनता के मस्तिष्क में जो ज्वालामुखी बन रहा है, वह किस रूप में फूटेगा, यह भविष्य के गर्भ में हैं।

नर्मदा भ्रष्टाचार घाटी विकास प्राधिकरण

भ्रष्टों, जालसाजों, अध्यक्ष से लेकर उपयंत्रीयों तक डकैतों का अड्डा

महाभ्रष्ट, निकम्में, जालसाज राकेश साहनी को बना दिया अध्यक्ष, सेवा निवृत्ति के 10 वर्ष बाद, बाकी पाठक अंदाज लगा सकते हैं या समय माया के पूर्व के प्रकाशन पढ़ सकते हैं

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज को भ्रष्ट गणों से भारी स्नेह है, उसको पूरे मंत्रिमंडल में सभी मंत्री कोई भूमाफिया, खदान माफिया, जंगल माफिया, कर चोरी करने और करवाने वाला वित्त मंत्री जैसे पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हालात यह है कि प्रदेश के शासकीय कोष के जब कौओ उड़ने की नौबत आ जाती है, तो बाजार से कर्ज उठाकर, कांग्रेस की तरह घी पीने के आदी हो चुके है। इन सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के भ्रष्ट अधिकारियों जिसमें इकबाल सिंग बैस, एसके मिश्रा, विवेक अग्रवाल जैसे महाधूर्त जालसाजों को बैठाया ही इसलिए गया है कि वो प्रदेश और उसकी उन्नति की आड़ में केवल लूट का तांडव करें और आंच भी ना आए इसलिए प्रदेश के हर मंत्रालय और विभाग में चुन-चुन कर भ्रष्टों, जालसाजों को चाहे, उन्हें सेवानिवृत्ती पाए 10 वर्ष ही क्यों न गुजर गए हो, कम से कम मुख्य सचिवों के सेवा निवृत्त डकैत राकेश साहनी, जिसने इंदिरा सागर बांध में डूब प्रभावितों की अरबों रुपए की क्षतिपूर्ति राशि अरबों में डकारी गई। उसके खलनायक रह चुका था स्वाभाविक था उसका हिस्सा मुख्यमंत्री को भी पहुंचाया गया। ऐसे सैकड़ों कृत्यों में भारी भ्रष्टाचार से जो धन कमाया गया, जिसमें नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में तो यथार्थ में भ्रष्टाचार की घाटी है, जहां हर कदम, भारी जालसाजियां, सं.कं. 1 से लेकर सं.क.32 बड़वाह तक में 1980 से लेकर अभी तक की जा रही है। जहां फोटोकॉपी के ही बिल लाखों में पूर्ण फर्जी होने के बाद भी भुगतान किए गए। जो संभाग 1 नागोद से लेकर 32 बड़वाह तक के 1985 से लेकर 2015 तक 30 वर्षों में अरबों रुपए में भुगतान कर पैसा हजम किया गया। कुछ संभागों के फर्जी बिलों के भुगतान के दिनांक क्रमांक रोकड़ के व्हाउचर नंबर तक समय माया ने सन् 2004 से लेकर 2015 तक अनेकों अंकों में छापे, जिसका पैसा प्रमुख अभियंता, उपाध्यक्ष तक पहुंचा, यहां सदस्य अभियांत्रिकीय है।

सेवानिवृत्त राकेश साहनी तो मुख्य सचिव से सेवा निवृत्ति के बाद मोटा धन देकर मप्र ऊर्जा नियामक आयोग के सदस्य बनाए गए थे, वहां का कार्यकाल पूरा करने के बाद आयोग के नियमों के विपरित मोटा धन खर्च कर पुराने रिश्तों का दबाव बनाकर, भ्रष्टाचार की घाटी के अध्यक्ष पद हथियाने में सफल हो गए, वैसे इनके विरुद्ध जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी है।

पूरे भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में ऊपर से लेकर नीचे तक अर्थात अध्यक्ष राकेश साहनी, उपाध्यक्ष रजनीश वैश, सदस्य अभियांत्रिकीय, शिवहरे, सदस्य पर्यावरण व वन एमपी सिंह, सदस्य वित्त सुधीर पंवार, आयुक्त श्रीमती रेणुपंत पुर्नवास और संचालक प्रकाश बागड़े सभी मिलकर चारों तरफ भ्रष्टाचार कर लूट-पाट में लगे हैं। अब उनके सरंक्षण दावा अध्यक्ष राकेश साहनी के आ जाने से सोने से सुहागा हो गया।सचिव बने बीपीएस परिहार जिसे बार-बार समय वृद्धि देकर मात्र इसीलिए बैठाया गया है कि वो आसानी से अपना हिस्सा डकारकर हर उल्टे-सीधे कार्य को हस्ताक्षर करते रहे। सब अपने-अपने हिस्से का भ्रष्टाचार कर पैसा डकारते रहे। इंदिरा सागर बांध की नींव 20 मी. खोदी जाकर 20 मी. से उठाया जाना चाहिए था, जिसे मात्र 10 मी. से बनाकर 10 मी. का जो प्रावकलन गया था पैसा उसके हिसाब से हजम किया गया अब जब बांध की नींव चटकने और उखड़ने लगी तो फिर रु. 285 करोड़ का बजट स्वीकृत कर उसकी मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया गया, आखिर नींव चटकने और उखड़ने की जांच क्यों नहीं की या करवाई जाती, यह ठोस तथ्य भी मुख्य अभियंता ने ही श्री अजमेरा को बताए थे, दूसरी ओर यही भ्रष्टाचार ओंकारेश्वर बांध में भी किया गया है जिसका प्राक्कलन में नीवं 12 मी. थी, जो कि मात्र 6 मी. अर्थात लगभग 18 फुट ही डाली गई है, इसकी जांच भी किसी अभियांत्रिकीय के विशेषज्ञों से करवाई जानी चाहिए।

सन् 2008 नवम्बर में रु. 2300 करोड़ के जो ठेके हुए थे उसमें 10 प्रश मशीनरी अग्रिम और 5 प्रश कार्यशील पूंजी अग्रिम दिया गया था। अधिकांश कार्य जो बरगी बांध की नहरों और इंदिरा सागर बांध की नहरों के लिए दिया गया था, सब लेकर ठेकेदार गायब हो गए। उस पैसे की वसूली और कार्यों की जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए, कितने हरामखोर इंजिनियरों की जांच कर निलंबित किया गया, फिर इंदिरा सागर की नहर का पानी भले ही 200 किमी से आगे बड़वानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, परंतु कितनी माइनर नहरें और कितनी डिस्ट्रीब्यूटरी अर्थात वितरण नहरें सीधा खेतों का पानी पहुंचा पाई है। जहां से नहरे निकली है अधिकांश किसानों ने रास्ते में अपने पंपों से पानी खींचकर उपयोग किया है, यहां भी कागजी दावे बड़े-बड़े किए जाते हो, परंतु स्थितियां इसके विपरीत है, जबकि अरबों रुपए की बर्बादी की जा चुकी है।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक में बिछाए गए पाइप जो कि 2 मी. होने चाहिए थे, मात्र 1.80 मी. परिधि के होने के उपरांत भी 2 मी. का भुगतान किया गया। ऑडिट आपत्ति आने पर भी भुगतान करने वाले तत्कालीन इंजिनियर्स सबनानी से अभी तक नहीं पूछा गया, दूसरी ओर रु. 396 करोड़ की इस योजना जिसमें रु. 450 करोड़ खर्च किया गया, पानी क्षिप्रा पुल देवास तक भी नहीं पहुंचा, जिसका प्रचार-प्रसार और उपलब्धि का प्रचार इंदौर, भोपाल से लेकर दिल्ली तक बड़े जोर-शोर से किया गया। अब अरबों रुपए डकारने के लिए नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना रु. 2300 करोड़ जिसमें अभी सर्वे कार्य चल रहा है। 10 प्रतिशत मशीनरी और 5 प्रश कार्यशील पूंजी अग्रिम निविदा खोलने के साथ ही दे दिया गया था, स्वाभाविक है भ्रष्ट का.यं. जेके सावला, अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता से लेकर उपाध्यक्ष, मंत्री और मुख्यमंत्री तक रुपए 270 करोड़ के अग्रिम में बंदरबांट हो गई क्योंकि निविदा 10 प्रश से ज्यादा नीचे में गई, अब परियोजना पूरी हो न हो। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे का.यं. मीना सं.क्र. 25 व 28 दोनों का प्रभार संभाल रहे हैं। मीना ने पुनासा उदवहन परियोजना में भारी भ्रष्टाचार किया।

विभाग के भ्रष्टों ने उसे 15 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ कर रखा है। वही हाल का.यं. उइके जो पिछले 15 वर्षों से सं.क्र. 30 मनावर में रहकर दोनों हाथों से वसूली कर तृतीय चरण ओंकारेश्वर नहरों का कार्य देख रहे हैं। पर अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी 1 इंच खेत नहीं सींच पाए बेशक बदले में उपयंत्रीयों से लेकर सहा. यंत्रियों, स्वयं, अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता के साथ सदस्य अभियांत्रिकीय, उपाध्यक्ष अपनी जेबों की खूब सिंचाई की।

अधीक्षण यंत्री से अजनारे को पदोन्नत कर मुख्य अभियंता स्थाई कर इंदौर में ही पदस्थ कर दिया गया है, इन्हीं के संरक्षण में ओंकारेश्वर दायी-बाई नहरों का कार्य 3 गुनी अवधि में भी पूरा नहीं किया जा सका है। साथ ही महंगाई का भुगतान भी हर वर्ष विभागीय कमीयां बताकर ठेकेदारों को किया गया, जबकि दाई-बाई नहरों में पूरा कार्य टर्न की आधार पर दिया गया था, न तो वर्षों बाद ठेकेदारों को हटाया गया और न ही किसी भी विभागीय

जांच की गई।

सूचना के अधिकार में संभाग क्रमांक 32 में 05/05/15 को पैसे जमा करवाने के बाद भी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। बड़वाह में चक्कर लगाने के बाद जब भी गए तो हरामखोर और जालसाजों की फौज बहाने बनाकर टरका देती है। संभाग क्रमांक 21 में आवेदन देने के बाद जब भी अनियमितता के लिए अपील की गई तो अ.यं. बेरिया ने सुनवाई के लिए हर पत्र में चालबाजी की कमी पत्र सुनवाई के दिन शाम को मिला तो कभी सुनवाई अमावस और पूनम को रखी गई ताकि भीड़-भाड़ में फंसकर आवेदक उलझ गए क्योंकि अमावस-पूर्णिमा के दिन बड़वाह से लेकर खेड़ी घाट तक सुबह से वाहन गुत्थमगुत्था होते रहते है। इस प्रकार सुनवाई अटकाकर रखी है।

इंदिरा सागर नहरों के हर संभाग में हर महीने फोटोकॉपी व अन्य फर्जी कार्यों के फर्जी बिलों के भुगतान के सबंध में समयमाया ने 21 नंबर व अन्य संभागों के बारे में छापा था। अभी तक मुख्यालय भोपाल में बैठे धूर्तो ने कोई जांच नहीं बिठाई है। का.यं. सं.क्र. 21 पूर्व के सीएल आरध के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के अनेकों शिकायतों के बाद पदोन्नत कर दिए गए हैं। बेशक हर कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुआ। नर्मदा घाटी पुर्नवास आयुक्त में लाखों रुपए प्रतिमाह का छोटे-छोटे अधिकारियों को अपात्र होने पर भी बड़ी-बड़ी गाड़ियों के किराए का भारी भुगतान किया जा रहा है। जो टैक्सीयां किराए पर रुपए 18500 प्रतिमाह में 1000 किमी पेट्रोल-डीजल के साथ किराए पर मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजना में ली गई है। नीचे आयुक्त कार्यालय में वहीं गाड़ियां रुपए 22500 प्रतिमाह के किराए पर पेट्रोल-डीजल अलग से भुगतान पर ली गई है। हर पुर्नवास में जमीनों के मुआवजे और प्लाटों के आवंटन में भारी भ्रष्टाचार और जालसाजियों के लिए कुख्यात रहा।

केग के लेखाधिकारियों से राज्य सरकारों को परहेज- ताकि भ्रष्टाचार कर सके

जिला स्तरीय हर विभाग में हो केग का लेखाधिकारी

वर्तमान में मात्र कार्य विभागों में, उन्हें भी धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है

भारत के महानियंत्रक, अंकेक्षक, जिसे राष्ट्रीय और राज्यों के शासकीय विभागों के जनधन के लेखों के अंकेक्षण की जिम्मेदारी है, और पिछले कुछ वर्षों में उनके कार्यों की सराहना भी हुई है, और उनके विभाग द्वारा ही लाखों करोड़ के घोटालों की जानकारियां भी सामने लाई गई हैं। उनके विभाग की हर राज्य में स्वतंत्र शखा हैं, जो राज्यों के लेखों और वित्तीय अनियमितताओं की जानकारियां राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को भेजती हैं। जिससे राज्य सरकार के विभागों और राज्य के महाआरक्षक में और विभागीय,संचालको, आयुक्तों, प्रमुख अभियंताओं में हमेशा टकराव होता रहता है, स्वाभाविक है कि वहां हड़कंप मच जाता है, चूंकि वैधानिक आवश्यकता है इसलिए भ्रष्टाचार के दस्तावेजों को गायबकर केवल वे ही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। जिनमें कम से कम गैरकानूनी कार्य हो, जबकि अंकेक्षण का ये समूह भी न केवल भारी भ्रष्ट, वसूलीबाज और जालसाज भी होता है। जो स्वयं मोटा धन हजमकर, जो प्रश्नावली तैयार करता है, उसमें आवभगत खाने-पीने के साथ मोटा धन ऐंठकर, छोटे-छोटे न फंसने वाले नोट तैयार कर जवाब मांगता हैं, लेन-देन की संतुष्टि पर अपनी खानापूर्ति कर चल देता है।

इसके साथ ही राज्यों के महालेखाकार कार्यालय द्वारा शासन के कार्य विभागों तथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकीय, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आदि में संभागीय कार्यालयों में अपने नियमित संभागीय लेखाधिकारियों की भी नियुक्ति करता है, जो कि कार्यपालन यंत्री की दिशा निर्देश लेखों, बिलों के भुगतान और वैधानिकता के अनुसार बताकर नाप-पुस्तिका के आंकलन, निविदाओं उसकी प्रक्रिया, रोकड़ बही आदि को भी देखकर करता है, परंतु केवल कागजी कार्रवाई तक ही उसका कार्य सीमित होता है, यथार्थ में केन्द्र व राज्य शासन ऐसे संभागीय लेखाकारों के भ्रष्टाचार रोकने, जन-धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अंकेक्षण जो कार्य स्थल पर जाकर करें, बिना कोई दिशा-निर्देश कार्यवाहक को दिए सीधे कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता को सूचित करें, ताकि कार्य विभागों में हो रहे भारी भ्रष्टाचार को रोका जा सके, वर्तमान हालात इसके विपरीत ये हैं, कि कार्य विभागों में संभागीय कार्यालयों में हर विभाग में मप्र महालेखाकार पर्याप्त सं. लेखाकारों को भी नहीं भेज पा रहा, फिर राज्य शासन में बैठे भ्रष्ट, जालसाज, प्रधान सचिव, सचिव प्रमुख अभियंता भी नहीं चाहते कि मप्र महालेखाकार के ये संभागीय लेखाधिकारी संभागों में नियुक्त किए जाए, जो उनकी लूट-पाट, भ्रष्टाचार और जालसाजियों को रोके, वैसे दूध का धुला न तो संभागीय अधिकारी होता है, न संभागीय कार्यपालन यंत्री, वो फर्जीवाड़ें में रोक-टोक न हो, इसेक लिए वो इस सं. लेखाधिकारी को भी हर बिल पर 1 से 2 प्रश्न बांध देता है, फिर भी संभागीय लेखाधिकारी जो होशियार है, वो नियम कानूनों की कागजी आवश्यकताओं और कार्रवाइयां अवश्य पूरी करवाता है, परंतु धूर्त कार्यपालन यंत्री जो सभी कार्य विभागों के निर्माण और रखरखाव, मरम्मत आदि के फर्जी, गड़बड़ वाले मामलों को इस सं. ले.अ. के पास भेजते ही नहीं, सीधे ही डीए की टिप्पणी, कार्रवाई को संपन्न कर डालते हैं। दूसरी ओर सभी कार्य विभागों यथा लो. स्वा. यां. के प्र.सं. सचिव, प्रमुख अभियंता ने इन्हें संधारण और नियमित खंडों की पदस्थापना के यथावत रखा, परंतु यांत्रिकीय और विद्युत खंडों से नियुक्तियां और पद ही समाप्त कर दिए वही हाल जल निगमों में भी किया वहां के संभागों में भी इनकी पदस्थापना ही नहीं है।

वही हाल लोकनिर्माण विभाग में भी किया गया जिसकी नई खुली शाखा परियोजना क्रियान्वयन इकाई में मप्र महाअंकेक्षण कार्यालय के लेखाधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार के कोष एवं लेखा के लेखाधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जिन्हें कार्य विभागों की अ,ब,स,द भी नहीं आती, जिससे खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके बारे मे 'समय माया ने जुलाई के अंक में छापा था कि कैसे एमटीएच कंपाउंड में बनने वाले भवन करोड़ों रुपए के धन की बंदरबांट की गई, फिर लोकनिर्माण विभाग में चल रहे सड़क डकैती विकास निगम में भी संभागीय कार्यालयों में भी एमपीएजी के लेखाधिकारों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके संबंध में मप्र सड़क डकैती विकास निगम के सं.क्रं. 2 के बारे में छापा था कि किस प्रकार आईटी पार्क में रु. 2 लाख के छोटे-छोटे काम बड़े काम को तोड़कर करवाए गए, यह लूटमार और पैसा हजम करने का तरीका पुराना और सबसे प्रचलित हैं, चूंकि वहां पर डीए की पदस्थापना ही नहीं है, इसलिए कोई रोकने टोकने वाल नहीं है, और नियम कानूनों की खुले में धज्जियां उड़ाई जा रही। वही हाल नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के संभागों, मंडल कार्यालयों, मुख्य अभियंता कार्यालय में भी किसी में भी एमपीएजी कोई लेखाधिकारी नहीं है, यहां पर भी कार्य विभागों के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वरन् अरबों रुपए के भुगतान भी हर वर्ष किए जा रहे हैं। 32 नंबर संभाग में भी टर्न की प्रोजेक्ट दिए गए, इसके विपरीत महंगाई का भुगतान भी न केवल 32,20,30 क्रमांक के संभागों में भी किया गया, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का हर संभाग में अधिक भुगतान करना पड़ा और परियोजनाएं भी वर्षों लंबित की गई, सनावद के 21 नंबर संभाग में तो 10 वर्षों से अरबों रुपए के फर्जी भुगतान किए गए, यहां पर 2000 से 2012 एक ही कार्यपालन यंत्री पदस्थ रहा, एमपीएजी का लेखाधिकारी न होने से नघा, विप्रा में जबलपुर, मंडला, सतना, कटनी, नागोद से लेकर भोपाल-इंदौर के 23 नंबर, 32, 20, 8, 9, 10, 15, 20, 21, 16, 30, 12, 19, 18, 24, 25, 27, 13 आदि में भारी लूट और भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, वैसे भी कोशिश की जाती है कि एमपीएजी का सं.ले. अधिकारी पदस्थ ही न हो, अगर पदस्थ हो ही जाए तो उस पर परेशान करने का आरोप लगाकर भगवा दो, बेशक उससे कानूनों का पालन करने और भ्रष्टाचार रोकने, न होने देने के कारण इन विभागीय कर्मचारी, अभियंता बोझ मानते हैं। इसके विपरीत यदि सभा लेखाधिकारी भी यदि भ्रष्ट और खुलकर वसूली करने और आंख भींचकर हस्ताक्षर करने वाला हुआ तो कम परेशानी महसूस करते हैं। मप्र को ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा विभाग में तो जिला पंचायतों का कार्य ही होता है, यहां पर भी डीए की पदस्थापना है, पर न होने पर मु.का.अ.जिला पंचायत, तक को राहत महसूस होती है, एमपीएजी के पास भी स्टाफ की कमी के कारण से मप्र के 51 जिलों 52 से ज्यादा संभागों में अधिकांश खाली है। जहां पर डीए की पदस्थापना होने के बाद भी अधिकारी नहीं है, इसलिए यहां पर भ्रष्टाचार जो केन्द्र शासन और राज्य शासन का धन ग्रामीण विकास के लिए आता है, खुलकर भ्रष्टाचार किया जाता है, 25 से 80 प्रश कार्य गुणवत्ताहीन होने के साथ ही कागजों पर ही संपन्न कर दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रदेश में अरबों और देश में हजारों करोड़ के धन को केवल कागजों पर दिखाकर हजमकर लिया जाता है, वहां पर भी नियमित सं. लेखाधिकारी की नियुक्ति हर हाल में संभाग में की जानी चाहिए।

यथार्थ में होना यह चाहिए कि शासन के न केवल कार्य विभागों वरन् राजस्व कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, वन, पुलिस, जेल, उद्यानिकी, न्याय ग्राम एवं नगर निवेश से लेकर नगर निगमों पालिकाओं, विकास प्राधिकरणों के साथ ही राज्य सरकार के हर विभाग में एमपीएजी का नियमित लेखाधिकारी पदस्थ होना चाहिए। विभागीय अंकेक्षक, बाबू, अंकेक्षण क्रय, वसूली में ज्यादा संलिप्त पाया जाता है, राज्य सरकार के कोषालय के वित्तीय अधिकारी जो कि मप्र वाणिज्यकर, आबकारी, खनन, राजस्व आदि में होते हैं। सो औपचारिकताएं भी पूरी करने में सक्षम नहीं होते, न ही नियम कानूनों के ज्ञानकार, न सख्ती से पालन करवा सकने की क्षमतावान इसलिए राज्य सरकार के हर विभाग में खुलकर लूटपाट और भ्रष्टाचार होता है।

वर्तमान और भविष्य में गुणवत्ता पूर्ण कार्य, जनधन का यथार्थ सदुपयोग के लिए आवश्यक यह भी है कि अंकेक्षण केवल कागजी खानापूर्ति और नियमों का पालन ही न करवाएं वरन् तकनीकी अंकेक्षण, गुणवत्ता और उसका वास्तविक मैदानी सत्यापन कर ही भुगतान सुनिश्चित करें।

वास्तविकता में केंद्र सरकार के अंकेक्षण विभाग के इन सं. लेखा अधिकारियों को राज्य शासन के सभी विभागों के वित्तीय नियमन और भुगतान का स्वतंत्र रूप से प्रभारी और जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, इससे भ्रष्टाचार और धन की बर्बादी रोकी जा सकेगी और राज्य सरकार के अधिकारी, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, कृषि वैज्ञानिक, कार्यक्रम अधिकारी, शिक्षा अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी, वन, पुलिस, न्यायालय, आबकारी, वाणिज्यकर आदि में वित्तीय भुगतानों, दस्तावेजों के नियम्मन आदि का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। इसके विपरीत संभागीय लेखाधिकारियों के साथ केन्द्र के अंकेक्षण समूह राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से लेकर प्रधान सचिवों, सचिवों, विभाग प्रमुख, जिला प्रमुखों से लेकर हर विभाग के बाबुओं की आंख किरकिरी होता है जो इनकी लापरवाहियों, भ्रष्टाचारों अनियमितताओं को उजागर कर देता है और उनके द्वारा किए गए कुकर्मों को उनके ही गले की हड्डी बना देता है। मप्र के लो.नि.वि., लो.स्वा.या., मप्र जल संसाधन के कार्यपालन यंत्री और उनका स्टाफ इन सं. लेखाधिकारियों को अपने भ्रष्टाचार और लूटपाट में कबाब में हड्डी मानकर, क्योंकि वो नियम कानून मानने, भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास करता है, इन्हें न केवल तरह-तरह से परेशान करने अपमान करने और बत्तमीजी पर उतर जाता है, यहां तक घटनाएं घटती हैं कि इन्हें ताले में बंद करना, इनके कक्षों पर ताले जड़कर बाहर बेंच पर बैठाना कमरे की लाइट काट देना चूंकि ये सं. लेखाधिकारी केन्द्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, तो वो कार्यपालन यंत्री या अन्य अधिकारियों के छल-कपट, जालसाजियों को स्वीकार नहीं करते। जबकि संभागीय लेखाधिकारी की पदस्थापना न केवल संभागों में वरन मंडलों, अंचलों और मुख्यालय में भी होनी चाहिए, जो पूर्ण रूप से वित्तीय कार्यों को, भौतिक सत्यापनों के साथ स्वतंत्र रूप से करें।

देश में नहीं वस्त्रों की गुणवत्ता, मानव शरीर पर प्रभाव जानने की प्रयोगशाला

विदेशों में रद्द किए कपड़ों से चल रहा भारतीय गार्मेंट उद्योग

यूरोप में बीटी कपास के कपड़े भी प्रतिबंधित, सिंथेटिक कपड़े फैला रहे चर्मरोग, बढ़ा रहे नामर्द, पर उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध नहीं, साथ ही ब्रांडेड कं. के लेबल पर भी झूठी जानकारियां

पूरे भारत में सिले हुए वस्त्रों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है, जिससे करोड़ों लोगों को किसानों के साथ ही रोजगार प्राप्त होता है। 1980 से सन् 2000 के बीच अंबानी ने कपड़ा उद्योग पर कब्जा करने के लिए अधिकांश सूती कपड़ा मिले बंद करवा दी, वैसे ही जैसे टाटा ने भारत की थाली में नमक पर कब्जा जमाने के लिए आयोडीन नमक का 1972 में कानून बनवाकर कब्जा किया। हालात ये है कि भारत के बाजारों में मानव वस्त्रों के नाम पर 60प्रश कपड़ा कृत्रिम रेशों से बना या मिला हुआ कपड़ा बाजार में बिक रहा है। सूती जींस के नाम पर भी स्ट्रेच जींस के पेंटों में भी कृत्रिम, त्वचा को हानिकारक रेशे या धागे मिलाकर बनाई व बेची जा रही है जो अंडकोषों को कमजोर कर रही है, जिससे पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु समाप्त करने के साथ स्त्रीयों में बांझपन पैदा कर रही है। डॉक्टर ऐसी बीमारियों के चलते सूती कपड़े पहनने की सलाह हो दे रहे हैं। परंतु न तो स्वास्थ्य मंत्रालय और न ही कपड़ा मंत्रालय का ध्यानाकर्षण कर ऐसे मिलावटी कृत्रिम रेशों के वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अमेरिका व युरोपीय देशों जिन्होंने कृत्रिम रेशों से धागा बनाकर एशिया के बाजारों में तो निर्यात कर रहे हैं। पर स्वयं शुद्ध सूती वस्त्रों को वह भी शुद्ध देशी भारतीय कपास जिसे जैविक खाद से तैयार किया गया हो, को ही आयात करके पहन रहे हैं।

बीटी कॉटन जिसे अमेरिकी कं. ने अपने पेटेंट अधिकार के साथ भारत में बेच रहे हैं। जिसके लिए भारतीय किसानों में मई-जनू में बीज खरीदने के लिए भारी लड़ाई-झगड़े होते हैं। जिसके लगातार खेतों में बोने पर तीसरी चौथी फसल न केवल बिगड़ जाती है। वरन् कृषि भूमि भी बंजर होने लगती है। जिसके परिणाम स्वरूप कपास कटिबांध कहे जाने वाले महाराष्ट्र और मप्र में ही हर वर्ष फसल बिगड़ने से हजारों किसान आत्म हत्याकर रहे हैं। सन् 2000 के बाद से 2015 तक पूरे देश में करीब ढाई लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसके विपरीत न तो कृषि मंत्रालय इस बीटी कॉटन को प्रतिबंधित कर रहा है और न ही लालच में किसान खरीदने से बाज आ रहा हैं, चूंकि इसक बीजों के ही इतना विषैला बना दिया गया है कि उसमें कीड़े न लगे, यही विष वस्त्र बनने के बाद त्वचा में विविध प्रकार के सतही रोगों के साथ मानव शरीर की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर विविध बीमारियां पैदा करता है। इसी कारण बीटी कपास निर्मित कपड़ों को यूरोपीय देश नहीं खरीद रहे हैं। पीथमपुर की प्रतिभा सिंटेक्स अपने यहां केवल देशी बीजों का जैविक खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादित ही कपास खरीदकर वस्त्र उत्पादित कर निर्यात करता है, युरोप में वस्त्रों की गुणवत्ता जांचने की प्रयोगशालाएं है, जो साधारण देशी कपास की गुणवत्ता निर्धारण करती हैं, तभी आयात की छूट देती है। परंतु भारत वस्त्रों को इस स्तर पर जांचने की प्रयोगशाला की न तो कोई व्यवस्था है, यहां तक की वस्त्रों पर उसमें कितने प्रतिशत सूती है, कितना कृत्रिम और उससे मानव त्वचा पर क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। कहीं पर भी घोषित करता हुआ लेबल चिपकाने की बाध्यता जैसा कि युरोपियन देशों में हैं। भी इस देश में अभी तक नहीं है, जिससे देश में सभी उम्र और वर्ग के लेकर चर्म रोगियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। पर सरकारें सो रही हैं।

साप्ताहिक समय माया

मौतों की सामग्री के असली व्यवसायी मंत्री को बचा रही, सरकार

मंत्री अंतर सिंह और पुत्र विकास आर्य विस्फोटक के असली कारोबारी

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद में शनिवार 12 सितम्बर सुबह एक घर में एक-एक कर कई धमाके हुए। इसकी चपेट में आकर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। धमाके का कारण घर में रखा भारी विस्फोटक था, जिनमें आग लगने से हादसा हुआ। हादसे में पास के एक रेस्टोरेंट की छत भी ढह गई जबकि आस-पास के कुछ दूसरे घरों को भी नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की जांच के आदेश दिये हैं। झाबुआ कलेक्टर अरूणा गुप्ता के अनुसार विस्फोट पेटलावद बस स्टैण्ड के निकट सुबह राजेन्द्र कासवा की इमारत में हुआ। उनके पास चट्टानी इलाकों में कुएं खोदने के लिये विस्फोटक रखने का लाईसेंस है। कासवा ने जिलेटिन की छड़ों समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री आवासीय इमारत में रखी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई मिनटों तक रूक-रूक कर धमाके होते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहला धमाका इतना जोरदार था कि लोग हवा में उछलते नजर आये धमाके की चपेट में निकट का एक रेस्टोरेंट भी आ गया, जिसमें रखे गैस सिलेण्डर में भी ब्लास्ट हुआ। इसके बाद रेस्टोरेंट की छत ढह गई और वहां स्वल्पाहार करने आये लोग हादसे का शिकार बने। धमाके के चलते बाहर सड़क पर शव विखरे पड़े थे। वहां का दृश्य बहुत ही भयावह था, अधिकांश शवों के चीथड़े उड़े हुए थे। मध्यप्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रूपये मुआवजे की घोषणा की है। पेटलावद में हुये हादसे का जिम्मेदार राजेन्द्र कासवा को माना जा रहा है। घटना के बाद से ही कसावा और उसका पूरा परिवार गायब है। स्थानीय पुलिस ने कसावा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, राजेन्द्र कासवा पिछले 10 साल से न्यू बस स्टैण्ड इलाके में उर्वरक के गोदाम में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्रीरखी थी। इस बारे में पुलिस और प्रशासन के अफसरों को कई बार शिकायत की गई। हादसे के पहले तक कसावा के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

कासवा का पूरा परिवार ब्लास्टिंग का काम करता है। इन दिनों इसकी मुख्य जिम्मेदारी राजेन्द्र के कंधों पर ही थी, बताया जा रहा है कि राजेन्द्र के पिता शंतिलाल कासवा भी यही काम करते थे उनके बाद राजेन्द्र और दो भाइयों नरेन्द्र और फूलचन्द्र ने भी इसी काम को अपने हाथों में ले लिया। राजेन्द्र कासवा के एक अन्य भाई जमक लाल की 10 साल पहले मौत हुई थी। उस वक्त परिजनो ने गैस की टंकी में विस्फोट को जमकलाल की मौत की बजह बतायी है। पूरे इलाके में माना जाता है कि हादसे जिलेटिन जैसी किसी विस्फोटक सामग्री की बजह से हुआ था। हालांकि इस बारे में अधिकारियों ने कभी भी सत्य से जनता को रूबरू कराने में हिम्मत नहीं जुटा सके। हादसे के बाद पेटलावद पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा।

राजेन्द्र कासवा के तार सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय से जुड़े हुए हैं, संगठन मंत्री अरविंद मेनन का कृपा पात्र कासवा दुर्घटना वाले जिले के प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य का करीबी है। ये वही मंत्री है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदेश को भी तबज्जो नहीं मानते, प्र.मं. मोदी का स्पष्ट निर्देश था कि अपने नजदीकी रिश्तेदार तथा पारिवारजनों को सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि नहीं बनाया जाये पर आर्य ने मोदी के निर्देशों को धता बताते हुये अपने पुत्र विकास आर्य को विधायक प्रतिनिधि बनाया है। मंत्री आर्य के पास अलीराजपुर तथा झाबुआ जिले जो मूलतः अदिवासी जिले है, का प्रभार है। मंत्रीपुत्र विकास आर्य जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक व पितामंत्री के प्रतिनिधि हैं, पूरे अंचल में उनका दबदवा है। मंत्री की विधानसभा क्षेत्र बड़वानी जिले के सेंधवा से विधायक है। वीरा स्वामी वर्तमान में प्रभावशाली ठेकेदार ही नही बल्कि लगभग दो दशक से भारतीय जनता पार्टी का निरन्तर बड़वानी का जिलाध्यक्ष है तथा अघोषित रूप से मंत्री अंतर सिंह आर्य परिवार का शुभलाभ का साझीदार है । 15 वर्ष पूर्व मद्रास से रोजी-रोटी की तलाश में आया यह परिवार एक साधारण परिवार था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केन्द्रीय मंत्री रहे, एम. वेकैया नायडू, मंत्री आर्य तथा,आर.एस.एस. की सीढ़ी चढ़कर नायडू से नजदीकी हासिल की। इसके बाद तो वीरा स्वामी की लाटरी जैसे खुल गई। क्षेत्र में आम चर्चा है कि आज आदिवासी क्षेत्र अंजड,निवाली,सेंधवा,राजपुरा, पेटलावाद, झाबुआ आदि में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्माण के सारे काम वीरा स्वामी के कम्पनी तथा उनकी छूटभैय्या ठेकेदारों की मित्र मंण्डली कर रही है। ट्रैक्टर से ब्लास्टिंग का कार्य इनके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी का स्टोरेज राजेन्द्र कासवा के निवास पर जमा था, मंत्री आर्य का संरक्षण मिला हुआ है, अतः जिले के अधिकारी कार्यवाही की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कार्य के शुभ लाभ का एक हिस्सा मद्रास पहुँच जाता है यह अंदर की कहानी है। पेटलावाद घटना के बाद ब्लास्ट की सामग्री जिलेटिन और बारूद आदि का भण्डारण महाराष्ट्र, गुजरात में स्थानांतरित कर दिया है ताकि शासन की छापामार और जॉच रूपी लॉली पॉप से जनता की आँख में धूल झोंकी जा सके वास्तविक कार्यवाही में बचा जा सके। आज यह अनुमान लगाया जाना मुश्किल है कि इनके संरक्षणदाता कहां-कहां तक फैले हुये हैं। चर्चानुसार विधायक पुत्र विकास आर्य राजेन्द्र कासवा तथा वीरा स्वामी नाम के ठेकेदार का एक गठजोड़ झाबुआ तथा अलिराजपुर जिले में चल रहा है। कई घोषित-अघोषित व्यवसाय में इनकी हिस्सेदारियां हैं। आदिवासियों के नाम पर भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाये और राशि इस जिले के लिये आती है यह गठजोड़ सुनियोजित तरीके से उन्हे हड़प लेता है। प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य का खुला संरक्षण इन्हें प्राप्त है। ऐसे में जिला स्तर के अधिकारियों की क्या विसात इनके ऊपर हाथ डाल सके। हादसे के बाद झाबुआ कलेक्टर का बयान यही दर्शाता है।

कलेक्टर अरूणा गुप्ता के अनुसार राजेन्द्र कासवा के पास चट्टानी इलाकों में कुएं खोदने के लिये विस्फोटक रखने का लायसेंस है। कलेक्टर यह नहीं बता सकी कि बस स्टैण्ड जैसे सार्वजनिक या रहवासी क्षेत्र में क्या भंडारण की भी अनुमति थी। यह कलेक्टर की बेचारगी या कही न कही उनके दवाब में होने की तरफ स्पष्ट इशारा है। इस धूर्त आर्य के साधारण कार्यकर्ता से मंत्री पद तक पहुंचने के कई गवाह जिले में मौजूद है। अंतर सिंह आर्य के संरक्षण में जमकर चौथ वसूली बड़वानी,झाबुआ और अलीराजपुर जिले में चल रही है। मंत्री अंतर सिंह आर्य की सम्पत्ति की जांच सी.वी.आई. से यदि करा ली जाये तो सारे तथ्य सामने आ जायेगे। आज मंत्री आर्य के पास घोषित-अघोषित चल-अचल सम्पत्तियों की भरमार है। आखिर यह राशि उन्हें कही पुरस्कार में ही तो मिली है।

राजेन्द्र कासवा और वीरा स्वामी जैसे लोगों का आदिवासियों की हिस्सेदारी लूटने की छूट देने के एवज में मोटे कमीशन के रूप में मिल रही है। तो क्या इस विषय में अधिकृत जॉच अधिकारी जॉच कर पायेंगें, क्या कमीशन और मौतों के तांडव की कड़ी जुड़ पायेगी क्या देश प्रधानमंत्री मोदी अपने पैतृक राज्य के पड़ोसी आदिवासी जिला की इस क्षेत्र में आकर अपने कलेक्टर और उनके मन के भय को निकाल पायेंगें । जिस जिले में कोई कलेक्टर अपना कार्यकाल पूरा नही कर पाता है,जो अवैध तरीके से आदिवासियों के कल्याण की केन्द्रीय योजनाओं को अपने निजी करोबार में परिवर्तित करने के लिए और अवैध राजनीतिक बसूली के लिए बदनाम और कुख्यात है.। और स्वयं आर्य मंत्री भोलूराम बनने का दिखावा करके देश की संपत्ति की जांच कर रहे है। परिणाम क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है। निर्णय जॉच कर्ता करेंगें अथवा दैविक शक्तियॉ।

सभी शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों का एक ही उद्देश्य लूटना

इंदौर भ्रष्टों और जालसाजों की प्रयोगशाला, इसलिए सबका प्रिय

15 वर्षों में रु. 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च फिर भी उचित जल निकासी नहीं

मप्र की व्यावसायिक और मालवा की राजधानी कहे जाने वाले इंदौर मालवा के पठार पर स्थित होने के साथ प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध होने के उपरांत भी शास. अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं और भूमाफियाओं की गिद्ध निगाहों में लूट से कमाई का अड्डा बनकर रह गया।

प्रदेश के प्रशासनिक गिरोह के हर गिरोही का स्वप्न होता है, इंदौर का जिलाधीश बनना व अन्य सभी विभागों में हुआ, जहां एबी रोड के विकास के नाम पर इं.नं.नि., इं.वि.प्रा. और मप्र लो.नि.वि. सन् 2000 से 2010 करोड़ो रुपए हजम कर गए अभी राजी व गांधी चौराहे से राऊ तक और गंगवाल बस स्टैंड से नावदा पंथ तक की सड़कों पर अभी भी यही हो रहा है, दूसरी तरफ देवास नाके से मांगल्या बाईपास तक मप्र लो.नि.वि. का संभाग क्रमांक-1 इंदौर अनेकों समय विस्तार और महंगाई का भुगतान करते हुए भी 2 वर्ष का कार्य त्रेहान ठेकेदार से 5 वर्ष बाद भी नहीं करवाया। इस बीच मांग्ल्या को इंदौर से जोड़ने वाली पुलिया को बने हुए दो वर्ष भी नहीं बीते थे कि उस पर सुधार कार्य भी प्रारंभ हो गया जबकि उस समय के का.यं. राने को बताया गया था कि पुलिया विस्तार में लगाए जा रहा सरिया बहुत ही कमजोर है। यह ज्यादा समय नहीं चलेगा अभी सुधार कार्य में भी लीपा-पोती कर दी गई है। सड़कों के नाम पर नगर निगम के पार्षदों से लेकर निगमायुक्त, संभागीय आयुक्त तक हर वर्ष सड़कों के सुधार, नवीनीकरण के नाम पर रुपए 200 करोड़ तक हजम कर जाते हैं। जिसमें भारत सरकार, मप्र सरकार और निगम के धन के साथ ही जनसहयोग से भी पार्षद वसूली कर हजम कर जाते हैं, जबकि बीआरटीएस के नाम पर जेएनएनआरयुएम का रुपए 850 करोड़ की सन् 2008 की लागत सन् 2013 तक पहुंचते-पहुंचते रुपए 1200 करोड़ की हो गई, जिसमें ठेकेदार कं0 नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण ने मिलकर रुपए 600 करोड़ हजम किए, जिसमें आकाश त्रिपाठी, संभागायुक्तों का भी मोटा हिस्सा था, सब जानते थे कि यह योजना पूरे शहर के यातायात को न केवल बर्बाद करेगी वरन् दुर्घटनाओं का कारण भी बनेगी, परंतु जनता के पैसे से होली खेलकर सबने प्रयोग भी किए और जनता को परेशान होने और दुर्घटनाओं में घायल होने से लेकर अकाल मृत्यु के शिकार होने के लिए छोड़ दिया।

अब औसतन 40 फुट की बीच की सड़क पर शासन के धूर्त अधिकारियों द्वारा बनाई गई एआईसीटीसीएल की 11 किमी पर सारे दिन मात्र 20 बसें 3-4 फेरे लगाती हैं। जहां पर बसों पर कार्यरत कंडक्टर ड्राइवर जो कुशल श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं, मात्र रुपए 5 से 7 हजार की वेतन मिलता है, अकुशल श्रमिकों को दैनिक मजदूरी रु. 251 और कुशल की रुपए 350 प्रतिदिन है, जबकि सब तकनीकी कर्मचारी है जबकि चालकों के पास व्यावसायिक चालक अनुज्ञप्ति होती है और परिचालक भी व्यावसायिक अनुज्ञप्ति धारक जिसे परिवहन विभाग में होना चाहिए, होता है अधिकांशकर्मी यहां ठेकेदार द्वारा लगाए गए है जिनका रु. 1000 से रु. 2000 प्रति माह प्रतिकर्मी स्वयं हजमकर जाता है, क्योंकि ठेकेदार को भी हर बिल पर 10 प्रश तक वहां के कर्मचारियों को बांटना पड़ता है।

इस बीआरटीएस के विरुद्ध सैकड़ों प्रदर्शन किए जा चुके हैं इसके उपरांत भी भ्रष्टाचार और लूट-खसोट की हठधर्मिता के चलते इसे तोड़ा नहीं जा रहा है, यह प्रयोग भी पूर्णतः असफल है, जिसे सारे धूर्त अधिकारी जानते हैं। फिर भी भ्रष्टाचार से कमाई के चलते सबचुप हैं। बेशक भ्रष्टाचार के इस अरबों रुपए के धन में सब हिस्सेदार हैं। फिर इंदौर विकास प्राधिकरण लाखों रुपए महीना मीडिया को भी बांटता है, इसलिए मीडिया के जिसमें दैनिकों से लेकर दूरदर्शनीय शृंखला के दृष्य-श्रव्य भी शांति से लूट के धन को पचाने में लगे हैं।

स्मार्ट सिटी बनाने के लिए धूर्तता तो चुनाव जीते प्र.म. मोदी का जनता को भ्रमित करने का शिगूफा काम कर रहा है। प्रसार माध्यमों को छापने, प्रसारित करने की मीठी गोली देकर छोड़ दिया गया है, जबकि जिस शहर में सन् 2001 से 2015 तक रुपए 1500 करोड़ से ज्यादा नालियों और सीवरेज पर प्रोजेक्ट उदय, जेएनआरयूएम के साथ नगर निमग इंदौर, इं.वि.प्रा., लो.स्वा. यां. मिलकर खर्च कर चुके हैं। कहीं कोई ठोस नियोजन नहीं, हाल ही में जहां अंबेडकर नगर में प्लास्टिक की 4 इंच पाइप डाली गई तो तिलक नगर 1मी. का सीमेंट पाइप डाला जा रहा था, नगर निगम के सारे इंजिनियर्स वसूली में लगे रहते हैं। लाखों रुपए खर्च करके पार्षदी जीतकर आए अपनी कमाई अपनी जिमाई के हिसाब से ही सड़के बनवाना फिर नालीयों के लिए तुड़वाना फिर सड़के बनवाने में ही कमाई करते रहते हैं।

जिस शहर में टोपो शीट और कांटूर मेप के हिसाब से नियमित और वर्षा के भारी वेग से जल की निकासी की ही मूलभूत जरूरत ही नहीं की गई हो, जबकि सैकड़ों करोड़ जन-धन और एडीबी के ऋण तक से बर्बाद किए जा रहे हो, जहां हर शासकीय अधिकारी भ्रष्टाचार से कमाई करने की गिद्ध नियत से हर काम कर रहा हो। तो कैसी स्मार्ट सिटी वही हाल निजी क्षेत्र की कं. का भी है, भूमाफिया कॉलोनाइजरों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, मोबाइल कं., कार कं., मोटर साइकिलो, ज्वेलर्स, शॉपिंग माल्स, मल्टीप्लेक्स आदि वार्ड, बहुराष्ट्रीय कं. यदि भारत में आई है, और मप्र में आएगी तो सबसे बड़ा लक्ष्य इंदौर ही होता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और जालसाजी से कमाए धन की नदियां, जितना चाहो जैसा चाहो।

इस शहर का इतिहास पूरे प्रदेश के किसी भी शहर के इतिहास से सबसे कमजोर मात्र 400 वर्ष पुरानी बस्ती फिर भी भ्रष्टाचार की राजधानी।

केन्द्र सरकार के भी सभी विभाग कर्मचारियों की कमी से परेशान

डाक विभाग स्पीड पोस्ट, हो गई पोस्ट स्पीड

तत्काल में 10,000 से ज्यादा डाक विवरण कर्मियों की स्थाई भर्तियां या आवश्यक, बंद करो ठेका और संविदा भर्तियां- देश को बर्बाद कर रही विश्व व्यापार संगठन की शर्तें

भारत की बर्बादी में विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका सामने आ चुकी है। अब केन्द्र और राजयों के सभी विभागों की बर्बादी दोनों शासन तंत्रों के ध्वस्त होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में नेहरु गांधी ने 99 वर्ष की सत्ता हस्तांतरण को स्वीकार कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी शोषण और साम्यवादी आलसी मानसिकता से बचकर मिश्रित अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन संतुलित विकास को महत्व दिया। उनके व्यक्तिगत चाल-चरित्र की व्याख्या का कोई औचित्य नहीं है। इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था ने भारत को संतुलित और ठोस विकास के मार्ग पर 50 वर्ष तक सफलतापूर्वक चलाया, परंतु यूरोप की धूर्त बहुराष्ट्रीय कं. को यह बिलकुल हजम नहीं हुआ कि भारत अपने दम पर न केवल उन्नति करें, वरन् विकासशील देशों की श्रेणी में आ खड़ा हो, दूसरी ओर युरोपियन धूर्तों के समूह ने विश्व व्यापार संगठन बनाया ही इसलिए था कि दुनिया के अन्य देशों के सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों पर इन धूर्त गिद्धों का कब्जा हो, जिसको ये अपने मनमाने तरीके से बेचें, वहां की जनता को गुलाम बनाने के लिए पहले विकास के नाम पर विश्व बैंक से ऋण दिलाएं पूरी सरकारी मशीनरी को ऋण से घी पीना सिखाएं, पूर्णतः भ्रष्ट और निकृष्ट हो जाने पर कर्ज की वूसली के नाम सब पर कब्जा जमाए कानून अपने पक्ष में बनवाए। सरकारी तंत्र को कमजोर, निकम्मा और पंगु बना कर सारी सत्ता को फिर अपनी तरह से हांके। इन धूर्त मक्कार गिद्धों ने 1990 के पूर्व अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका व अन्य महाद्वीपों के अनेको राष्ट्रों को इस तरह से बर्बाद कर दिया था, इसलिए विश्व व्यापार संगठन की इन करतूतों के विरुद्ध 1988 से लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका था, इसके विपरित 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके अंतर्गत सरकारी खर्च को कम करने के लिए भर्तीयों पर रोक लगा दी गई। जिसके दुष्परिणाम अब सामने हैं। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली डाक-तार सेवाएं, जो विश्व की सबसे बड़ी और जिसकी छोटे से छोटे गावों तक पहुंच थी। भर्तियों के अभाव, डाककर्मियों की लगातार सेवानिवृत्ति और मृत्यु के चलते कर्मियों की कम होती संख्या और बढ़ते कार्य के कारण अब बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी है, जबकि कार्य हर क्षेत्र में बढ़ा हैं। इस विभाग की स्पीड पोस्ट जो देश के किसी भी कोने में 24 घंटे में डाक पहुंचाने का दावा करती थी अब 24 दिन के बाद पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं लेती है। यहां तक की शहर की डाक शहर में 4 किमी के फासले पर भी दो-तीन दिन लेने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति और भी विकट है। महीने भर भी डाक पहुंच जाए वो धन्य मानिए। स्पीड पोस्ट की पोस्ट स्पीड का का तरीका बदला जाए। शासकीय कानून निजी कोरियर कं. को मान्यता नहीं देता। लोकतांत्रिक सरकारों को लूटतांत्रिक तरीकों से सरकार चलाने के तरीके से बचना चाहिए। पूरे देश में 10000 से ज्यादा डाक वितरण कर्मियों की आवश्यकता है, देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों में स्थाई कर्मियों को पदस्थ किया जाना चाहिए जो अभी संविदा कर्मियों की तरह मजबूरी में ढो रहे हैं। डाक सेवाओं को को समाप्त किया जाए। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को ज़ो जनता की बर्बादी का कारण बन रही है।

बहुराष्ट्रीय कं. पूंजीपतियों के हितों के लिए- बदल रहे श्रम, भूमि, व लागू कर रहे खाद्य सुरक्षा कानून

जनशोषण में मोदी भी कांग्रेस से दस कदम आगे

अच्छे दिनों का शिगूफे बाज पूंजीपतियों को शोषण और लूट के लिए, संशोधन कर रहे कानूनों में

भारत का लोकतंत्र यथार्थ में लूट तंत्र का पर्याय बन गया है, जो भी सत्ता में आया, उसने अपनी लूट और वसूली के लिए जनता के शोषण और लूट का मार्ग ही प्रशस्त करने हेतु सत्ता के मद में चूर होकर कानून ही बना डाले, 60 वर्ष कांग्रेस सत्ता में रही तो पूर्णतः अंग्रेजों की पैदा की नाजायज औलाद की तरह अपने आकाओं के पदचिन्हों पर चलकर 99 वर्ष के पट्टे पर मिली भारत की सत्ता को अपने बाप की जागीर मान फूट डालकर राज करो की नीति पर चलकर हर तरह से हिन्दुओं पर कानून थोपे गए, उन्हें दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने से भी रोका गया, उन्हें दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों से, चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। सभी प्रकार के करो, आयकर, विक्रय कर, संपत्तिकर, आबकारी, कस्टम एक्साइज, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सेसों की सबसे ज्यादा वसूली उनसे की जाती है उस पैसे से खुले में मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाकर हर तरह आर्थिक सामाजिक और नैतिक रूप से कमजोर किया जाता रहा है।

येन-केन प्रकरेण भाजपा के उदय और अपने आप को हिन्दू व राष्ट्रवादी बन जालसाजी से भाजपा और उसके स्वयंभू नेता मोदी ने सत्ता हथियाई, पर शोषण रूकने समानता का दर्जा मिलने आर्थिक सामाजिक और नैतिक उत्थान की तो दूर ये गुजराती तरीके से देश के प्राकृतिक साधनों से लेकर राष्ट्रीय संपत्तियों, संस्थानों, उद्योगों को ही जिसमें रेलवे, सड़के, विद्युत मंडलों, विद्युत उत्पादन केन्द्रों, परिवहन, संचार साधनों, शासकीय बैंकों, बीमा कंपनी, स्वास्थ्य सेवाओं को ही नीलाम कर अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने और जनता का शोषण करवाने पर तुल गया, पूंजीपतियों के हित साधने, श्रम कानूनों को जो अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लागू करवाए गए थे। 19 श्रम कानूनों को समाप्त कर नए श्रम लागू करने, उनके हितों को, साधने जीएसटी अर्थात वस्तु व सेवा कर लादने, कृषि भूमि कृषकों से हड़पने, नए भूमि कानून लागू करने के प्रयास करने लगा, ताकि पूंजीपति एक तरफ उत्पादन के मुख्य घटक श्रमिकों से आसानी से आठ घंटे की अपेक्षा 12 से 15 घंटे कार्य ले सकें, न्यूनतम मजदूरी भी न दें, तब मन में आए उसे मजदूरी मांगने पर कभी भी लात मारकर भगा दें, असली उद्योग मालिक उसका चहुंदिशि शोषण करें, परंतु श्रमिक के घायल होने, मृत्यु होने, उद्योग प्रबंधक, ठेकेदार को ही फंसाया जाए, जिसके विरोध में 2 सितम्बर को देश के 15 करोड़ श्रमिकों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी।

जनता के शोषण और बहुराष्ट्रीय जालसाज खाद्य व्यवसाय कं. के हितों के पोषण के लिए बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 06 के दुष्परिणाम अब जनता के सामने है। हर खाद्य वस्तु की पैकेजिंग में एक तरफ देखने को भी नहीं मिलता कि टाटा की रुपए 200 प्रति किलो की दाल कैसी है?

मप्र लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग

धन के दम पर नियुक्तियां पाए कर रहे लूट का तांडव

मंत्री सरताज सिंग से लेकर उपयंत्री तक सब भ्रष्ट, 50 से 70 प्रश तक सड़कों की मरम्मत का पैसा हजम । का.यं राणे व माथुर के भ्रष्टाचार की शिकायतों में धन लेकर, का.यं. श्रीवास्तव ने दबाया, अ.यं. जैसवाल, मु.अ. श्रीवास्तव, अ.प.सं. गुप्ता ने बचाया

राष्ट्र की जनता के साथ, प्रशासकीय धूर्त अधिकारियों को लालच दे, ईवीएम मशीनों के साथ जालसाजी से भाजपा ने सत्ता हथिया ली, सत्ता हाथ में आते ही मुखेरे जंगली जानवरों की भांति, कानून, सामाजिकता, सबको त्याग केवल मीडिया के मुखेरो के टुकड़े डाल उनका मुंह बंद कर जुटे हैं नोंचने, लूटने और हजम करने में। जन-धन से नए-नए सूट धारण कर बहरुपिये, राष्ट्र कल्याण के नाम पर विदेशों में नौटंकी करने निकल जाते हैं। चाहे देश में सैकड़ों किसान कर्ज, भूख से आत्महत्या करते रहे। इन मक्कारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा धूर्त प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वैसे ही उनके मंत्री और अधिकारी, मंत्रालयों से लेकर तहसीलों और विकास खंडों तक।

मप्र लोक निर्माण यथार्थ में भ्रष्टाचार निर्माण विभाग है। मंत्री सरताज सिंह ने मोटा धन हजम कर सहा. यंत्रियों जिसमें इंदौर सं.क्रं. 2, व रा.रा. में पदस्थ प्रभारी का.मं. बीके माथुर जिसकी छेड़छाड़ से लेकर, भ्रष्टाचार, स्टॉफ, ठेकेदारों को परेशान करने की कई शिकायतें हो चुकी हैं। परंतु प्र.स. प्र.अ., मुं.अ. शिकायतों की जांच करने सौंप देते हैं। उसके वरिष्ठ अधिकारी जैसवाल को और अं.स. जैसवाल जिसका अगले वर्ष सेवानिवृत्त होना है। धन हजमकर शिकायतों को दबाकर बैठ जाता है। इस धूर्त माथुर ने ठेकेदारों से झूठे बिल पास करने के नाम पर अधिकांश से अग्रिम लेकर हजम कर लिया, इसलिए ठेकेदारों ने भी काम शुरू ही नहीं किए, शुरू किए भी तो अधूरे और स्तरहीन काम किए। इस हरामखोर के कारण एक राष्ट्रीय राजमार्ग 59 अ, इंदौर-बैतुल जो नेमावार तक इसके पास है, पूरी मार्ग बुरी तरह से 145 किमी तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। धन भी आवंटित है, परंतु यह कार्य करने को तैयार नहीं है। विभाग के जानकारों के अनुसार, निहायत निकम्मा यह किसी सेक्शन का इंजीनियर बनने योग्य नहीं था, इसे का.यं. का प्रभार देकर रिपेयर या सड़कों के गड्ढों के समतलीकरण का 70 प्रश पैसा ठेकेदारों के साथ मिलकर हजम किया जा रहा है जिससे बर्बाद सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन आन-माल की हानि कर रहे हैं। यदि इस श्वान ने रा.रा. 59 अ पर ढंग से कार्य किया होता तो मप्र शासन रा.रा. क्रमांक 3 ब्यावरा से लेकर इंदौर तक क्रमांक-59 इंदौर से पिटोल तक, केन्द्र सरकार के रा.रा. प्राधिकरण से छीनकर मरम्मत करवाकर सिंहस्थ में अपनी इज्जत बचा सकता था। पर मंत्री सरताज सिंग, प्र.स. प्रमोद अग्रवाल, प्र.अ.अ. अग्रवाल ने कमाई के लिए इस निकम्मे, नौटंकीबाज को बैठा दिया। शिकायतों की जांच में अ.यं. जैसवाल और प्रमुख अभियंता श्रीवास्तव ने भी अपना हिस्सा डकार कर लीपा-पोती कर तत्काल में तो जीवनदान दे दिया, वैसे रा.रा. संभाग अलग कर दिया गया है, परंतु कमाई के चलते प्र.अभि. अ. अग्रवाल दबाए बैठे हैं। वही हाल परि. कि. ईकाई के का.यं. राणे के मामले में, सं.क्र. 1 के का.यं. वि. श्रीवास्तव ने भी किया। राणें की जांचों, उसके छोटे भाई के संभाग 1 व 2 में काम करने, बिना कार्य के फर्जी बिलों के भुगतान में भी जांच के नाम पर लीपा पोती कर दबा दिया गया। इस धूर्त राणे ने अपने देवास, धार, संभाग क्रमांक 2 व 1 के साथ पीआईयु में भी अधिकांश कार्यों में ठेकेदारों की 5 से 25 प्रश तक कार्य की डीपीआर के बजट से ज्यादा के भुगतान करवाकर शासन को पिछले 10 वर्षों में रुपए एक अरब से ज्यादा की क्षति पहुंचाई हैं वहीं पेच रिपेयर के देवास धार, इंदौर के सं.क्र. 1 व 2 में, सड़कों की मरम्मत कार्य में 70 प्रश तक पैसा डकारा गया, जिसके कारण अधिकांश सड़कें एक बरसात भी नहीं झेल पाई। इसकी भी संभाग क्रमांक 1 व 2 इंदौर में किए गए सभी निर्माणों में जो 5 से 25 प्रश तक किए गए ठेके की राशि से ज्यादा के भुगतानों की जांच की जाए तो रुपए 1 अरब से ज्यादा के भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे, जिसे अभी सं.क्रं. 1 के का. यं. श्रीवास्तव ने जांच लंबित अधूरी के नाम पर पर दबाए बैठे हैं। पीआईयु में भी एमटीएच परिसर में नए चिकित्सालय भवन निर्माण में नींव ही आधी खोदे जाने से लेकर, नींव की दीवारों की मोटाई कम करने ईंटों, ढांचे आदि के बारे में छापे जाने के बाद हुई शिकायत की जांच को धूर्त अ.यं. खरात और अं.प. सं. गुप्ता ने धन लेकर ठंडा कर दिया। अ.पं. सं. गुप्ता के पास 12 जिलों के पीआईयु संभाग हैं। अधिकांश में स्टॉफ की भारी कमी के चलते उपयंत्री और सहा. यंत्री के कार्यों का ठेके पर आयातित इंजिनियरों की देखरेख में जो एक तरफ अनुभवहीन होने के साथ, डिग्री बैचने वाले इंजिनियरिंग कॉलेजों के सिविल इंजिनियरों के डिग्रीधारी है। स्तरहीन कार्य हो रहा है। सब कमाई में व्यस्त है। इनके पास शासकीय विभागों जिसमें शिक्षा, न्यायालय, स्वास्थ्य परिवहन, पुलिस, जेल आदि अनेकों विभागों के भवन निर्माण के लगभग रुपए 5000 करोड़ से ज्यादा के कार्य हैं। यहां पर लो.नि. वि. के अधिकांश इंजिनियर जो महाभ्रष्ट, हरामखोर होने के साथ निकम्मे थे, ही पदस्थ किए गए हैं।

सहा. यंत्री दीपेश गुप्ता जो सं.क्रं. 1 में पदस्थ था अपने धन और राजनैतिक प्रभाव के चलते प्रभारी कां.यं. देवास बन जाने के बाद से प्रभारी बनने में खर्च किए गए धन की वसूली की नियत से भारी भ्रष्टाचार कर रहा है, मह हो न हो परंतु येन-केन प्रकरेण धन की वसूली अवश्य ही ही हालात ये है कि अधिकांश पेच कार्यों को पर्याप्त धन आवंटन के उपरांत भी मोटी कमाई के लालच में ठाप कर दिए है या घोंघे की गति से चलाए जा रहे हैं। जों सिंहस्थ गुजर जाने पर भी पूरे नहीं किए जा सकेंगे जो सरकार की बदनामी का कारण बन रहे हैं। तत्काल मंत्री, प्र.सं. व प्रमुख अभियंता को चाहिए कि प्रभारी का.यं. गुप्ता देवास व का.यं. माथुर को हटाकर, बालाघाट, रीवा जैसे स्थानों पर भेजा जाए व इन दोनों संभागों में त्रीव गति से कार्यों को पूर्ण करने वाले अनुभवी का.यं. को पदस्थ किया जाए। इन दोनों हरामखोरों ने इनकी टूर डायरी और लॉग बुक मांगी गई थी। सूचना अधिकार में चूंकि बनाइ ही नहीं गई तो देंगे कहां से? इसलिए जवाब की अपेक्षा दलीलों में उलझाया। कां.यं. चटर्जी, वि.व यांत्रिकीय इंदौर संभाग जिसमें आठ जिले हैं। एमवाय चिकित्सालय की लिफ्ट कांड में दोषी हैं। यह स्पष्ट है, ये भी एमवाय चिकित्सालय व महाविद्यालय, उच्च न्यायालय में 8 जिलों के जिलाधीश कार्यालयों, जिला चिकित्सालयों, जिला न्यायालयों में ही रखरखाव व सुधार के नाम पर दोगुने से 4 गुने तक के बिल बनाकर लाखों हजम कर जाते हैं। सूचना अधिकार में प्राप्त जानकारी का विश्लेषण बताता है कि ये भी पूर्व के का.यं. वंसले के नक्शेकदम पर ही चल रहे है। सेतु संभाग के कार्य. य. राना मिश्रा अपने राजनैतिक मंत्री राजेंद्र शुक्ला के दम पर इंदौर में जमे रहकर भारी भ्रष्टाचार करने के साथ ही स्टाफ को भी भारी परेशान करता है। इनके अंतर्गत बन रहे रेलवे औवर ब्रिजेस की कहानियां तो हर दिन दैनिक अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, परंतु इस शूकरीय प्रवृत्ति के पंडित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इकसे अंतर्गत बन रहे सभी सेतु नियत किए गए समय से दुगुने समय से ज्यादा समय में भी इसलिए नहीं बन रहे कि ठेकेदारों के साथ मिलकर महंगाई का लाभ दिलवाकर आधा-आधा हिस्सा डकारा जा रहा है। प्रशासन के पास सारी जानकारी है पर वो राजनीतिक पहुंच के कारण चुप है। जिलाधीश पी नरहरि को चाहिए कि इसके तीन साल पूरे होने के कारण इसकी बिदाई करवा कर किसी अच्छे इंजिनियर को सेतु संभाग में बैठाए अन्यथा सिंहस्थ तक भी पश्चिमी मप्र सेतु पूर्ण होना संभव नहीं। अस्तु हर शाख पर उल्लू बैठा है। मंजामें गुलिस्तां, देख और भोग रही है जनता...।

साप्ताहिक समय माया

भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन-2015

दृष्टि 2050-2100 कैसे हो सुरक्षित व सरल यात्रा भारतीय सड़कों पर

हर दिन लगभग 200 मरते हैं और 2000 से ज्यादा घायल होते हैं, निःसंदेह सड़के,प्रशासन और पुलिस अधिकतम जिम्मेदार

राष्ट्र की आजादी के 68 वर्ष बाद भी राष्ट्र की जनता को सड़कों पर चलने, वाहन चलाने और दूसरों की सुरक्षा की आधारभूत शिक्षा भी नहीं दे पाए, और जब जनता व समाज की सड़कों पर चलने और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल ही नहीं वो अपने जीवन में कैसे सुरक्षित, संयमित और सरल तरीके से स्वयं को, समाज को देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। बस हम चले जा रहे हैं, सड़कों पर जीवन में हमारा समाज हमारा देश। केवल, हमारे देश की सड़कों पर ही औसतन हर रोज 200 से ज्यादा पैदल वाहन चालक दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। हो सकता है यह संख्या दोगुनी भी हो, वहीं 1000 से ज्यादा लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। जिस पुलिस पर इन दुर्घटनाओं की रिपोर्ट लिखाने कार्रवाई करने और सांख्यिकीय एकत्र करने की जिम्मेदारी हैं, वो 99 प्रश शिकायतों में शिकायतकर्ता को टरका कर भगा देती है, दबाव पड़ने, प्रभावशाली शिकायतकर्ता होने पर कोरे पन्ने पर शिकायत लेकर, शिकायतकर्ता को चलता कर देती है। ज्यादा शक्ति संपन्न शिकायतकर्ता होने पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने पर भी कार्रवाई नहीं करती, जब धन, बल खर्च किया जाता है, तो ही वह एकआईआर लिखने के बाद कार्रवाई करती है, इसलिए सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और घायलों की सही संख्या वर्तमान स्थितियों में जानना मुश्किल ही नहीं वरन् असंभव है। दूसरी ओर जिस यातायात पुलिस को यातायात संभालने के लिए संबंधित सड़कों चौराहों पर नियुक्त किया जाता है, वह यातायात सुधारने यातायात नियमों का उलंघन करने वालों को पकड़ने और तत्काल दंडित करने की अपेक्षा अपनी जेब गरम करने में ज्यादा विश्वास रखती है, इसके लिए अनेकों षड़यंत्रों की कूटरचना जानबूझकर चौराहों के मार्ग संकेतकों में समय निर्धारण में ऐसे निर्देश भर देती है ताकि चालक हरा संकेत देखकर दौड़े और अचानक लाल हो जाए, जिससे उसे पकड़कर चालान की धमकी देकर वसूली की जा सके। इंदौर के अनेकों चौराहों जिसमें एलआईसी चौराहा, महूनाका चौराह आदि पर लूट के खेल में दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं बेशक इसमें यातायात पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही तक,प्रशासन और नगर निगम की भूमिका भी भ्रष्टाचार से धन हजम करने के कारण संदेहास्पद होती है। जबकि चौराहों पर लगे कैमरों की रिकार्डिंग से वाहन चालकों की प्रवृत्ति भीड़, यातायात के दबाव के अध्ययन से दुर्घटनाओं का कारण, संकेतकों के समय निर्धारण को सुचारु बनाकर, चालकों की दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है। बत्तमीज वाहन चालकों को दंडित कर नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु इस तथ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरे की रिकार्डिंग से सड़कों, चौराहों की बनावट की खामियों आवश्यकताओं का आंकलन कर उसमें सुधार के साथ ही, उस रिकार्डिंग से अन्य सड़कों और चौराहों पर उस अनुभव का लाभ लेकर, भविष्य में दुर्घटनाएं, न हो सड़कों और चौराहों की बनावट निर्धारित की जा सकती है।

इसके लिए आवश्यक है कि यातायात पुलिस और शहरीय प्रशासन यथा निगम, जिलाधीश आदि सड़कों पर मार्ग विभाजक रेखाएं रात्रि में चमकाने वाली हों, हर क्रॉसिंग पर 50 मीटर पूर्व से ही संकेतक लगे हों, हर मोड़ पर संकेत परल खंभों पर होने के साथ ही सड़क पर भी लिखे हो, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर लाल चमकने वाले संकेतकों हों, जो चालकों को रात में सावधान करें, दुर्घटनाओं की रिपोर्ट पीड़ित करें न करें, पर जानकारी में आते ही पुलिस अवश्य उसे संचित करें, और रोकने के त्वरित कदम उठाए जाएं। दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों को उल्टी-सीधी पार्किंग करने, यातायात बिगाड़ने, रोकने बाधित करने चलती गाड़ी पर मोबाइल पर बात करने पर तत्काल रुपए 100 व 500 का अर्थदंड लगाकर वसूला जाए, उसमें किसी की कोई दलील, बहस नेता का फोन, अधिकारी के फोन लगवाकर छोड़ने की बात करने तत्काल अर्थदंड दुगुना कर दिया जाए। भविष्य में शहरीय क्षेत्रों में नगरों के, कॉलोनियों के विकास में कोई भी सड़क 40 मीटर चौड़ाई से कम की न हो, ताकि दोनों तरफ 2-2 मीटर के फुटपाथ 3-3 मीटर की पार्किंग और 15-15 मी. की चौड़ाई की सड़कों का ही निर्माण किया जाना चाहिए, इसके साथ ही 1-1 मीटर चौड़ी नालियां हों, 1-1 मीटर चौड़ी टंकी और खंतियां हों ताकि पेयजल पाइप लाइन, गैस पाइप लाइन, केबल लाइन, बिजली लाइन डालने के लिए बार-बार सड़कें न खोदनी पड़े। ग्रामीण सड़के जो राज्य मार्गों से जोड़ी जाती हैं। कोई भी सड़क 2 लाइन से कम न हो अर्थात 27 फुट, दोनों तरफ 5-5, परीयां भरी हुई हो, हमारी युवा पीढ़ी दुर्घटनाओं में एकहरी 9 फुट चौड़ी सड़कों पर ज्यादा शिकार होकर अकाल मौत का शिकार हो रही है, हर राज्य मार्ग 4 लेन जो राजधानियों को संभागीय स्तर के नगरों को जोड़ता है। कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेन से कम न हो, भारी यातायात वाले 8 लेन हो, जिसमें दोनों तरफ 10-10 चौड़ी पटरियां हों जहां भारी वाहन कारणवश ही खड़े व पार्क किए जा सकें। तटीय पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर केवल यातायात की वाहनों की व्यवस्था ही न हो वरन लड़ाकू विमानों को उतारने, उड़ान भरने की व्यवस्था सीमा से 200 किमी अंदर सड़कों तक पर हो ताकि युकी अवस्था में आसानी से ऐसी सड़कों की उड़ान पथ के रूप में भी उपयोग किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान से युद्ध संभावित है। स्वाभाविक युद्ध काल में सबसे पहला निशाना हवाई अड्डे ही बनाए जाते हैं।

इसलिए सामरिक दृष्टि से इंडियन रोड कांग्रेस और केन्द्र सरकार को न केवल राष्ट्रीय राजमार्गों वरन् सीमा से सटे नागरिक और सामरिक महल की सड़कों का नियोजन इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि छोटे नागरिक विमान व लड़ाकू विमानों को आसानी से सड़कें हवाई पट्टी के रूप में उपयोग किया जा सके, जिससे ईंधन की बचत के साथ आक्रमण के समय शत्रुओं को सटीक जवाब दिया जा सके, इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, असम, अरुणांचल, मेघालय के साथ बंगाल, आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र आदि की तटीय सड़कों पर ये व्यवस्था अभी से की जाए, वैसे भी धरती पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए दुनिया के विकसित राष्ट्रों में उड़नकारों पर काफी कार्य हो रहा है, जो सड़कों से ही उड़ान भरेगी और सड़कों पर ही भू-स्पर्श कर अन्य कारों की तरह दौड़ेगी, इसे चुनौती के रूप में इंडियन रोड कांग्रेस को स्वीकार कर अभी से ही नियोजन करना होगा।इंडियन रोड कांग्रेस को अपनी मेकेनिकल इंजिनियरों की ऐसी सर्वाधिकार संपन्न ऑडिटरों और स्वचलित वाहनों के नियमीतीकरण की ऐसी टीम बनानी चाहिए, जो दो पहिया और चार पहिया वाहनों के निर्माताओं द्वारा उत्पादित वाहनों की तकनीकी परीक्षण कर उसमें कम से ईधन खपत और उसके उत्सर्जन से उत्पन्न प्रदूषण को देखने के साथ प्रति लीटर, अधिकतम किमी के दावे को परखे, उचित पाए जाने पर प्रभावित करें, दूसरा दुर्घटना में मानव जीवन कैसे सुरक्षित हो, तीसरा उसका ढांचागत सुधार हो, ताकि अनावश्यक वाहन स्वामी को टूट-फूट पर पैसा बर्बाद न करना पड़ें, रात्रि में वाहन का तीक्ष्ण प्रकाश सामने आने वाले चालक की आंख पर सीधा न पड़े जो दुर्घटनाओं का कारण बनता है। चौथा कोई भी वाहन उत्पादन कं. जो देश में वाहन बनाती है, देखें कि भारत ही वाहन चालकों की शारीरिक बनावट के हिसाब से क्या आवश्यकता और उपयोगिता क्या है जैसे होंडा जापानी कं. जो वाहन बनाती है वह जापानी जिनकी औसतन लंबाई 5 से 5 1/2 फुट होती है के हिसाब से दो पहिया, चार पहिया बनाकर बेच रही हैं। जबकि भारतीयों की लंबाई अब साढ़े पांच से सवा छह फुट तक होती है, उस हिसाब से न केवल कारें, स्कूटर, मोटर साइकलें, चालक की रीढ़ में दर्द पैदा कर रही हैं।

आईआरसी, तेल, वितरण कंपनी से ये भी आग्रह करें कि राजमार्गों से जुड़े हर पेट्रोल पंपों पर एंबुलेंस व केन की व्यवस्थाएं भी करें ताकि दुर्घटनाओं के होते ही 5 से 10 मिनट में क्रेन और एंबुलेंस पहुंच कर घायलों की चिकित्सा व्यवस्थाएं करें व क्रेन दुर्घटना ग्रसित वाहनों को तत्काल हटाकर मार्ग साफ करें और यातायात सुगम बनाएं। हर पेट्रोल पंप पर कैमरे हो, जिनमें वाहन को व उसके चालक को आसानी से रिकार्डिंग कर सकें और चालक की शक्ल से और आंखों की रिकार्डिंग से मालूम कर सकें की चालक उनींदा और नशे में तो नहीं है, यदि है तो उसे वहीं रोका जाए अन्यथा पुलिस को सूचित कर खड़ा करवा दिया जाए, दूसरा वाहन खटारा होने तो सीधा परिवहन अधिकारी को सूचित कर वाहन का पंजीयन समाप्त कर दिया जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, साथ ही अगर वाहन खुली लोहे की छड़े, प्लेटें, खंभे, लकड़ी, पेड़ों के तने खुले या अन्य घातक सामग्री, असुरक्षित तरीके से परिवहन कर रहा हो, तो वाहन को डीजल-पेट्रोले देने की अपेक्षा पुलिस को सूचित कर गिरफ्तार करवा दिया जाए ताकि अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि आईआरसी की सामाजिक जिम्मेदारी है कि इन सड़क पर यातायात सुरक्षित व सरल हो। निर्माण कार्यों में रु. 25 लाख से ज्यादा के ठेकों में केवल उन्हीं फर्मों को काम करने और निविदाएं स्वीकार की जाएं जिनके पास तकनीकी ज्ञान धारक, डिप्लोमा या डिग्रीधारी अनुभवी इंजिनियर्स हो, चाहे वो सड़कों के गड्ढे भरने और नवीनीकरण कार्य ही क्यों न कर रहे हों, भ्रष्टाचार होने की दशा में न केवल विभागीय इंजिनियरों वरन् ठेकेदार फर्मों को भी सह आरोपी बनाया ही जाना चाहिए। राज्यों में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवाओं को किसी भी तरह के सड़क निर्माण कार्य ने सौंपे जाए, क्योंकि वे शासकीय धन को अपने बाप की जागीर समझ कुछ भी उन्हे सीधे कार्य कर अधिकांश धन हजम कर जाते हैं। मनरेगा के पैसे को हड़पने में जिला पंचायतों के मु.का.अ. ने अधिकांश पैसे का उपयोग सड़क निर्माण कार्यों में स्वयं ही हजम किया और पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को भी हजम करने की खुली छूट दी, फिर ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा का कार्यपालन यंत्री तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी की कठपुतली ही होता है, धन वितरण के अधिकार को लेकर उसकी गोपनीय चरित्रावली भी वही लिखवाता है। जबकि सड़क निर्माण के समय, कोई सड़क उस वक्त ग्रामीण हो सकती है पर बनने के बाद उस पर बसें, ट्रक, डंपर और भारी वाहन दौड़ने पर सड़के खराब होकर दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है।

फिर मु.का.अ. को सड़के खराब होकर दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं। फिर मु.का.अ. को सड़क निर्माण के स्तर और गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं होता, उसे तो औपचारिकता पूर्ण कर 40 से 60 प्रश धन डकारने से मलतब होता है, जिसके उदाहरण जिला पंचायत द्वारा बनाई गई देश की सड़कों पर देखा जा सकता है, अकेले मप्र में ही जि.पं.मु.का.अ. सड़कों के निर्माण के नाम पर रु. 1500 करोड़ हजम कर जाते हैं। जिसमें मनरेगा का 50 प्रश धन होता है।

51 जिला पंचायतों में, 16 आदिवासी जिलों में ग्रामीण विकास के नाम पर भी भारी भ्रष्टाचार सड़कों में ही किया जाता है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। बेशक शहरीय सड़कों में ही किया जाता है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। बेशक शहरीय सड़कों में भी सबसे बड़ा लूट और भ्रष्टाचार का मद सड़के ही होती है। अकेले इंदौर में ही रुपए 400 करोड़ से ज्यादा सड़कों पर हर वर्ष खर्च में से रुपए 200 करोड़ हजमकर लिए जाते हैं। इसके बाद भी खराब सड़कें जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। जबकि राजधानी दिल्ली में यह राशि रुपए 2000 करोड़ प्रतिवर्ष से ज्यादा होती है।

वर्तमान में भारत की सड़कों पर 3 करोड़ से ज्यादा 4 पहिया वाहन और 5 करोड़ से ज्यादा दो पहिया वाहन दौड़ रहे हैं। जो सन् 2020 तक दोगुने से ज्यादा और 2050 तक दस गुने हो जाएंगे, जिनकी पार्किंग से लेकर दौड़ने के लिए सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस को अभी से व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए अभी से 150 किमी की गति से लेकर महानगरों तक चाहिए पड़ेंगी। सरकार को चाहिए कि कम से कम सड़के पूर्णतया सार्वजनिक व मुफ्त हो, सभी टोल टैक्स वाली सड़कों पर ठेकेदार एक तरफ लूट तो पूरी छूट के साथ है पर दूसरी तरफ सुविधाएं तो दूर सड़कें ही रखरखाव नहीं कर पाता। वाहनों के निर्माण पर 70 से 80 प्रश तक कस्टम व एक्साइज तक वसूल चुका है, जो बहुराष्ट्रीय कं. के वाहन निर्माताओं ने कम करवाया 35 से 40 प्रतिशत अभी भी वसूला जा रहा है, फिर राज्य 12.5 से 15 प्रतिशत सेल टैक्स, 7 प्रश रोड टैक्स, पंजीयन वसूलने के साथ केन्द्र व राज्य सरकार 72 प्रतिशत से 75 प्रश तक पेट्रोल-डीजल पर कर वसूलने के बाद भी जालसाज सड़कों पर टोल टैक्स के माध्यम से रु. 2 प्रति किमी से रु. 50 प्रति किमी तक वाहनों से वसूलते हैं। फिर भी सड़कों पर सरकारें ही डकैती डलवाती है, टोल के माध्यम से। पूर्व में सभी राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर दोनों तरफ 30-30 फीट की जमीन छोड़ी जाती थी जिसमें वृक्ष, घनी झाड़ियां और फलदार पेड़ लगाने का नियम था, जिसमें अधिकांशतः आबादी वाले क्षेत्रों में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लिया गया। इसके विपरीत सुनसान क्षेत्र की सड़कों के दोनों किनारे लगाए गए ये पेड़ और हरियाली अत्याधिक हर तथ्य से उपयोगी रही, दोनों किनारों पर नालियों से पानी निकल जाने से सड़क पर पानी जमा होने या रुकने से ही होती है। भरे हुए पानी वाली सड़कों पर किसी भी वाहन के अचानक रोकने पर वहां से गिट्टी, डामर उखड़ना शुरू हुआ तो शीघ्र गड्ढों में बदल जाता हैं, जिससे देश को करीब रु. 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो जाता है। दूसरी तरफ घने छायादार वृक्षों से वाहन चालकों को रुकने, छाया में वाहन खड़ा करने, स्वयं खड़े होने, वर्षा में भीगने से बचने के काम आने के साथ सड़कों पर सीधी धूप न पड़ने से फटने-चटकने से भी सड़कें बची रहती थी। इसके साथ ही दो पहिया वाहन चालकों के लिए ये पेड़ सीधे लक्ष्ण, दाएं-बाएं की हवाओं और तूफान में गाड़ी को लहराने, डगमगाने से बचाती थी। 5वां लाभ यह था कि वाहनों से उड़ने वाली धूल, धुआं भी ये वृक्ष वही रोक लेते थे। छटा तथ्य यह भी था कि शनैः-शनैः सारे वनों का विनाश बहुत तेजी से हो रहा है, ये वृक्ष यथार्थ में वाहन चालक को मानसिक शांति और जीवन की यात्रा को सुहाना बनाते थे। इन वृक्षों से प्राकृतिक सुंदरता और वनों का का अहसास करवाते थे। 9 मई 2009 को इंदौर से रायपुर की सुबह 9 बजे की यात्री विमान से उड़ान भरने पर पाया कि इंदौर से रायपुर के बीच धरती पर केवल सड़कों के दोनों किनारों पर ही पुरानी सड़कों पर वृक्ष दिखें जबकि बीओटी की सड़कों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों का भी जहां अनुबंध में वृक्ष लगाने की शर्त होने पर भी ठेकेदारों ने न केवल सड़कों के दोनों किनारों पर वरन बीच में भी वृक्षारोपण वर्षों बाद भी न ही किया जबकि बनाते समय लगे हुए करोड़ों वृक्षों को बेचकर हजमकर गए और हला मचाने, छापने पर दुगुने वृक्ष लगाने की गारंटी इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के सचिव सुलेमान ने दी थी, जो वर्षों बाद भी प्रदेश की हजारों किमी सड़कों पर न तो रा.रा.प्राधिकरण ने मप्र सड़क डकैती निगम पूरी करवा सका, 4 लेन और 6 लेन सड़कों पर बीच में 10 फुट चौड़ाई की जो लाइन बनाकर वृक्षों के लिए आरक्षित की गई है। उसमें दोनों तरफ 3-3 फीट में घनी झाड़ियां और 4 फुट में फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए, ताकि झाड़ियां विपरीत दिशा में आते वाहनों की रोशनी को रोककर सामने से आते वाहन चालक को सुरक्षित रख सकें। बीच के चार फुट के हिस्से में फलदार वृक्षों पर पक्षियों को विकसित करने उनहें घोंसला बनाने के लिए सुगमता से सुबह-शाम का पंक्षियों को कलरव व वाहन चालकों की जीवन यात्रा को सुगम और सुहावना बनाएगा जिससे दुर्घटनाओं को रोकने और कम करने में योगदान देगा।

मप्र खाद्य एवं औषधि नियंत्रक कदम-कदम लूट और जालसाजी

नियंत्रक से निरीक्षकों तक सब वसूली में मस्त

एनएबीएल चौकसी लेब- साधन न सामान, पैसे लेकर बनी सारी रिपोर्ट, नियंत्रक ने बिना निविदा बुलाए दिया जांच का ठेका, बिलों के भुगतान के लिए नियंत्रक का दबाव एनएबीएल प्रमाणीकरण की ही व्यवस्था नहीं

मप्र खाद्य एवं औषधी विभाग में हो रहे चारों तरफ भारी भ्रष्टाचार से जनता की जान और स्वास्थ्य को भारी खतरा है। केन्द्र शासन के बनाए खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-06 के परिणाम अब स्पष्ट दिखने लगे हैं। जिसमें जनता के स्वास्थ्य के नाम पर बहुराष्ट्रीय कं. के हित साधने, उनके लाभ के लिए छोटे व्यापारियों को कानूनों में उलझाकर समाप्त करने, जनता को लूटने के लिए पैकेजिंग के नाम, कुछ भी मिलावटी, स्तरहीन, पुरानी सामग्री बैचने के कांड अब दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खिया बनने लगे हैं। जिसे समय माया इस खा.सु.व मा. अधिनियम-06 के बनाने और भारतीय संसद में बहुराष्ट्रीय कं. द्वारा जिसमें अकेले वालमार्ट ने अ. डॉलर 550 करोड़ जिसका रुपए 60 के हिसाब से रुपए 33000 करोड़, फिर भारतीय पूंजीपति राक्षसों अंबानी, टाटा, बिरला के साथ हिंदुस्तान लीवर या युनिलीवर, इंडियन टोबेको कं. ब्रिटीश टोबेको कं. का भारतीय संस्करण आदि ने भी रुपए 1 लाख करोड़ खर्च कर यह कानून बनवाकर अन्ना के आंदोलन की आड़ में 05/08/2011 से लागू करवा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन गिद्धों ने भारत की दालों को सन् 2013 से संग्रहित कर, अच्छी दालों, चावल, गेहूं, मसालों को विदेशों में निर्यात कर हजारों करोड़ रुपए कमाएं। स्वाभाविक था भारतीय बाजारों में दालों की भारी कमी के कारण तुंवर दाल रुपए 50-60 प्रति किलो की दाल रुपए 200-250 रुपए, रु. 30-40 प्रकि की चना दाल 80-100, मूंग, उड़द, मसुर के भी यही हाल हुए, ये भी रुपए 100 प्रति किग्रा से ऊपर बिकने लगी, अब स्तरहीन, पुरानी दाल आयात करने में भी रुपए 20-40 प्रति किलो हजम करेंगे, अर्थात 5 लाख टन दाल आयात करनें में रुपए 1 से 2 लाख करोड़ रुपए हजम करेंगे।

मेगी कांड में भी केन्द्र व राज्य स्तर पर हजारों करोड़ का लेन-देन करके मामला रफा-दफा कर दिया गया, जबकि नए प्रावधानों में ये सारी जांचे जिस नेशनल एकेडिटेंड बॉयोलॉजिकल लेब में की गई, वो सभी एन.ए.बी.एल. स्तर की प्रयोगशालाओं में न तो स्तर की मशीने हैं न जांच उपकरण, न उतने वैज्ञानिक, न ही एमएससी रसायन शास्त्री पर्याप्त कर्मी, फिर भारत सरकार के पास कौन सा ऐसा विभाग या प्रमाणीकरण संस्था है, जिसने इन प्रयोगशालाओं को प्रमाणित कर राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला घोषित किया है। फिर इनके कार्यों पर किस शासकीय संस्था की निगरानी और नियंत्रण में काम कर रही है। फिर जब सरकारी प्रयोगशालाओं में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है तो निजी प्रयोगशालाओं तो केवल लूटने, खाने के लिए और मनचाही रिपोर्ट बनाने के लिए ही बैठी है। पूरे देश में निजी क्षेत्रों में चलने वाली ऐसी सारी प्रयोगशाला मंत्रियों, उच्च अधिकारियों के रिश्तेदारों की ही हैं। जो सरकारी है, उनमें कमीशन भी नहीं मिलता, फिर मनचाही जांच रिपोर्ट भी मोटा धन खर्च करने पर मिलती है, तो बेहतर है निजी प्रयोगशालाओं में भेजकर एक तरफ खाद्य विक्रेता से वसूली करो, तो दूसरी तरफ निजी प्रयोगशाला के संचालक से भी अपना 20-25 प्रश तक कमीशन सरकारी भ्रष्टाचार की प्रथाअनुसार मिलेगा ही, इसलिए मप्र में बिना समाचार पत्रों के प्रकाशन के ही चौकसी लेब को धूर्त बाणिये पंकज अग्रवाल ने न केवल अधिकृत कर पूरे प्रदेश के सारे नमूने इंदौर की चौकसी लेब मनोरमागंज को सौंपे जाते रहे, जो लगभग दो हजार से ज्यादा थे। जिसके बिलों के भुगतान न होने पर मुख्यालय से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जबकि ऐसी सेवाओं के लिए विज्ञापन के माध्यम से बाकायदा निविदाएं बुलाई जानी चाहिए थीं और जिसके पास अनुभव पर्याप्त साधन, स्टॉफ व न्यूनतम दरों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही ठेका दिया जाना चाहिए था, जो कि कुछ भी नहीं किया गया। सूचना के अधिकार में जब इसकी जानकारी मांगी गई तो मुख्यालय में बैठे जालसाज हरामखोरों ने पत्र को 51 जिलों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अवश्य भेजा परंतु मुख्यालय में हुए इस जालसाजी के बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया, जबकि फर-मार्च 15 के सारे न केवल मेगी वरन् अन्य सभी खाद्य वस्तुओं के औसतन 10 नमूने प्रतिमाह, प्रति निरीक्षक को लेना होते हैं। 9 माह में ही करीब 2200 नमूने इस प्रयोगशालाओं को भेजे गए। प्रति नमूना रुपए 1000 + 12 प्रश सेवाकर अर्थात रुपए 25 लाख प्रतिमाह या रुपए 3 करोड़ प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा। साथ ही रुपए 36 लाख का सेवाकर भी भुगतान करेगा। आखिर सरकार अपनी प्रयोगशाला को ढंग से क्यों नहीं चला पाता, बेशक सरकारी अधिकारियों को इसमें कमीशन तो नही मिलेगा।

नियंत्रक पंकज अग्रवाल ने भी मेगी के खिलाफ बने माहौल से एक तरफ करोड़ों रुपए लेकर जून तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया बाद में एक माह का प्रतिबंध 5जुलाई 15 तक लगाने का आदेश दिया अर्थात जुलाई से प्रदेश में मैगी पर भारी हो हल्ले के बाद भी मप्र में बिकने के लिए स्वतंत्र थी और बिक रही थी। इस हो हल्ले से न क़ेवल प्रदेश के वरन् पूरे देश के इन खाद्य निरीक्षकों सह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भी उचट के लगी। बल्कि हर प्रदेश के नियंत्रक से लेकर सभी निरीक्षकों को इन बड़ी कंपनी वालों ने महीना, तिमहीना, छमाही और वार्षिक मोटी रिश्वत की राशि देने के लिए राजी हो गई। इसका छोटा सा नमूना देखे यहां पर खाद्य निरीक्षक स्वामी को बैठे 5 वर्ष से ज्यादा हो गया। फिर इंदौर में बैठने का शुल्क हर वर्ष रुपए 10 लाख जिसमें स्वा.मंत्री, प्र.सं., नियंत्रक आदि सबको हिस्सा बांटना होता है। कहां से आ रहा होगा, वही हाल औषधि निरीक्षकों अशोक गोयल, अजय ठाकुर का भी है। ये बेचारे हर वर्ष रुपए 20 लाख खर्च करके ही 6-7 वर्षों से ज्यादा समय से बैठे हैं। बदले में 2 से 3 जिलों के इंदौर के साथ अतिरिक्त प्रभार है। इनमें वरिष्ठ निरीक्षक भिगोनिया के पास दवा बाजार जहां से रुपए 21 लाख प्रतिमाह एक मुश्त 700 दुकान, प्र.मा. साथ में दवा फैक्ट्रीयां से प्रति माह रुपए 10 हजार प्रति फैक्ट्री भी बंधा हुआ है। इसके बाद देश के 125 करोड़ मानव रूपी जानवरों को कैसी भी स्तरहीन दवाएं खिलाने और रुपए 20 की दवा पर रुपए 200 में बैचों लूट पर कोई प्रतिबंध नहीं।

इंदौर में व प्रदेश में बैठे 40 औषधि निरीक्षकों में से अधिकांश अनुभवहीन और व्यापमं की परीक्षा में धन, बल खर्च करके आए हुए ही है। बेचारे हरामखोरों की फौज वसूली करें या नमूने लें। सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई नमूने ही नहीं लिए गए जानकारी निरंक है। जब खाद्य निरीक्षकों को 10 खाद्य नमूने लेकर जांच के लिए भेजना आवश्यक है तो औषधि निरीक्षकों को क्यों नहीं, दूसरी ओर प्रदेश की 7.25 करोड़ की आबादी पर मात्र 40 औषधि निरीक्षक जिसमें 30 से ज्यादा को अनुभव तो दूर भा. औषधि कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 भी पूरा ढंग से नहीं पड़ा है। फिर नमूने, दुकानों की जांच तो दूर लाइसेंस जारी करने में मिलने वाले रुपए 20 हजार, रुपए 15 हजार एसडीएम के रुपए 5000 बाबुओं व अन्य फीस की वसूली नहीं कर पाते। स्वा. मंत्री, प्र.स. आयुक्त को मोटा माल हर साल मिलता है इसलिए भर्तियां नहीं चाहते। एक औ. नि. के पास तीन-चार जिले तक है। जहां केवल एकसूत्रीय वसूली का कार्यक्रम ही चलता है। भाजपा की मोदी सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 जो पूंजीपतियों के लिए कांग्रेस ने बनाया था जिसमें हर खाद्य वस्तु को पैकेट करके बैचना है। जैसा कि समयमाया ने सन् 2006, 2007, 08,09,10,11,12,13,14 में लिखा था ये पूंजीपति शूकरों की फौज आम आदमी को सड़ा, पुराना, स्तरहीन और मिलावटी सामान भी भारी ऊंची कीमतों पर बैंचकर जीना मुश्किल कर देगी, परिणाम सामने हैं कि सन् 2013 की पैकेट बंद रिंग दो बालिकाओं ने महंगी कीमत पर खाए, फूड पायजिंग में एक मर गई दूसरी भर्ती है। पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता उसे तो मोटा कमीशन चाहिए, सारी जनता इन कं. की लूट-खसोंट और महंगाई से भूख के कारण मरे या मिलावटी स्तरहीन महंगी खाद्य सामग्री खाकर मरे, ये भाजपाई गिद्ध भी पुराना कानून लागू नहीं करेंगे। इन्हें भी वसूली चाहिए। सत्ताधीशों के ही अच्छे दिन आए हैं। त्यौहारों का मौसम सिर पर है। निरीक्षकों का वसूली का मौसम की बसंत बहार आई है।

मप्र शासन शराब माफियाओं की कठपुतली

शराब-कोई स्तर नहीं, मूल्य नहीं लूट बेहिसाब

हर वस्तु की न्युनतम व अधिकतम कीमत, शराब के मामले में कुछ नहीं, न स्तर का मापदंड, न कीमतों का, आबकारी व खाद्य विभाग भी नमूने भी नहीं लेता

मप्र की भाजपा सरकार की शराब माफियाओं की कठपुतली बन नाच रही है। आबकारी विभाग में चपरासी से लेकर जिले का आबकारी अधिकारी सहा. आयुक्त भी वेतन से हजारों गुना ज्यादा की कमाई कर रहा है, अगर लोकायुक्त को महीना न मिले और हर कर्मचारी अधिकारी की बारीकियों से जांच की जाए तो मालूम पड़ेगा कि सरकार को कुल शराब देशी व विदेशी, गांजा, भांग, डोडा, चूरा, अफीम का मात्र 10 से 20 प्रतिशत ही राजस्व मिल रहा है। बाकी 30 से 40 प्रश में आबकारी, पुलिस और प्रशासन से लेकर मंत्री-संत्री तक बंदरबांट हो रही है। शराब की अवैध बिक्री से लगभग रु. 10000 करोड़ से ज्यादा धन दारु विक्रेता देशी-विदेशी के माध्यम से कमा रहे हैं। सरकार में बैठे आबकारी चपरासी से लेकर मंत्री, सचिव, प्र.स., मु.मं. तक सब जानते हैं। पर हजारों करोड़ की रिश्वत के चलते सब चुप है।

खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 में पानी से लेकर खड़े अनाजों, सब्जियों तक नमूने लिए जाते है, जो कि प्राकृतिक रूप से धरती से उपजाई जाती हैं पर शराब के नमूने लेने, उस पर अधिकतम कीमत का निर्धारण, उपयोग की उत्पादन का बैच नंबर दिनांक, अल्कोहल की मात्रा, पीने पर उसके प्रभाव और दुष्परिणामों के बारे में क्यों नहीं छापती, उसके लेवल पर भी लिखा भी जाता होगा तो इनके बारीक अक्षरों में कि वो पढ़ने योग्य नहीं होता, आखिर फिर सोम डिस्टलरी जो कि पूर्णतः स्तरहीन शराब की पेकिंग करती है, जो कि पिछले 20 वर्षों से अपनी फैक्ट्रीयों से निकले अवशिष्टों से पर्यावरण बिगाड़ रही है देशभर में इस कुख्यात निर्माता पर अभी तक कार्रवाई न होना, क्योंकि न केवल सौम वरन सभी शराब उत्पादकों के सामने सरकार भी नतमस्तक है। यदि आबकारी विभाग इसका उत्पादन, वितरण, स्तर, कीमत देखता है तो आबकारी विभाग ने कितने नमूने लिए, कीमत क्यों निर्धारित नहीं की जाती, ये दवाइयों से ज्यादा लाभांस कमा रही है। रुपए दो रुपए कीमत की दवा यथा 22 की कीमत पर रुपए 20 कीमत लिखी जाती है, पर शराब की बोतल पर जो कि रुपए 10 कीमत में बनती हैं रुपए 150 से रुपए 200 में बेची जाती है। प्रदेश में चल रही सभी डिस्टलरियों पर आबकारी विभाग की मेहरबानी देखिए कि हर शराब उत्पादन केन्द्र पर जिला स्तर का आबकारी अधिकारी बैठे होने के बाद भी उसे हर ट्रक पर रुपए 50 हजार से 1 लाख की शराब कीमत का भुगतान किया जाकर एक टीपी पर लगभग 10 ट्रक शराब बाहर भेजी जाती है यही कारण है कि गुजरात में शराक की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद हर तीसरे घर में शराब का गोरखधंधा मप्र में भेजी जाने वाली शराब से ही चल रहा है। देशी शराब पूर्णतः रसायनों से बनाई जाकर पैकिंग का ठेका बड़ी डिस्टलरियां को देकर, उसमें भी मोटा कमीशन आबकारी आयुक्त और मंत्री को पहुंचाया जाता है। आजकल लोकायुक्त के छापों को देखते हुए हर रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी ने अपने कई बैंक खाते खोल रखे हैं। अपने सगे-संबंधियों के नाम से निजी बैंकों में जिसमें रिश्वत सीधे जमाकर दी जाती है और केवल जमा पर्चीयां दिखाकर कार्य कर जाते हैं, इसलिए ठेकेदारों को लूट की पूरी छूट में ज्यादा कीमत वसूलने की पूरी छूट दी जाती है, इसलिए कोइ स्तर, कीमत, नमूने लेने का कोई प्रावधान क्यों किया जाएगा।

बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए डाटा इकट्ठा करवाने माता-पिता पर दबाव

1 से 10वीं तक के छात्रों से मांग रहे आधार कार्ड

गरीब माता-पिताओं को धमका रहे स्कूल, स्कूलों को संकुल प्राचार्य

मोदी के अच्छे दिनों का वादा तो दूर, जो थोड़े ठीक थे, वो भी नहीं रहे। चारों तरफ महंगाई की मार से गरीब, गरीबी रेखा के नीचे का श्रमिक वर्ग किस प्रकार से अपने दो बच्चों को दो वक्त की रोटी खिला कर स्वयं भूखा सोकर स्कूल में रु. 1000-2000 की फीस भर रहा हैं, स्कूलों में निजी स्कूलों में भी 70 प्रश कोई बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई जा रही, परंतु गरीब मां-बाप स्वयं फटे कपड़े पहनकर भी बच्चों की महंगी ड्रेसेस, जूते, कॉपियां, किताबे खरीदकर उनका भविष्य संवारने में जुटे हैं। हर वर्ष प्रवेश शुल्क व अन्य शुल्क क्रीड़ा शुल्क, पुस्तकालय शूल्क वसूला जाता है, जबकि न तो खेल का मैदान होता है और न पुस्तकालय, फिर पुस्तकालय का उपयोग तो तब हो जब तरीके से बच्चे पढ़ना जानेंगे अकेले इंदौर में 2000 से ज्यादा स्कूल, पूरे मप्र में 25000 से ज्यादा और पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा स्कूल निजी स्तर पर चल रहे हैं। जिनकी लूट-पाट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, न्यायालयों ने इस संबंध में अनेको निर्णय दिए जिनका पूरे भारत में कहीं भी पालन नहीं हो रहा। मप्र की सीएम ऑनलाइन में शिकायत करों तो स्पष्ट कह दिया जाता है कि निजी स्कूलों की कोई शिकायत नहीं की जाती।

इसके विपरीत दूसरी तरफ सरकारें और केन्द्र सरकार ने एक नया आदेश दिया कि 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के आधार कार्ड, बैंक खाते खुलवाए जाए अन्यथा बच्चों को निजी स्कूलों से भी नामक काटकर भगा दिया जाएगा। माता-पिता मजदूरी करने जाए या बैंक वालों की गालियां और बत्तमीजियां झेलकर भूखे सोकर रु0 1000 के बैंक खाते खुलवाए क्या यही हाल आधार कार्ड का भी है। नगर निगम, जिलाधीश कार्यालय के चक्कर काटो बच्चों को लेकर, 3-4 दिन बर्बाद करो, छह माह तक आधार कार्ड बन जाए जब स्कूल में जमा करो, अन्यथा बच्चों का साल बर्बाद करो।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय जो आधार कार्ड की अनिवार्यता का समाप्त कर दिया फिर भी मोदी की आत्मा इतनी बैचेन क्यो है? आधार कार्ड के लिए क्या सबको जिसमें देश के 30 करोड़ बच्चे हैं, इकट्ठा कर विदेशी कंपनी को सौंपकर उन्हें भविष्य के षड़यंत्र रचने अपना माल बैचने, दवाए बैचने की तैयारी करवाना चाहती है।

क्योंकि सारा डाटा भारत के पास ही न हो गूगल और इंटरनेट साइट के माध्यम से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु देश के पास जरूर एकत्र किया जा रहा है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कं. जो खाद्य, औषधियों, कास्मेटिक्स, मोबाइल कं. आदि के व्यापार में संलग्न है। भविष्य के षड़यंत्रों, आने वाली पीढ़ी जो संभावित ग्राहक है को अभी से अपने ग्राहकों के रूप में और कमाई के साधनों के रूप में अपने विज्ञापनों को केन्द्रित करने में लगी है। मोदी सरकार आधार कार्ड, बैंक खातों के माध्यम से सारा डाटा थाली में परोसकर देने पर अमादा है।

साप्ताहिक समय माया

मप्र वाणिज्यकर लूट सके तो लूट...भ्रष्टों को अपनी कमाई के लिए संरक्षण

महिला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा खूला लूट का तांडव

मप्र वाणिज्य कर के इंदौर मुख्यालय में ही उच्च अधिकारियों लंच के लिए सवा एक बजे से चाय के नाम पर गायब होकर 3 बजे तक अपने कक्ष में लौटते हैं। स के सब उच्च अधिकारी वा.क.अ., सहा आयुक्त, उपायुक्त, अपर आयुक्त तक या अन्य अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी यथा संचालक आदि के कक्ष में बैठकर एक सवा एक बजे से 3 बजे तक गपियाते रहते हैं। आंगुतक, कर सलाहकार व अन्य उनसे मिलने आने वाले मुख्यालय में यहां-वहां घूमकर समय व्यतीत करते रहते हैं। अर्थात जब मुख्यालय का ये हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश के 51 जिलों के वाणिज्यकर कार्यालयों से, पूरे वाणिज्यकर मंत्रालय भोपाल तक भ्रष्टाचार, धूर्तता और आबकारी का क्या हाल होगा?

3 सितम्बर 15 को मुख्यालय इंदौर के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी जिसमें प्र.स. मनोज श्रीवास्तव जो पूर्व में इंदौर के जिलाधीश व जनसंपर्क के आयुक्त रह चुके है कि किस प्रकार रायल्टी भुगतान करते थे, तत्कालीन मु.मं. दिग्गी दानव को और किस प्रकार वसूली करते थे। मप्र लोक सेवा आयोग में पदोन्नति समीति जो विभागीय सभा हुई थी। जिसमें महीनाभर गुजर जाने के बाद भी केवल एक सूची जिसमें वा.क.अ. से सहा. आयुक्त की पदोन्नतियां की जानी थी। जिसमें कुछ अधिकारी 30 सितम्बर 15 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। चारों तरफ से दबाव डलवाकर जारी कर लाई गई थी, जिसमें मात्र वा.क्र.अ. घोड़ावत का ही लाभ हुआ। बाकी सारी सूचियां धन के लेन-देन के लिए मंत्रालय में प्रधान सचिव मनोज श्रीवास्तव के पास लंबित हैं। श्री अजमेरा ने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी जिसे 1 माह गुजरने के बाद भी मंत्रालय से जवाब अप्राप्त है। निष्कर्ष यह है कि जब मुमं, मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव ही भ्रष्टाचार से धन कमाने की लालसा में अपने विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को वसूली के लिए परेशान कर रहें हो तो फिर व्यापारियों को लूट की छूट देकर, अधिकारी, कर्मचारी अपनी भ्रष्टाचार से कमाई करके ही तो मंत्री, प्र.स., सचिवों को धन देकर ही तो अपने कार्यों को संपन्न करवाएंगे। फिर धन प्राप्ति के लिए जब उच्च अधिकारी ही नियम कानूनों की धज्जियां बिखेरने पर तुले हों, इन्हीं हरामखोर धूर्त मंत्री जयंत मलैया और प्र.स. मनोज श्रीवास्तव ने एंटी इवेजन ब्यूरो की विंग में सोनकर और मोरे को 3 वर्ष बाद भी स्थानांतरण रद्द कर उन्हें वहीं काम करने की छूट दे दी। जिसमें रुपए 20 लाख का लेन-देन हुआ, फिर पूरे प्रदेश के एंटी इवेजन ब्यूरों में घोर भ्रष्टाचारियों को धन लेकर बैठाया गया, जिसमें पांडे, सलूजा, प्रदीप दुबे, डीपी और आरके शर्मा, यूएस बेस आदि थे। एक-दो को छोड़कर सबके भ्रष्टाचार, जालसाजियों और राजस्व की हानि पहुंचाकर खूब कमाई की जांच भी लंबित थी। धन के दम पर ही इंदौर की एविंग में अभी तक सहायक आयुक्त की पद स्थापना के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई, ताकि एक हिस्सा ज्यादा न बंटे, जिन्होंने धन खर्च कर एंटी इवेजन ब्यूरो में नियुक्तियां ली है, उनकी कमाई हो सके। दूसरी ओर स्वकर निर्धारण और मान्यकर निर्धारण में भी भले ही सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को समाप्त करने और माल व सेवाकर लगाने के उद्देश्य जो स्वकर और मान्य कर निर्धारण के माध्यमों से छूट दी जा रही है। उनकी कुछ विवरणियों को पुरुष अधिकारियों द्वारा भले ही लोकायुक्त के डर से जो दे उसका भी भला जो न दे उसका भी भला के सिद्धांत पर स्वीकार किया जाकर, फाइले निपटाई जा रही हैं। इसके विपरीत महिला अधिकारी जिसमें वृत्त क्रमांक11 की सहा. आ. श्रीमती रूबी सोनी वहीं की वा.क. अ. श्रीमती संगीता परिहार , वृत्त क्रमांक 10 की श्रीमती विनिता जैस, उनकी वा.क्र.अ., वृत्त क्रमांक 13 की श्रीमती पूर्णिमा चौरसिया व उनका वा.क्र.अ. सहा. वा.कर अधि. आदि बेखौफ होकर स्वकर और डीम्ड निर्धारण में दोनों में हाथ, कर सलाहकारों के माध्यम से व सीधे ही दोनों हाथों से वसूली में जूटे हैं। जबकि वृत्त क्रमांक 9 के सहा.वा. कर अधि. निशीथ पटेल को डीम्ड के अंतर्गत कर वितरणी स्वीकारने में रिश्वत के मामले में लोकायुक्त द्वारा प्रकरण बनाया गया है। तब से पुरुष अधिकारियों के हौंसले पस्त हो चुके हैं। बेशक ऐसा नहीं है कि जनता से व्यापारी कर वसूलकर ईमानदारी से विभाग के सामने समर्पित कर रहा है, परंतु अब पुरुष अधिकारी व्यापारी की कर चोरी की छूट में अपनी लूट का हिस्सा सीधा डकारने या वसूलने की अपेक्षा फूंक-फूंक कर कदम रखते हुए अपने सबसे विश्वास पात्र अपने अंतर्गत कार्यरत कर्मी को वसूली प्रभारी बनाकर बच रहे हैं। वृत्त क्रमांक 9,10,11,12, 13 को सूचना के अधिकार में पत्र देकर यथार्थ जानने और शासन के राजस्व की हानि जानने का प्रयास किया गया तो इन सभी धूर्त व जालसाज अधिकारियों ने अपनी वसूली और भ्रष्टाचार छिपाने का अपने स्तर पर प्रयास किया जिसमें इनसे महीना हजम करने वाले अपीलीय अधिकारी और उपायुक्त ने बचाने का प्रयास भी किया जिसमें सहा. आयुक्त दीपक श्रीवास्तव अपनी जालसाजी पूर्ण चालों में कामयाब रहें। जबकि इस हरामखोर को पत्रोत्तर भी 30 दिन बार प्राप्त हुआ था। धन जमा करने का, फिर भी जानकारी धारा 7 (6) के अंतर्गत निःशुल्क नहीं दिलवाई गई। वृत्त 10 पक्ष की जानकारी बताकर पत्र ही निरस्त कर दिया था, परंतु अपीलीय अधिकारी और उपायुक्त एके जोशी सं.क्र. 2 ने सारी दलीलों को खारिज करते हुए जानकार निशुल्क देने का आदेश दिया तो इसने जानकारी जो 5 पेज की थी इसे इतना छोटा 4 फोंट में परिवर्तित कर एक पेज में दे दिया, ताकि उसे पढ़ा ही ना जा सके। वृत्त क्रमांक 11 कि श्रीमती रुबी सोनी के पत्रोतर में जब शुल्क जमा करने के लिए कहा तो स्टाफ बोलने लगा मेडम से मिलो तो जवाब दिया गया कि क्या जरूरत है मैडम से मिलने की आप तो पैसा जमाकर रसीद और जानकारी दो तो बोले नहीं मैडम ने मना किया है। वृत्त क्रमांक 13 की सहा. आयुक्त श्रीमती पूर्णिमा चौरसिया ने भी आवेदन को श्रीमती जैस की तरह, जानकारी देने से मनाकर दिया था, पर अपील में जब जालसाजी और चालबाजी की भा. दंड संहिता की धाराएं लगाकर स्पष्ट लिखा गया कि प्रकरण न्यायालय ले जाया जा सकता है तब निःशुल्क देने के आदेश के बाद भी दो महीने से जानकारी नहीं दी जा रही हैं। इन सब पर लोकायुक्त और आयकर के छापे पड़े और इन सबके घरों पर लाखों रुपए की नगदी मिलेगी। सहा. आयुक्त रूबी सोनी जिसके पति एसडीएम संदीप सोनी जो एमआईसीटीसी एल व कलेक्टर कार्यालय में भारी भ्रष्टाचार कर रहा है, करोड़ों रुपए की नगदी व अन्य संपति मिल सकती है, दोनों ही घोर भ्रष्ट और जालसाज हैं। 29-30 चेक पोस्टों में भी हर छह माह में नियुक्तियां में भी वा.क. अधि., सहा. वा.क.अधिकारी में जमकर लेन देन होता है। वहां पर नियुक्ति लेने वाला धन कमाने ही जाता है। ट्रकों की जांच, बिल्टी आदि जांच के नाम पर अब नगद में वसूली नहीं की जाती है, अब वहां बैंक खाते और नाम की पर्ची पर दलालों के खाते में धन जमा करवाकर पर्ची देखकर ट्रक छोड़ जाते हैं। जिसके समाचार आए दिन दैनिकों में छपते रहते हैं।

हर जिले के जिलाधीश और मु.का.अ. होते हैं, सबसे बड़े डकैत

अरबों रुपए महीना डकारते हैं, कलेक्टर और मु.का.अ. जिला पंचायत

आदिम जाति, अनु. पिछड़ा वर्ग, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से हजम करते हैं, महीना देते हैं संरक्षण, सूअअ में की अपीलें हजम, इंडियन एव्यूसिंग सर्विस देश के खुदा से लेकर सबसे बड़े डकैत

वर्तमान केन्द्र व राज्यों की भाजपा सरकारें, कांग्रेस की जालसाजियों और भ्रष्टाचारों को कहीं पीछे छोड़ दिया है, दूसरी ओर सत्ता चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, सत्ता में बैठे असली खुदा और महाभ्रष्ट, मक्कार, महाजालसाज, शास. डकैतों की फौज आई। ए.एस. जो अरबों रुपए एक झटके में डकार जाती है। हर वर्ष जनधन का और जनता से लेकर जिसके हर विभाग में जिसमें लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, गृह स्वास्थ्य, शिक्षा, आबकारी, कृषि, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, रेशम, लघु उद्योग, आदिम जाति, पिछड़ा व अल्पसंख्यक खनन पंजीयन, श्रम उद्योग, नगर निगमों, राजस्व आदि में आने वाले आबंटन अरबों रुपए खर्च में से 5 से 10 प्रश का हिस्सा, फिर जिला पंचायत में बैठे धूर्त मु.का.अ. आशीष सिंग, इंदौर के साथ देवास व 49 जिलों के दोनों हाथों से मनरेगा, मध्यान्ह भोजन से लेकर 84 योजनाओं की 32 रोकड़ लिखी जाती है। 10 से 20 प्रश सीधे हजम कर जाते हैं। इंदौर में ही पिछले 30 वर्षों के इतिहास देखें तो अधिकांश धुर्तो ने जमीनों के धूर्त माफियाओं, कॉलोनाइजरों के इशारे पर लगभग 2000 से ज्यादा कॉलोनियां जो अधिकांश अवैध तरीकों से नजूल, कृषि भूमि, नदी, नालों की चरनोई हड़पकर काटी गई, जिसमें इन हरामखोर जालसाज जिलाधीशों ने ही हजारों करोड़ हजम कर मूल स्वीकृति देकर जनता को लुटवाया। अरबों रुपए के छात्रवृत्ति घोटालों, खादी ग्रामोद्योग घोटालों, खनन घोटालों अरबों रुपए की रोज की शराब बिक्री में भी ये शूकरों की फौज अपना हिस्सा डकारकर भ्रष्टाचार की संबंधित विभाग के अधिकारी को खूली छूट देती है। इसीलिए ऐसे सभी घोटालों और भ्रष्टाचार में हुई शिकायतों और जांचों को वहां का जिलाधीश उप जिलाधीश व सहा. जिलाधीश व अन्य अधिकारी कर्मचारी मोटा हिस्सा डकारकर दबा देते हैं। हर जिले का जिलाधीश बनने और जमे रहने की दरें जैसे दिग्गी दानव के काल में होती थी। अब शिवराज के काल में भी होने लगी हैं। साथ ही मासिक रायल्टी की दरें भी तय होती है। जो मुख्य मंत्री कार्यालय में बैठे धूर्त प्र.स. इकबाल सिंग बैस व अन्य तय कर वसूली करते हैं। निश्चित करते हैं कि कौन सा भ्रष्ट जालसाज, वफादार कहां बैठाया जाए, यह सूबे का भाई का हर अधिकारी का हर विभाग में चल रहा है। यथार्थ में अगर मुख्यमंत्री निवास प्र.स., सचिवों, मंत्रियों, जिले के कलेक्टरों, एसडीएम, एडीएम से लेकर हर विभागीय अधिकारियों, पुलिस में आईजी, एसपी, टीआई से लेकर उपनिरीक्षक तक अगर सबके घरों में छापे डाले जाए तो उनसे बड़ा हवाला कांड कोई नहीं करता। सबके पास इतनी नगदी मिल जाएगी, कि प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन बंट सकें। वर्तमान में जिलों के कलेक्टर से लेकर हर विभाग के अधिकारी बनने की सर्वश्रेष्ठ योग्यता होती है, कितना लूटकर, हमें लुटाओगे फिर तुम कुछ भी हो तुम्हारा इतिहास कैसा भी हो सब चलेगा। प्रदेश के महाभ्रष्ट, जालसाज, राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को भा. प्रशासकिय सेवा में केवल धन और भ्रष्टाचार के दम पर ही पदोन्नतियां मिलती हैं। देवास का वर्तमान कलेक्टर आशुतोष अवस्थी वर्षों तक उज्जैन और इंदौर जिला पंचायत का मु.का. अधिकारी रहकर अरबों के भ्रष्टाचार किया। यहां तक कि वसूली के लिए कर्मचारियों और अधिकारीयों को प्रताडित करना, ग्राम पंचायतों के सचिवों, सरपंचों को 30 से 40 प्रश नगद वसूली कर ही योजनाओं का धन आवंटन करना न देने पर उनके विरुद्ध शिकायतें, जांच, नोटिस भेजना तक करता रहा है। लोकायुक्त के लपेटे में आने, उच्च न्यायालय में जांच को रोकने आदि में भी काफी धन खर्च कर, अंत में इंडियन एव्यूसिंग सेवा में पदोन्नति लेकर पहले मोटाधन खर्च कर बुरहानपुर में पदस्थापना ली और अब देवास में है। अब कलेक्टर है जिसका काम ही चारों तरफ से कलेक्ट करना हैं भ्रष्टों को बचाना धन लेकर, वसूली के लिए अन्य विभागों के जिला अधिकारियों को हड़काना, डांटना और फंसाना इसके रग-रग में बसा है। देवास के कृषि विभाग में भूमि संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत टीसी छावनिया जिसके कार्यकाल में 389 तालाब जिनका अनुदान बांटा गया था। गायब पाए गए कार्रवाई में कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने इस हरामखोर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उसकी एफआईआर फाइल की जाए परंतु इस जालसाज ने रुपए 50 लाख लेकर न केवल उसकी एफआईआर दो महीने बाद तक न केवल थाने में नहीं वरन् उसे बचाने के षड़यंत्र के तहत फिर से जांच करने के मामले में उसको उलझाकर बचा रहा है। दूसरी और लेन-देन को लेकर मु.का. अधि. अभिषेक से न पटने के कारण उसे भगवा दिया और वहां का प्रभार एडीएम को जून से दिलवाकर स्वयं पंचायतों की विकास योजनाओं का धन सीधे ही हजम कर रहा है।

खनन के मामले में भी नेमावर से लेकर इंदिरा सागर बांध की पूरी पट्टी से रेत पत्थर के साथ देवास के पहाड़ों को कटवाकर पत्थर की व अन्य खनिजों की रायल्टी में भी भारी वसूली कर रहा है। इसके रहते अधिकांश विभागों के अधिकारी इसकी वसूली से भारी परेशानी के कारण देवास जिले में काम करना नहीं चाहते हैं। यह तथ्य अवश्य है कि देवास जिले के अधिकांश विभागों में भी चुन-चुन कर भ्रष्ट ही बैठाए गए हैं। चाहे फिर वह उद्यानिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, खनन, राजस्व, सहकारिता, रेशम, पशु चिकित्सा, खाद्य एवं औषधि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, आबकारी, पुलिस, वन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, अत्यांवसायी, कृषि, उद्योग, पंजीयन, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ग्रामीण यांत्रिकीय, मंडी, विद्युत वितरण कं. श्रम ग्रामीण, सड़क, लो.नि.वि. परि. कि. ई., जनसंपर्क, कोषालय, पंचायत एवं समाज कल्याण आदि सबसे वसूली करने के बाद भी हड़काता है। बेशक यह जिलाधीशों का हाल हर जिले में है, फिर पैसा भोपाल तक भी सारे विभागीय सचिवों, प्र. सचिवों से लेकर मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री तक को भी पहुंचाया जाता है। इसलिए शान से कलेक्ट कर रहा है। वैसे आयकर और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी कभी-कभी इन कलेक्टरों और मु.का.अधि. के घर पर भी छापा मारना चाहिए। लोकायुक्त को तो अनुमति लेने में ही वर्षों गुजर जाएंगे। पर हर सत्ताधीश के वित्त और चुनाव जिताने में ये ही तो जालसाजियां करती हैं। इसलिए ही तो ये मंत्री, मु.मंत्री इनके सारे गुनाह माफकर सत्ता-सुख तो जालसाजियां करते हैं। इसलिए ही तो ये मंत्री, मु.मं. इनके सारे गुनाह माफकर सत्ता-सुख भोग पाते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महीना वसूली कर है चुप

खाद्य नियंत्रक गुप्ता भ्रष्टों को संरक्षण दे, जुटे हैं वसूली में

जिलाधीश को दी अपील, दबाकर चुप है, वसूली में हिस्सेदारी

इंदौर के वर्तमान खाद्य नियंत्रक केसी गुप्ता पहले भी इंदौर में रह चुके थे। मंत्री को मोटा धन देकर पुनः इंदौर में खाद्य नियंत्रक बनकर पदस्थ हो गए। जिसके मूल में था इंदौर जिले में होने वाली मोटी कमाई, 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप, 450 से ज्यादा राशन दुकाने, 15 से ज्यादा गैस एजेंसियां, 1200 से ज्यादा मिट्टी तेल हॉकर इन सबसे बंधा हैं, महीना।

स्वाभाविक है जब महीना मिलता है, बिना कुछ किए बिना तो क्या जरूरत है, ज्यादा हाथ-पैर मारने की, फिर बदलती सरकारी नीतियां, खाद्य पर्चीयां बांटने, राशन कार्ड में नाम काटने जोड़ने के काम में भी सारे निरीक्षक सहा. व खाद्य आपूर्ति अधिकारी सब ही जुटे रहते हैं। खाद्य पर्चीयों के वितरण का जो खेल वर्तमान में चल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के दबाव और प्रभाव के चलते आने वाले समय में सरकार शनैः-शनैः उनको अंतरित करने की तैयारी में हैं। सरकार की निगाह में वैसे भी अब केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को ही सस्ते राशन, चावल, शक्कर, मिट्टी तेल की आवश्यकता है। भाजपा के आते ही गरीबी रेखा से ऊपर, और सामान्य वर्ग से नीचे की श्रेणीयों के राशन की आपूर्ति बंद कर दी गई हैं।

पेट्रोल-डीजल गैस पंपों पर जनता के साथ हर तरह से लूट की जा रही है,न केवल मिलावटी पेट्रोल व डीजल, जिसमें मिट्टी के तेल से लेकर हेबजीन साल्वेंट, मिट्टी का तेल, एचएसडी तक सब मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसको जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। 90 प्रश पेट्रोल डीजल और जैसे पंप मिलाकर दिन दूनी रात चौगुनी कमाई कर रहे हैं। इसलिए महिनों वर्षों तक पेट्रोल व डीजल के ये नमूने तो दूर झांककर नहीं देखते, बस महीना वसूली करने के लिए खाद्य निरीक्षक व आपूर्ति अधिकारी, नाप-तौल निरीक्षक पहुंचते हैं। नापतौल के हरामखोरों की मिलीभगत और महीना वसूली का ही परिणाम है कि 90 प्रश पेट्रोल डीजल व गैस पंपों चाहे वो निजी कं. के या पुलिस पेट्रोल पंप 10 प्रश से 30 प्रश पेट्रोल डीजल ग्राहकों को भरते समय चोरी किया जाता है।

समय माया ने 10 वर्ष पूर्व भी इन भ्रष्ट नाप तौल व खाद्य निरीक्षकों व अधिकारियों की पंप मालिकों के साथ मिलावटी और कम नाप की आवाज उठाई थी। तब तत्कालीन जिलाधीश सुलेमान ने पेट्रोल डीजल पंपों पर इन निरीक्षकों को तेल का टैंक खाली करते समय उसकी गुणवत्ता जांचकर ही जमीन के अंदर बने टैंकों में खाली करने का आदेश जारी किया था। साथ ही पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में पारदर्शिता दिखाने के लिए कांच की ट्यूब जो एक दो इंच की हो लगाने के लिए सभी तेल कंपनी को आदेशित किया था, उसके कुछ सार्थक परिणाम सामने आए थे और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने डिलेवरी पाइप के धातु के हिस्सें में आधा इंच परिधि का आर-पार दिखने वाले कांच वाली डिलेवरी नोजल की व्यवस्था भी की। पेट्रोल पंपों पर देखने को मिलती है। परंतु भारत पेट्रोलियम और इंडियन आइल के धूर्त डकैतों ने अपने डीलर पंप मालिकों क़ो जनता की लूट की पूरी छूट दे रखी है, जबकि स्वयं इन जालसाज कं. को पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता और खर्च किए धन का ग्राहकों को पूरा माल मिले इसकी स्वयं जांच करने की जिम्मेदारी है, परंतु क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक रुपए 25से 50000 बिक्री के हिसाब से वसूली कर पंप मालिकों को जनता की जेब पर डकैती डालने की आंख मींचकर छूट देते हैं। यदि फिर क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक यदि मासिक वसूली लेता है, तो इन पंप मालिकों मिलावट के लिए डिपो से ही एनएसडी, हेवजीन, मिट्टी का तेल, साल्वेंट जो सोया प्लांटों, फैक्ट्रियों और उद्योगों के लिए गुजरात, महाराष्ट्र से रुपए 12 से 15 प्रति लीटर में मिलता है की व्यवस्था में अपना हिस्सा वसूलकर व्यवस्था करवाते हैं। जो कि आसानी से पेट्रोल में मिलाकर सीधे वाहनों में पेट्रोल के भाव भर दिया जाता है।

नीले मिट्टी के तेल का एक बड़ा स्त्रोत राशन दुकानों, सहकारी समीतियों से गरीबों को बांटा जाने वाला और उद्योगों में लगने वाला सफेद मिट्टी का तेल भी कालाबाजारी कर सीधे पेट्रोल में मिला दिया जाता है। पूरे प्रदेश में हेक्जीन, साल्वेंट व अन्य सस्ते पेट्रोल में मिलाए जाने वाले तेलों की आपूर्ति का गढ़ हैं। जबकि रिलायंस के अंबानी बंधुओं की जामनगर रिफायनरी से अधिकृत रूप से तो उसका उत्पादन एक लाख 20 से 40 हजार बैरल है, परंतु यथार्थ में यह सब टैक्स चोरी करने के लिए है। वास्तविक उत्पादन 3 लाख बैरल प्रतिदिन है,जो सीधे ही एचपीसीआईओसी और बीपीसीएल के फुटकर पंपों के माध्यम से बिकवाया जा रहा है जिसमें मात्र 35 से 40 आक्टेन का पेट्रोल बैचा जाता है, जबकि स्तर 58 से 60 आवेटन का पेट्रोल होना चाहिए, मिलावट के बाद यह 20 से 30 आक्टेन रह जाता है।

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर राज्यों की सरकारों के पास इस जांच के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है, जो जांच प्रयोगशालाएं हैं वो सब तेल कंपनी की हैं। जो 80 प्रश मिट्टी के तेल मिले पेट्रोल-डीजल को भी पूर्णतः शुद्ध का प्रमाण पत्र पिछले 40-50 वर्षों से देती आ रही है। इस लिए खाद्य निरीक्षकों का कहना है कि आखिर इन पेट्रोल पदार्थों की जांच का नमूना लेने के बाद कोई औचित्य ही नहीं है, तो बेहतर यही है कि पेट्रोल पंप वाले मिलावटी बैच भी रहे हैं तो बेचे हमें तो रुपए 10000 से 20000 देते हैं न। हम पकड़कर बुराई भी मोल लें फिर कमाई से भी जाए। हमें भी टिके रहने के लिए जिलाधीश प्रभारी मंत्री, विभागीय मंत्री के साथ कभी सचिव, कभी प्र.स. इंदौर आते ही उनके रहने, भोजन, भोगन की व्यवस्था अपनी जेब से करनी पड़ती है। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ता है तो हमारे पास क्या आसमान से टपकेगा।

अब यदि एक निरीक्षक रुपए 20 से 30 लाख, सहा व आपूर्ति अधिकारी 25 से 40 लाख, खाद्य नियंत्रक रुपए 3 से 5 करोड़ नहीं कमाएगा तो फिर इंदौर में रहने का फायदा क्या? जहां तक जनता के लुटने का सवाल है तो अगर गैस एजेंसी, पंप मालिक, राशन दुकानें, मिट्टी के तेल बेचने वाले जनता को नहीं लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो हमारी जेब ने माल कहां से आएगा, फिर जनता तो लूटने और मरने के लिए पैदा हुई है। यही कारण है कि इन धूर्तों और मक्कार श्वानों को सूचना के अधिकार में जानकारी मांगो तो बिना पेज गिने उल्टे-सीधे दस्तावेजों की वास्तविक कीमत से ज्यादा पैसे मांगेगे, समय बाधित होने पर जवाब देंगे। जब जिलाधीश को अपील लगाओ तो वह चूंकि जिले का सबसे बड़ा सरकारी कानूनी डकैत है। 2-3 महीनों तक अपील की सुनवाई नहीं करता और क्यों करे भी तो महीने में से महीना वसूल रहा है। क्यों और कैसे सुनवाई करें।

बंद करों मप्र सड़क डकैती विकास निगम चारों तरफ जालसाजियों

चारों तरफ लूटपाट, जालसाजियां, जन-धन पर डकैती

बीओटी असफल, सं.प्र. से प्र.स. तक ठेकेदारों की कठपुतली, स्तरहीन सड़कें, फिर भी वाहन चालकों की जेब पर डाका

मप्र सड़क डकैती विकास निगम के बारे में सन् 2004 से समयमाया ने जो भ्रष्टाचार और जनता की जेब पर सफेदपोश डकैती डालने के तथ्य प्रस्तुत किए, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अक्षरशः सही सिद्ध हुए। निगम की स्थापना कं. अधि. 1956 में मांगे गए पंजीयन, कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र क्रं. का प्रास्पेक्टस आदि की जानकारी निगम सूचना के अधिकार में नहीं दे पाया और न ही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत निगम या लो.नि.वि. की साइट पर डाल पाया, जो इसके जालसाजी और भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यशैली के ठोस प्रमाण है। भारत में केंद्र व राज्यों की सरकारों के अंतर्गत चल रहे अधिकांश निगमों, मंडलों, कंपनियों जिनमें इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी किसी भी पद पर आसीन हो, उनका एकमात्र उद्देश्य जालसाजी पूर्ण तरीकों से जन-धन की बर्बादी और लूटना व हजम करना ही है, फिर चाहे वो सड़क विकास निगम यातायात, परिवहन निगम, औद्योगिक विकास निगम वित्त, इलेक्ट्रानिक्स निगम आदि कोई भी हो। भा.कं. अधि. 1956 में सभी निगमों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पर जहां आइएएस गिद्ध बैठा दिए जाए तो फिर नोंच-खसोंट का मंजर चहुंदिशि हर कदम पर नजर आना स्वाभाविक है। मप्र सड़क डकैती विकास निगम में पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से यही हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहां मप्र लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्तियां पर आए या बैठाए गए सबसे चुनिंदा, भ्रष्ट, मक्कार और जालसाजों को बैठाया गया, दूसरी ओर यदि कोई मेहनतकश ईमानदार आ भी गया तो उसे प्र.सं. महाप्रबंधक, उस पर भ्रष्टाचारियों, जालसाजी करने, ठेकेदारों के पक्ष में कार्य करने, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने क लिए दबाव डालकर कार्य करवाया जाता है। अन्यथा इंडियन एब्यूसिंग सेवा का प्र.स. भारी परेशान करता है, जिसे सिविल तकनीकी की एबीसीडी भी नहीं आती है। इन हरामखेार, जालसाज जिससें महाभ्रष्ट आंजमगड़िया सुलेमान, दूसरा हरियाणवी विवेक अग्रवाल ने हर नई बीओटी की स्वीकृति रुपए 25 लाख, एकहरी रुपए 50 लाख दोहरी और रुपए 1 से 1.25 करोड़ तक हर चोहरी सड़क पर डकारा और हर सड़क निर्माण को दोगुने से लेकर चार गुने तक स्वीकृत करवाकर हजम कर गए। इसे पाठक ऐसे समझ सकते है। उज्जैन-इंदौर मार्ग जो पहले दोहरा था बीओटी के अंतर्गत चौहरा था चार लेन किया जाना था, जिसकी कुल लागत क्षिप्रा और खान नदी सांवेर पर पुल मिलाकर कुल लागत रुपए 96 करोड़ थी, रुपए 250 करोड़ की डीपीआर बनाई गई, इसमें सीधा-सीधा रुपए 150 करोड़ डकारा गया, अत इसी प्रकार इंदौर इच्छापुर की 2 लेन से 4 लेन करने की डीपीआर बनाई गई है, जिसका औसतन खर्च रुपए 4 करोड़ प्रति किमी हैं जिसमें भू अधिग्रहण से लेकर बड़े पुलों, रेलवे ऊपरी और नीचे पुलों की कीमतें भी शामिल हैं। परंतु डीपीआर बनाई गई है, रुपए 13.5 करोड़ प्रति किमी, इसमें मु.मं. सरताज सिंग, प्र.स. प्रमोद अग्रवाल, एमडी मनीष रस्तोगी तक सबने रुपए 1 से 2 करोड़ तक डकारकर, मंत्री गौरी शंकर शेजवरा वन व अन्य मिलकर लगभग रुपए 1700 करोड़ डकारेंगे। बाकी धूर्त मुख्य अभियंता से लेकर ये डकैत सं. प्रबंधक बौरासी रुपए 200 करोड़ से ज्यादा डकार जाएगा। ठेकेदार तो मात्र 30 प्रश पैसा लगाएगा, बाकी बैंको से ऋण लेकर जिसमें गारंटी मप्र सरकार की होगी, अर्थात रुपए 2200 करोड़, जिसका मासिक ब्याज रुपए 45 करोड़ होगा। सरकार भुगतेगी। सरकार ने रुपए 50000 करोड से ज्यादा की गारंटी इन बीओटी सड़कें में दे रखी है। अधिकांश ठेकेदार इसकी किश्तें तो दूर ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं। जिसे सरकार को ही पूरा दुगुने ब्याज के साथ भरना पड़ेगा, जो जनता के सिर ही आएगा।

जब बीओटी पूर्णतः असफल हो चुका है, तो हरामखोर गिद्धों की फौज मप्र सड़क डकैत विकास निगम को बंद इसलिए ही नहीं कर रही ताकि मोटा अरबों रुपए में धन हजम करके जनता के सिर और सरकार के सिर लादकर चुपचाप पतली गली से निकल लें। प्रदेश की 70 प्रश बीओटी की सड़कों पर लूट तो पूरी हो रही है। परंतु रखरखाव के नाम पर ठेकेदार 10 से 20 प्रश लागत का धन बांटकर सबका मुंह बंद कर देता हैं। सरकार ये मान चुकी है कि बीओटी योजनापूर्ण तरह से असफल हो चुकी है, फिर भी मोटे कमीशन का लालच निगम को बंद करने से रोक रहा है। इसके विपरीत उल्टे ही उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए मंडी, नाबार्ड के काम भी यहां बैठे गिद्धों से करवाए जा रहे हैं। वैसे भी यहां चुन-चुनकर सारे भ्रष्ट का.यं., सहां.यंत्री, उपयंत्री से लेकर बाबू तक बैठाए गए हैं। भ्रष्टाचार यहां सिर चढ़कर प्र.स., सचिव, प्र.सं. से लेकर नीचे तक छाया हुआ है। यहां इंदौर में दो संभाग थे। आठ जिलों के लिए धूर्तों ने एक बंद करके सारा कार्य सं.प्र. बोरासी को सौंप दिया साथ ही उसे आंचलिक जिसमें इंदौर, उज्जैन संभाग के 14 जिले आते हैं, का भी प्रभार सौंप दिया, जहां लगभग रुपए 5000 करोड़ से ज्यादा के कार्य है। जबकि सेतु संभाग का का. यं. रहते हुए बोरासी ने ठेकेदार के साथ मिल पुलों के खंभों के नीचे नींव में डाली जाने वाली 3 से 5 सेमी मोटी 10 से 20 प्रश बड़ी टनों के लोहे की प्लेट तक नहीं डाली। सारे पुलों को बर्बाद किया। रुपए 2-2 लाख के 250 से ज्यादा कार्यों के सीधे पैसा हजम कर गया, यहां बैठा बाबू बामनिया की हरामखोरी, सूचना के अधिकार में मांगी जानकारी से मिली कि श्वान फोटोकॉपी ही केवल 9-10 माह में पोने चार लाख की करवाकर हजम किया। एक बिल रुपए 84 हजार से ज्यादा का मार्च 15 में भी पास किया वहीं बिल अप्रैल 15 में भी पूरा पैसा पी गया वैसे फर्जी बिलों का जारी करने वाला बाहेती फोटो कॉपी वाला ऐसे लाखों बिल हर महीने एनव्हीडी के निचली नर्मदा और इंदिरा सागर के 20 से ज्यादा संभागों को बांटकर करोड़ों रुपए की चोट पहुंचाकर, शासन का धन डूबो चुका है। जिस क्रिस्टल पार्क में बोरासी ने करोड़ों खर्च करके पुरस्कार लिया था, वर्तमान हालात देखे जा सकते हैं। फिर सं.प्र. बोरासी रुपए 10 से 20 करोड़ और अब रुपए 50 से 100 करोड़ हर वर्ष डकारेगा, एक जिले का संभाग सफलता से नहीं चला सका अब 14 जिलों में क्या करेगा अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर बीओटी के जालसाज भ्रष्ट ठेकेदारों को तो डफर अधिकारी ही चाहिए जैसे वो नचाएं जो टुकड़ा डाले हजमकर के कार्यों में मीन मेख न निकाले। वैसे इसके कार्यों की रोकड़ बही की फोटो कॉपी प्राप्त हो चुकी। इन सब की लोकायुक्त और आर्थिक अपराध में शिकायत की जा रही है। फिर अगर यह सं.प्र. बोरासी इतना ही सक्षम अधिकारी है तो मुख्यालय में इस को बैठाया जाना चाहिए ताकि 51 जिलों का भट्टा बैठाकर उस अय्याश और कमीशनखोर प्रमुख अभियंता अग्रवाल की ढंग से सेवा कर सके। वैसे भी इसे तीन वर्ष से ज्यादा हो चुका है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होती है। इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। वैसे तो इस मप्र सड़क डकैती विकास निगम को ही बंद कर दिया जाना चाहिए। ट्रको की राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने सिद्ध कर दिया है कि सड़कों पर डाली बीओटी की डकैती से जनता काफी परेशान हो चुकी है।

जीएसटी बहुराष्ट्रीय कं. हितकारी- बर्बाद होंगे करोड़ों व्यवसायी

(पृष्ठ 1 का शेष)

ताकि अपने पूंजीपत्ती मित्रों सरकार से कम से कम चुकाना पड़े और उनके माल की कीमतें अन्य छोटे करोड़ों व्यापारियों की तुलना में कम होने से उनका माल बिकें और छोटे-छोटे व्यवसायियों को अपना कारोबार समेटना पड़े। इसी प्रत्याशा में मप्र सरकार ने पहले रु. 40 लाख, फिर 1 करोड़ और 2 करोड़ और अब 20 करोड़ तक के व्यावसायियों को स्वकर निर्धारण और डिम्ड मान लिया गया कर निर्धारण के माध्यम से छूट दे दी ताकि जितना चाहे अभी कर चोरी से कमा कर रख लें, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में जीएसटी के लगते ही व्यापार ही समेटना पड़ेगा, जो रखा और चोरी किया हुआ रहेगा वही खा लेना बाद में चोरी, डकैती डालना।

अभी तो कर सलाहकार वकील, चार्टड बनाम करप्ट एकाउंटेंट या सनदी लेखाकार केवल आयकर, कस्टम व एक्साइज वाणिज्य, विक्रय या वेट के माध्यम से एक तरफ व्यापारियों से मोटा धन कमा रहे हैं। दूसरी तरफ नियम कानूनों की मनचाही व्याख्या कर अरबों करोड़ की कर चोरी करवा रहे हैं। वे ही वस्तुत सेवा कर लागू होते ही चौराहे पर रोजी-रोटी तलाश रहे होंगे, क्योंकि अभी तो उनके पास सैकड़ों व्यवसायियों के खाते है। कर लागू होते ही सारे व्यावसायियों, उद्योगपतियों का व्यवसाय ये बहुराष्ट्रीय कं. समाप्त करवा देंगी और उनके कर सलाहकार दिल्ली में बैठकर ही सारे खेल कम्प्यूटर पर ही संपन्न कर डालेंगे तो पूरे देश के लाखों कर सलाहकारों, वकीलों सनदी लेखाकारों को भूखा मरना ही पड़ेगा, जब ये बात इंदौर कर सलाहकारों के समूह के कुछ सदस्यों से की गई तो तो बोले हम क्या कर सकते हैं। जब श्री अजमेरा ने कहा आप वकील है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लोकतंत्र में सबको अपने रोजगार धंधे कर जीवन यापन का हक है। सरकारी नीतियां चंद धूर्तों, जालसाज, पूंजीपतियों के हक में बनाकर करोड़ों को बेरोजगार नहीं बना सकती, इसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है, तो उत्तर मिला देखेंगे पहले लगने तो दो।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ है और भारत की आबादी 125 करोड़, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है हमे देखेंगे या हम उसके इशारे पर नाचकर उसके और उसकी बहुराष्ट्रीय कं. का निवाला बनेंगे, अभी हालत ये है कि इतने कारारोपण के बाद भी इन बहुराष्ट्रीय कं. ने एक तरफ हमारे लघु उद्योगों को पलीता लगाकर लाखों की बेरोजगार किया और हजारों की नौकरियां दी, तो दूसरी तरफ 13-14 में रु. 237 अरब विदेश भेजा जो इस वर्ष बढ़कर रु. 600 अरब हो गया, कच्चा माल, मशीन, मानव शक्ति, मैनेजमेंट, मार्केट हमारा धन लाभ वो कमाकर ले जाएंगे और देश खोखला कर रहे हैं। कर लगने के बाद सीधा ये लाभ प्रेषण 10 गुना हो जाएगा, फिर वहीं धन हमें कर्ज के रूप में दिया जाएगा, हमें खोखला बनाना हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाना, इस विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य ही है, जिसे अब विश्व की जनता समझ रही है और खुलकर न केवल प्रदर्शन करने के साथ ही मेक्सिको जैसे देशों ने इन बहुराष्ट्रीय कं. के पानी को पेकिंग और बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी है। नहीं चाहिए उन्हें इस पर कर की आय, वैसे अनेकों देशों में पानी की पेकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी हैं। और हमारा गिद्ध गुजराती धूर्त, मक्कार प्र.मं. मोदी रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त स्वच्छ शीतल जल उपलब्ध करवाने की अपेक्षा जल बिक्री मशीनें लगवा रहा है। जिसका ठेका अडानी, अंबानी या टाटा को मिलेगा, ये कलयुग के सफेदपोश राक्षस और राक्षसों का मसीहा महा राक्षस मोदी ने करोड़ों को भूखा रखने की शुरुआत बुजुर्गों की पेंशन, गरीबी रेखा से ऊपर वालों को राशन देना बंद करके दे दी है।

व्यापमं घोटाले की जांच में...

(पृष्ठ 12 का शेष)

सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में अरबों रुपए अवैध रूप से वसूला गया। अकेले अरविंदों के विनोद भंडारी के अतिरिक्त गार्डी उज्जैन, पिपल्स, भोपाल जैसे अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में हुए अरबों रु. के लेन-देन और भ्रष्टाचार व जालसाजियों में कितनी गिरफ्तारियां हुई जबकि 80 प्रश भर्तीयां लेन-देन से हुई, आखिर एसटीएफ, एसटीआई, क्राइम, पुलिस व अन्य एजेंसियों ने 2 वर्ष में क्या किया और 4 माह में सीबीआई भी क्या कर पाई। वैसे भी सबसे बढ़िया तरीका है और सत्ताधीशों का अपनों को, बचाने और निरीहों को फंसाने का फिर इतिहास यही बताता है कि शक्ति संपन्न, धनाढ्य, पूंजीपतियों, अधिकारियों, मंत्रियों को बचाने के लिए जांच आयोग, सीबीआई व अन्य एजेंसियों से जांच के बहाने महीनों सालों कर उलझाकर मूल अपराधियों को बचाए रखते हुए, प्रकरण को कमजोर करने, गवाह सबूतों को नष्ट करने व होने का इंतजार करते हैं। व्यापमं में न केवल प्रवेश परीक्षा और चिकित्सा प्रवेश इंजिनियरिंग में प्रवेश के घोटालों, जालसाजियों का इतिहास तो 1980 से ही रहा है। हजारों डॉक्टर व इंजिनियर पैसे और जालसाजियों के दम पर भर्ती होकर सरकारी नौकरियों से भी सेवानिवृत्ति की कगार पर आकर खड़े है या सेवानिवृत्ति पा चुके हैं। जिसके शिकार लाखों होनहार हुए। बेशक कांग्रेस के शासनकाल में चुपचाप मिलजुलकर 25 से 40 प्रश तक ही था, परंतु भाजपा के 2004 में आते ही 50 प्रश से बढ़कर यह 80-90 प्रतिशत हो गया और फिर सत्ता के गलियारे से जुड़ा हर व्यक्ति प्रवेश और भर्ती के घोटालों और जालसाजियों में शामिल होकर अपने से जुड़े या फंसाकर मोटी रकम लेकर न केवल व्यापमं वरन् मप्र लोक सेवा आयोग में भी हाथ आजमाने लगा, जिसके प्रमाण हर विभाग में हुई भर्तियां जिसमें केवल पैसे के दम पर ही भर्तियां की गई, देखने को मिलते है। अधिकांश विभागों में मंत्रियों, अधिकारियों रिश्तेदारों की भरमार है। अधिकांश लाखों रुपए खर्च करके ही उच्च पदों पर आसीन है। पर सीबीआई भी अपने आकाओं के इशारे पर नाचकर सत्ताधीशों को बदनामी से बचाने केवल कमजोर और गरीब कड़ी पर अपनी छवि को सिद्ध करते हुए लक्ष्य संधान कर रही है, जबकि न केवल सत्ताधीश, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से लेकर पंचो-सरपंचों के साथ ही, आईएएस बनाम इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों, आईपीएस अर्थात इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस, आईएफएस अर्थात इंडियन फॉरेस्ट इटिंग सर्विस राज्य प्रशासकीय सेवाओं, न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के पुत्र-पुत्रीयों पर इस व्यापमं कांड में खास कोई आंच नहीं आई जैसे ये सारे देवपुरुष थे। इंसान नहीं जो कोई भी दुष्कृत्य करें, अर्थात सीबीआई भी ऐसे दम-खम वाले प्रभावशालियों को बचाने में जुटी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों, भारतीय गृह मंत्रालय का हिस्सा है। यहां सीधे भर्तीयां नहीं होती, स्वाभाविक है प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी राज्यों के पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर बुलाए जाते हैं, तो फिर पुलिस के भ्रष्टाचार, जालसाजियों, चालबाजियों, कारगुजारियों की महिमा का बखान तो पूरे देश के हर दैनिक समाचार पत्र, दूरदर्शनी शृंखलाएं, न्यायालय रोज ही करते है। कैसे अपराधियों के गिरोह कॉलोनी माफिया, शराब, नशीली दवाओं, जुए-सट्टे, वैश्याओं के अड्डों से महीना खाकर पाला जाता है। कैसे न्यायालयों में 90 प्रश झूठे केस डायरियां पैसे हजम कर बड़े-बड़े संगीन अपराधों में पेश की जाती है, तो फिर सीबीआई जो लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण, अपराध शाखा, सामान्य पुलिस से आए कर्मचारियों से ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच की उम्मीद तो बेकार ही है, फिर इंसान कहीं पर भी बैठा हो, है तो काम, क्रोध, मद, मोह, माया, का पुतला जब तक धरती पर मानव शरीर के साथ है, तो इन सब योग्यताओं से कैसे अलग हो सकता है। इतिहास में दर्ज है, सीबीआई के भ्रष्टाचार के किस्से, उसको वर्तमान अधिकारियों को आवश्यक है कि परंपराओं का निर्वहन करें।

ई-रजिस्ट्री जालसाजों और भूमाफियाओं की पौ बारह

(पृष्ठ 12 का शेष)

सन् 2002-03 में यह घोटाला जांच के उत्कर्ष पर पहुंचा तब समय माया के ही श्री अजमेरा ने ही अपनी साइटों से सुझाव दिया था कि जब नोटों पर क्रम संख्या डाली जाती है, तो मुद्रांकों पर भी क्रम संख्या डाली जानी चाहिए ताकि जालसाजियां रोकी व पकड़ी जा सकें। उसके बाद से ही सरकार ने उस पर क्रम संख्या छापना शुरू किया था, जिसके उपरांत उसके दोहरीकरण और नकली की समस्या से मुक्ति शासन और जनता दोनों को अवश्य मिली पर छपाई से लेकर वितरण में थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ी, पर अब ई-रजिस्ट्री में छपाई और वितरण की समस्या शासन की अवश्य समाप्त हो गई, परंतु हजारों मुद्रांक विक्रेताओं को रोजी-रोटी का संकट खड़ाकर रही है, दूसरी ओर जनता का वर्तमान और भविष्य दोनों ही करेगी, क्योंकि समान्य कागज पर जो ई-रजिस्ट्री को मुद्रित कर दिया जा रहा है, उसमें दोहरीकरण या अनेकों प्रतियां निकालकर जालसाज और भूमाफिया उन्हीं दस्तावेजों में असली नकली में अंतर न होने के कारण आसानी से बैंकों में गिरवी करने अनेकों लोगों को बैचने, सुरक्षित या गारंटी के रूप में रखकर धन हजम करेंगे, सीधा-सादा व्यक्ति आसानी से शिकार बनेगा, जबकि शासकीय सुरक्षित कागज पर मुद्रित मुद्रांक में असली नकली में अंतर स्पष्ट दिखता था, इसलिए शासन को चाहिए की शासकीय सिक्युरिटी पेपर जिसमें स्टॉम्पों की तरह शासकीय मुद्रा जो वाटर मार्क युक्त हो और उसमें उस पत्र का मुद्रण क्रम संख्या भी हो कागज का ही उपयोग रंगीन प्रिंट आउट के साथ करके ई-रजिस्ट्री बनाकर देवें, साथ ही पुरानी रजिस्ट्री अपने पास रखने की अपेक्षा स्केन कर कॉपी अपने पास रखें और मूल रजिस्ट्री क्रेता को पूर्व की तरह लौटा देता है। क्रेता का पक्ष मजबूत रहे और विक्रेता दोहरीकरण से जालसाजी न कर सकें, तीसरा ई-रजिस्ट्री कोई कहीं से भी कर जालसाजी न कर सकें, इसलिए जिस क्षेत्र की भूमि या अचल संपत्ति क्रय-विक्रय की जाना हो, केवल उसी क्षेत्र के उपपंजीयक से ही कार्रवाई की जा सके। अन्य दुनिया के किसी भी कोने से नहीं, चौथा सेवा प्रदाताओं के अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से ही उस राशि का जो ई-रजिस्ट्री में लगनी है ही उपयोग किया जा सके, ताकि सेवा प्रदात्ता का धन भी सुरक्षित रह सके और शासन को भी उचित आय उसके खाते में वैधानिक व उचित माध्यम से प्राप्त हो सके। इसके साथ ही मूल अचल संपति का सत्यापन, ई-रजिस्ट्री के क्रय-विक्रय से पूर्व किया जाकर उसकी फोटो लगाई जाए साथ ही अड़ोस-पड़ोस के संपत्ति धारकों से विक्रेता की पहचान और यथार्थ सत्यापित किया जाए ताकि अचल संपति का क्रय-विक्रय बाले-बाले ही न किया जा सके व एक ही संपति को एक ही विक्रेता अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं आदि को बिक्री, न कर सके, साथ ही संपति अचल संपति के दस्तावेज, मूल मालिक कौन है, राजस्व रिकार्ड से आसानी से पता सार्वजनिक रूप से लग सके। इसकी व्यवस्था की जाए ताकि भूमाफियाओं, कालोंनो माफियाओं अन्य जालसाजों को ठगी से रोका जा सके, और आम आदमी भी जान ले कि कौन सा भूमि का सरकारी दस्तावेजों में कौन स्वामी है, इससे सबसे बड़ा लाभ कालेधन का अचल संपत्तियों में विनियोजन, उस पर आयकर, संपत्तिकर, नगर पालिकाओं, निगमों का कर आसानी से वसूला जा सके। शासन को किसी भी हाल में एक रंग में साधारण कागज पर प्रिंट आउट देने को तत्काल रोकना होगा, अन्यथा ठगी और जालसाजी से संपत्ति की घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी और न्यायालयों में भी ऐसी जालसाजी और ठगी के प्रकरणों का अंबार लगने लगेगा, जो नकली स्टॉम्प और व्यापमं घोटाले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा, जिसमें निर्दोष और सीधे-साधे लोगों के साथ जालसाज आसानी से ठगी करेंगे, कई परिवार उजाड़े जाएंगे, जालसाजों द्वारा। शासन जब तक ई-रजिस्ट्री के दोष और कमी को दूर नहीं कर लेता, ई-रजिस्ट्री को रोका जाना चाहिए। बेशक धूर्त आईएएस अधिकारियों ने जो करोड़ों का कमीशन साफ्टवेयर बनाने, मशीने खरीदने में खाया वो हरामखोर, जालसाज, किसी भी हाल में अपनी गलती नहीं मानेंगे, जिसे बिना उच्च न्यायालय में जाए नहीं रोका जाएगा।

भारत का दृष्य-श्रव्य और मुद्रित प्रसार माध्यम है, धूर्तों के अड्डे

प्रथम पृष्ठ का शेष

विश्वहित के समाचारों की प्रस्तुति भूत और वर्तमान को ध्यान में रख भविष्य के हितों की साधना में होना चाहिए। पत्रकारों परिस्थितियों ने पत्रकारिता की तरफ जो मार्ग प्रस्तुत किया है, उस परमशक्ति नियंता ने सर्वश्रेष्ठ कार्य दिया है, जो आपकी पृथ्वी की जीवन यात्रा को सफल, सार्थक पत्रकारिता की है,तो अमर बना देगा, पर वर्तमान में दूर-दूर तक कहीं कोई पत्रकार दृश्य-श्रव्य दूरदर्शनी शृंखलाओं से लेकर प्रसार माध्यमों के स्थाई स्वरूप के मुद्रित समाचार माध्यमों में मीन हो दिखती। भारत में यथार्थ में प्रसार माध्यम पूर्णतः दबाव बनाकर न केवल कमाठें वरन अपने भ्रष्टाचार, जालसाजियों, आयकर, विक्रयकर, कस्टम, एक्साइज चोरी करने, सरकारी संपति हड़पने,जनता को लूटने, भ्रमित करने, भ्रष्टों को बचाने, अपराधियों को महिमा मंडित करने, चरित्रहीनों को महिमा मंडित करने, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को बर्बाद करने के माध्यम हैं। ये याकूब, कसाब जैसे सैकड़ों निर्दोषों की हत्यार करने वालों के लिए टाइम्स जैसे समाचार पत्र, एव्हीएपी, आज तक, आईबीएन जैसे समाचार शृंखलाएं उसे जनता में नायक की तरह प्रस्तुत करते हैं। जिसके वर्तमान और भविष्य की युवा पीढ़ी अपराधों के लिए प्रोत्साहित हो, निर्दोषों को सरेआम कत्लेआम करें, आतंकवाद को प्रोत्साहित करें। दूसरी तरफ अश्लीलता फैलाने, नग्नतास बढ़ाने, अश्लील और स्तरहीन फूहड़ हास्य व्यंग, हिंसा, मारधाड़, भूतो-प्रेतों से संबंधित धारावाहिक फिल्में, विज्ञापनों, हिंदुओं को नकारा, निकम्मा, डरपोक सिद्ध करने की लगातार कोशिश, अनावश्यक रूप से केवल साधु-संतों को पाखंडी, अय्याश, झूठा, मक्कार, चालाक, लूटेरा, डकैत, अवैध कारोबार में लिप्त दिखाते रहना, आखिर क्या समझाना चाहता है मीडिया। फिर जालसाजों की स्वयं की संपत्तियों को तो देखिए कितने पर स्वयं प्रसारण करना नहीं चाहता, क्योंकि वहां एक-एक तथ्य जुटाने, यथार्थ को समझने, जनहित में प्रस्तुत करने उसके कानूनी पहलू समझने, भविष्य को सार्थक बनाने की सोच के साथ सोच लेख लिखने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बारे में तो शायद वर्तमान मीडिया के बड़ी से बड़ी समाचार, मनोरंजन शृंखलाओं के झिझोरे सोच भी नहीं सकते, उन्हें तो तत्काल धन लाभ चाहिए। शाम ढलते ही शराब, शबाब और कबाब मुफ्त कहां और कैसे मिलेगा। जो देगा उसके अगले दिन गुणगान में व्यस्त हो जाते हैं। फिर चाहे वो कोई सा भी राजनैतिक दल हो अपराधी हो, वैश्या हो, देशद्रोही, भ्रष्ट, जालसाज, भूमाफिया, अधिकारी, कोई भी क्यों न हो? इसका उदाहरण तो सैकड़ों हर दिन पाठक और दर्शक देखते और बूझते हैं। फिर सन्नी लियोनी अमेरिकी नग्न फिल्मों की नायिका ने भारत में पैर जमाने से पहले स्वच्छ यौनाचार, मुख मैथुन, बहुपुरुषों के साथ लिक्रीड़ा की मुद्राओं को इंटरनेट साइटों पर चढ़ाकर अपनी निर्लज्जता का परिचय देकर, झिझोरे और यौन कुंठित फिल्मकारों, निर्माता-निर्देशकों से आसानी से फिल्मों में ही नहीं वरन् मीडिया द्वारा भी उसे नायिका बना दिया गया। नायिका के साथ ही वह प्रचार-प्रसार माध्यमों में नग्नता और स्वच्छ यौनाचार की पर्याय के रूप में प्रसिद्धि पा गई, अब मीडिया के धूर्तों से ये पूछा जाए कि हमारी युवा होती पीढ़ी, छात्राओं का भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। जो आने वाले भविष्य की माताएं होंगी, तो पूछिए फिर उनकी संतानें और फिर वह समाज और राष्ट्र कैसा होगा, निकम्मा, कमजोर, आत्मविश्वासहीन अपराधी, कुंठित, मीडिया की बत्तमीजियों ने रिश्तों के विश्वास के तार-तार बिखेर दिया, जिसके परिणाम सामने है। वैश्यावृत्ति, हिंसा, हत्या, लूट, डकैती अपराध, नशा, आत्महत्या वह भी 8,10,11,12,13,14,15,16,17 वर्ष के युवाओं द्वारा। अधिकांश की प्रेरणा दृष्य-श्रव्य और स्तरहीन मुद्रित माध्यम, मीडिया की इन बत्तमीजियों से धूर्त, चालाक, शोषणकारी भ्रष्ट सत्ताधीश, पूंजीपति, उद्योगपति, दलाल, नशा, भू कालोनी, जुआरी, सटोरियो अवैध कारोबारी माफिया बड़े प्रसन्न है कि उनके कुकर्मों को लेन-देन करके न केवल बचा रहा वरन् गाहे-बगाहे मीडिया भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं, पूंजीपतियों, अपराधियों, अवैध कारोबारियों आदि को पल्लवित, पोषित और खलनायकों को भी नायक की भांति प्रस्तुत कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। मीडिया की इन बत्तमीजियों के परिणाम स्वरूप, धूर्त सत्ताधीशों, अधिकारियों ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर अकेले मोबाइल फोनों से ही धूर्त कं. औसतन रुपए 5000 करोड़, सड़कों पर औसतन रुपए 3 से 5000 करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पर रुपए 2000 प्रतिदिन की लूट। स्वास्थ्य के नाम रुपए 10 हजार करोड़ की लूट, बिजली के नाम पर रुपए 10000 करोड़ की लूट, जनता के साथ की जाती है। मीडिया ने न कभी सोचा न रोकने की कोशिश की। इन मुखेरे श्वानों को तो टुकड़ा भर मिलता रहे, ये जनता को इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे।

मप्र में हुई पत्रकारों व ख.नि. की हत्या में मंत्री शुक्ला की भूमिका भी संदेहास्पद व रहस्यमयी!

मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क एवं खनिज संसाधन मंत्री राजेन्द्र शुक्ला की कार्यशैली से प्रदेशवासी स्तब्ध है। इसके कार्यकाल में खनिज माफियाओं द्वारा कई अधिकारियों पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी है कई पर हमले हो चुके पर मंत्री महोदय चुप्पी तोड़े? को तैयार नहीं है। मंत्री जी इतने संवेदनहीन हो चुके है कि मृतकों के संवेदना हेतु उनके पास एक फूटा शब्द भी नहीं है। प्रदेश में कई पत्रकारों की हत्यायें हो चुकी है और हजारों पत्रकारों पर फर्जी मुकद्मे दर्ज हो चुके है परन्तु मंत्री जी चैन की बंसी बजाते हुए सत्ता स्वाद में मदमस्त है। यही नहीं अपने इर्द-गिर्द भ्रष्ट अधिकारियों का हुजूम लगाये है। प्रदेश का भ्रष्टतम् अधिकारी जिसके खिलाफ म.प्र.हाई कोर्ट एफ. आई.आर.दर्ज करने का आदेश दे चुकी है एस. के. मिश्रा को जनसंपर्क विभाग का प्रमुख सचिव तथा मंगला प्रसाद मिश्रा जैसे भ्रष्ट अधिकारी को संचालक बनाकर इसे प्रमाणित कर दिया है। इनके खिलाफ पत्रकारों के कल्याण और सुविधाओं के नाम पर करोड़ों डकारने का आरोप है। मंगला मिश्रा को पत्रकारों के कल्याण संबंधी जिम्मेदारी देकर पत्रकारों का मुंह बंद करने की रणनीति पर चल रहे है। शिवराज के प्रिय पात्रों में शुमार श्री राजेन्द्र शुक्ल सुनियोजित तरीके से खनन माफियाओं को संरक्षण प्रदान किए हुए है। खनन माफिया और खनिज मंत्री के साजिश का शिकार पत्रकार और खनिज विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो रहे है,और जान से हाथ धो रहे है। मंत्री जी अपने विभाग द्वारा प्रदेश में खनन माफियाओं द्वारा पत्रकारों अधिकारियो की हुई हत्याओं की जांच कराने का साहस क्यों नही जुटा पाए?क्या पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मात्र मीडिया कर्मियों की उपयोगिता प्रदेश में राजनीतिक बाजार सजाने के लिए ही है,जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव एस. के.मिश्रा और राजेन्द्र शुक्ला के मधुर संबंध जगजाहिर है। पूर्व में मिश्रा को अपने गृह जिला रीवा का कलेक्टर मंत्री की कृपा पर ही बनाया गया था,जहां हनुमना तहसील में लगभग ढाई सौ एकड़ सरकारी जमीन की हेराफरी इन्होंने की थी। इसकी शिकायत पर ही हाईकार्ट ने एस.के. मिश्रा को दोषी मानते हुए ही एफ.आई.आर.दर्ज करने का आदेश दिया था। वह कार्यवाही आज तक क्या हुई? पूरा प्रदेश जानता है। इसके विपरीत मंत्री जी के पास जैसे ही खनिज संसाधन विभाग आया,मंत्रीजी ने इन्हें खनिज विभाग का सचिव बना लिया। जैसे ही राजेन्द्र शुक्ल के पास जनसंपर्क विभाग मिला,वैसे ही एस के मिश्रा को इन्होंने जनसंपर्क विभाग का आयुक्त एवं प्रमुख सचिव बना दिया। काफी शिकवा शिकायतों के बावजूद इन्हें जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पद से तो दूर कर दिया परन्तु विभाग का प्रमुख सचिव एवं मध्यप्रदेश माध्यम का प्रबंन्ध संचालक का पद यथावत रखा,ताकि परोक्ष रूप से कमान इन्हीं के हाथ मे रहे। एस.के .मिश्रा मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव है,लिहाजा खनिज मंत्री और मुख्यमंत्री के मध्य समन्वय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। एस. के. मिश्रा और राजेन्द्र शुक्ल मिलकर पत्रकारों को बुरी तरह मानसिक रूप से प्रताडित किये हुए है। यही कारण है कि कोई भी खनन संबंधी समाचार जिसका संबंध सरकार, मंत्री, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होता है प्रकाशित ही नहीं होता और पत्रकारों के ऊपर हो रहे सुनियोजित हमलों पर एक फूटा,शब्द भी इनके मुँह से संवेदना के लिए नहीं निकलता। दूसरी ओर यदि कोई भाजपा समर्थित बॉलीबुड की नेत्री किसी आयोजन के लिए आ जाय अथवा वो किसी फिल्म को टैक्स फ्री कराने की सिफारिश लेकर आ जाये तो उसके पीछे दिल दर्शन की भावना से पूरी सरकार पलकपावड़े बिछाकर तन्मयता से लग जाती है कि कहीं उसकी चिकनी काया पर कोई दुश्प्रभाव न हो जाये। इसके प्रमाण के लिए इनके अधीन सरकारी समाचार एजेन्सी,जनसंपर्क विभाग अथवा स्वयं प्रभारी अधिकारी जनसंपर्क सुरेश गुप्ता से मालूम किया जा सकता है। समाचार समय और कार्यकाल अवलोकन के उपरान्त देश की जनता जान सकती है कि प्रदेश में हो रही पाप में इनकी भी भूमिका संदेहास्पद व रहस्यमयी है। www.swarajyanews.com से साभार...

भूमाफिया और पूंजीपतियों की रखैल भाजपा, भू अधिनियम बदलने को बेताब

पृष्ठ 1 का शेष

सबको जमीने ही चाहिए, आईटीसी ने सन् 2010 तक 5 लाख है.जमीन पर कब्जा जमा लिया था, अर्थात ये ब्रिटिश कं. अभी भी देश पर राजकर रही है, फिर हमारे प्रदेश का मु.मं. शिवराज जिसने हाल ही में पत्रिका के क्रेडाई सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें प्रदेश के व देश के नामी दिग्गज भूमाफियाओं, कालोनी माफियाओं ने पत्रिका के महाधूर्त गुलाब कोठारी के माध्यम से मु.मं. शिवराज के बुलाया ही इसलिए था,हालांकि वो उनके हितों में कानूनी फेरबदलकर प्रदेश में बन रही या बन चुकी 1000 से ज्यादा कॉलोनियां को धन लेकर वैध बना दें, चाहे वो कॉलोनी सरकारी भूमि, चरनोई, नजूल, नाले, नदियों, ताला, बांधों के बहावों, जल संग्रहण, वन क्षेत्रों में ही क्यों न बना दी गई हों, दूसरी और कृषि भूमि सरकारी कांकड़ व अन्य को धूर्त मु.मं. शिवराज ने सीलिंग, भू उपयोग परिवहन जैसे कानूनों से इन्हीं धूर्त ज़ालसाज ठग भूमाफियाओं कालोनी माफिया नेताओं पूंजीपतियों के इशारे पर मुक्त कर दिया है, उपसंचालक कृषि के अनुसार हर वर्ष 20000 हे से ज्यादा कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग के लिए कम की जा रही है। इस प्रकार कृषि जोत भूमि को लाभ का धंधा बनाने के वादे पूराकर रहा है। धूर्त मु.मं. शिवराज अकेले इंदौर में ही 600 से ज्यादा अवैध कालोनियां पिछले दस वर्षों में सुपर कॉरिडोर, धार, नेमावर, खंडवा, राऊ-महू, बायपास, उज्जैन, कबीट खेड़ी आदि मार्गों पर काटी गई है न केवल इस बीज जिलाधीश रहे। इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के धूर्तों से लेकर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदारों, पटवारियों,पंजीयकों, ग्राम एवं नगर निवेश के अधिकारियों ने कम से कम रु. 10 अरब डकारा और जनता को लगभग रु. 10000 करोड़ से ज्यादा का चूना इन भूमाफियाओं कॉलोनाइजरों ने लगाया, पूरे मप्र में यह राशि रु. 1 लाख करोड़ तक हो सकती हैं, स्वाभाविक है कि मु.मं. को भी इसमें मोटा हिस्सा मिला इसलिए वह भी अवैध कॉलोनियों भूम, वर्तमान और भविष्य की सबको वैध बनाने में, कानूनों में तक में बदलाव कर चुका है और कानून बदलने उतावले हैं। यहां तक कि वन विभाग की सरकारी जमीन हड़पने 52 प्रकार के वृक्षों की कटाई ककरे, वनों को साफ कर, उस पर व्यावसायिक उपयोग के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है, जून 15 में किए इस आदेश के परिणामस्वरूप अकेले इंदौर में ही 10000 मीटर टन से ज्यादा लकड़ी टिंबर मार्केट में पहुंच चुकी थी, जुलाई के अंत तक अर्थात पूरे प्रदेश में 3 से 4 लाख है. में फैले वन क्षेत्रों से लगभग 5 करोड़ वृक्षों की कटाई की जा चुकी थी, जब समय माया ने अपनी समय माया, काम की साइट पर लोडकर इसकी खबर प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुंचा दी थी और जमीन हड़पने के षड़यंत्र के बारे में लिखा तो उस आदेश को फर्जी बता दिया गया, फिर वन विभाग के खाकी वर्दी के वनैलों की तो जैसे लाटरी खूल गई, सरकार की छूट, तो खुलकर करो लूट, इस छूट में पूरे प्रदेश में वनैलों ने लगभग रु. 1000 करोड़ की वसूली कर आंखे भींच ली, अब साफ हुई जमीनों पर वनैले इंडियन फॉरेस्ट इटिंग सर्विस के वनमंडलाधिकारियों से लेकर बीट गार्ड तक वैध-अवैध कब्जे करवाकर झोपड़ियां तनवनाएंगे, खेती करवाकर भी वसूली करेंगे, बाद में बांटकर, व्यावसयिक उपयोम में आएगी। कांग्रेसी नेताओं ने अवैध कब्जे करवाकर पट्टे बांटे, सरकारी जमीनों पर भाजपा के मुखेरों ने उन पट्टों की जमीनों को बैचने की छूट देकर उसे सरकारी जमीन को व्यावसायिक उपयोग के लिए वैध बना दिया, ये है सत्ताधीशों की जमीनों की जो सरकारी, नजूल, नदी नालों, तालाबों, बांधों, सड़क के दोनों और सड़क विस्तार, वृक्षों को लगाने के लिए छोड़ी गई थी, उनको हड़पने का षड्यंत्र, जितने भी मंत्री, नेता अधिकारी है, 90 प्रश जमीनों के खिलाड़ी है। अधिकांश का धन जमीनों, मकानों, दुकानों में लगा है, कल सत्ता रही न रही, जमीनें तो अपनी रहेगी। इन जमीनों के खेल में सबसे ज्यादा धन कमाते हैं जिले के पटवारियों से लेकर, राजस्व आयुक्त तक जो कि अरबों में होता है, लोकायुक्त ने प्रदेशभर में जमीनों के नामांतरण में ही पटवारियों से लेकर तहसीलदारों, एसडीएम तक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, यदि बारीकी से जांच की जाए तो और लोकायुक्त यदि संपत्तियों की जांच करें तो 90 प्रश पटवारी से लेकर राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, एसडीएम, जिलाधीश, राजस्व आयुक्त तक अरबों रुपए के मालिक होंगे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून बदलने में कितने हजार का करोड़ का खेल हो रहा होगा, मु.मं. से प्रधानमंत्री कार्यालय तक, अब जबकि स्मार्ट सिटी का विचार रंग ला रहा है, तो उसमें भी जमीने ही लगेगी, अब कृषि की जरूरत नहीं रही देश और प्रदेश को, स्मार्ट सिटी में लोग खाना नहीं खाएंगे, केवल स्मार्ट टेबलेट खाने से पेट भर जाएगा, कृषि और वन पुराने जमाने की बात हो चुकी है, अब स्मार्ट सिटी के कांक्रीट जंगल में मशीनों से गेहूं, दाल, चावल, तेल, शक्कर, आम, सेब, केले आदि फल निकलेंगे, इसलिए अब कृषि नहीं कांक्रीट जंगल ज्यादा जरूरी है, इसलिए किसानों की जमीन हड़पने का मोदी और शिवराज का प्रयास और कानून बनाना उचित है। सत्ता में बैठते ही मानव चाहे जो भाजपा कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, जदयू आदि सभी राजनैतिक दल हो, क्षणिक स्वार्थों की खातिर सत्ता को अपने बाप की जागीर, जनता को कीड़े-मकोड़े, समझ, कानून लादने, जनता का न केवल तात्कालिक शोषण व भविष्य बर्बाद करने पर तुल जाते हैं।

लूटतांत्रिक सरकारें कर रही बेरोजगारी का घोर शोषण

पृष्ठ 1 का शेष

कृषि आदि तक में अभी संविदा नियुक्तियां की जाती है। फिर अधिकांश कार्य विभागों में कर्मचारियों को स्थाई लाभ यथा वेतन के साथ छुट्टिया, बीमा, चिकित्सा हर वर्ष वेतन वृद्धि, पदोन्नतियां न देना पड़े इसलिए 30-35 वर्षो से चपरासी, सहायक से लेकर इंजिनियरों, तकनीशियनों तक की भर्ती दैनिक वेतनभोगी के रूप में की जाकर भी इन्हें न केवल प्रशिक्षित श्रमिक के स्तर का वेतन नहीं दिया गया वरन् उनसे काम प्रथम श्रेणी इंजिनियरों, तकनीशियनों, कम्प्यूटर आप्रेटरों, प्रयोगशाला सहायकों तक के लिए जा रहे है। परंतु 20-25 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उन्हें कुशल श्रमिक की श्रेणी तक में नहीं रखा गया। दूसरी तरफ 1992 में बैंक लॉग में बिना लोक सेवा आयोग की परीक्षा लिए ही भर्ती किए गए इंजिनियर्स, सामान्य वर्ग के इंजिनियर्स की अपेक्षा उनसे 10वर्ष बाद भर्ती हुए परंतु दो-दो पदोन्नतियां प्राप्त करके उनसे वरिष्ठ हो गए परंतु सामान्य वर्ग के भर्ती इंजिनियर्स डिग्री डिप्लोमाधारी जो लो.नि.वि., लो.स्वा.यां., जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रीकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आदि में उच्च न्यायालय में जीतकर आने के बाद भी नियमित नहीं किए गए। इसके आगे सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की तरह, अपने जरूरत व कार्य के हिसाब से इंजिनियर्स, तकनीकिशियन व अन्य पदों के लिए भी ठेकों पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। मप्र लो.नि.वि. के परियोजना क्रियान्वयन इकाई के 51 संभागों में भी लगभग 400 से ज्यादा इंजिनियरों की सेवाएं ठेकेदारों के माध्यम से ही है। जिसका भुगतान शासन रुपए 12500 करता है, परंतु ठेकेदार उन्हें मात्र रुपए 8000 का ही भुगतान करता है, जब ठेकेदार से बात की गई तो मालूम पड़ा और उसका कहना था कि रुपए 50 लाख खर्च करके ठेका लिया है सबको बांटा है, पीडी, एपीडी, ईएनसी ठेका कोई मुफ्त में नहीं मिला है। अब ज्वलंत प्रश्न यह है कि एक सिविल इंजिनियर स्तर का कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से भी व कुशल श्रमिक जिसका वेतन शास. दरों पर रुपए 300 प्रतिदिन के हिसाब से रु. 900 से भी कम वेतन प्राप्त करेगा, दूसरी ओर वह ठेका श्रमिक इंजिनियर हर प्रकार के निर्माण कार्य देखेगा, नाप पुस्तिका भरेगा, उसकी गुणवत्त, सामग्री का स्तर व उपयंत्री से लेकर सहा. यंत्री के सारे कार्यों को संपन्न करेगा। सारी कानूनी खानापूर्तिया करेगा।

उसकी नाप पुस्तिका से लेकर बिलों पर भी भुगतान होगा। स्वाभाविक है ठेका इंजिनियर श्रमिक महीने दो महीने कहानी समझेगा। बाद में काहे की गुणवत्ता, काहे का नाप, वो भी ठेकेदार से पैसे लेकर आंख भींचकर हस्ताक्षर कर बिल पास करवाएगा। ज्यादा गड़बड़ और भ्रष्टाचार पकड़ में आने पर आसानी से नौकरी को लात मारकर चल देगा,तब सरकार या लो.नि.वि. किसको जिम्मेदार ठहरायेगा, संभागीय परि. यंत्री भी अकेला क्या कर लेगा और ठेका इंजिनियर श्रमिक भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो खाएगा क्या क्योंकि रुपए 8000 में से रुपए 4000 मकान का किराया रुपए 3000 खाने के, माह में अगर शनिवार-रविवार को भी घर गया तो दो बार में ही रुपए 1000 तो कैसे जीएगा। अब सरकार कहेगी हम तो रुपए 12500 भुगतान कर रहे हैं। यही हाल विद्युत कं. का इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जहां पर भी सरकार व जनता की साझेदारी में बसे चल रही है। जहां ठेकेदार श्रमिकों, चालकों, परिचालकों व अन्य कर्मचारियों को 8 से 12 घंटे की सेवाएं के बदले मात्र रु. 5 से 7 हजार भुगतान दे रहा है, बाकी सारा पैसा जो रुपए 10 से 12 हजार प्रतिमाह होता है, डकार जाता है, अर्थात सरकार स्वयं ही शोषण करवाकर युवा व बेरोजगारों को किस तरह लूट रही है। ठेकेदार भी सत्ताधीश नेताओं, अधिकारियों का ही सगा संबंधी होता है। श्रम विभाग जो पहले से ही नकारा निकम्मा था श्रम कानूनों की समाप्ति ने बेशक उनकी कमाई समाप्त कर दी हो। परंतु केवल राज्यों के वरन केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और उसके कर्मचारियों को और निठल्ला बना दिया जाएगा। वैसे यथार्थ यह भी है कि मुखेरा जनपार्टी की सरकारे देशी-विदेशी पूंजीपतियों, उद्योगपतियों से नियमित मोटा चंदा डकारने के लिए उनके हक में कानूनों को बदलकर श्रमिकों को जानवरों से ज्यादा बदत्तर बनाने के लिए दृढ संकल्पित हैं।

कॉल ड्रापिंग उपभोक्ता को लूटने का नियोजित षड्यंत्र

(पृष्ठ 1 का शेष)

यथार्थ यह है कि नियामक आयोग अपने आय के योग ऐसी शिकायतें सुनकर बिगाड़ना नहीं चाहता, इसके साथ ब्रितानी कं. वोडाफोन ने तो भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ जिस व्यापार सहमति समझोते पर हस्ताक्षर किए उसमें स्पष्ट कहा गया कि उपभोक्ताओं से लूट, वसूली की कोई शिकायत हमारे विरुद्ध नहीं सुनी जाएगी। इस आधारभूत मुद्दे को समाप्त किया जाना स्पष्टतः लूट की खुली छूट देकर उनकी लूट में हिस्सेदारी ही थी। कॉल ड्रॉपिंग की समस्या के बारे में सरकार का चिल्लाना केवल जनता के साथ लूट के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ही है, काल ड्रापिंग के लिए बाकायदा इन दूरसंचार कं. ने साफ्टवेयर में ऐसी कमांड डाली गई है ताकि तरंगे रह-रहकर गायब होती रहे और उपभोक्ता को लूटा जा सके। हर बार नई काल दरें प्रति मिनट, सेकंड के हिसाब से वसूली जा सके और हजारों करोड़ की कमाई की जा सके, क्योंकि जब वोडाफोन के साथ दूरसंचार मंत्रालय इसी शर्त पर कार्य करने की अनुमति दे सकता है, तो दूसरी कं. भी इस लूट का फायदा लेकर कार्रवाई करने को ही तैयार नहीं तो यहां बैठे श्वानों को जनता से वसूले गए करों से वेतन देने और आयोग की नौटंकी की क्या आवश्यकता है, आखिर काल ड्रापिंग हाल ही में विकराल रूप धारण कर कैसे परेशान करने लगी। ये बात भी सच है कि जितनी संख्या में सिम चल रही है। उसके हिसाब से हर कं. ने 30 से 35 प्रश तक ही टॉवर खड़े किए हैं। स्वाभाविक है ज्यादा भार बढ़ने पर तरंग आवृत्तियां किसी सिम से तरंगे ग्रहण प्रेषण करने के लिए जुड़ेगी, किसी से कटेगी पर यह दूर दराज के क्षेत्रों में हो सकता है। परंतु संप्रेषण टॉवरों के निकट रहने वालों को यह परेशानी पिछले 1-2 वर्षों से ज्यादा सामने आई है, क्योंकि साफ्टवेयर में लूट की व्यवस्था फिर भारत संचार निगम जो स्वयं सारी कं. की सेवा प्रदाता है, यहां बैठे 70 प्रश अधिकारियों के बेटे-बेटियों, बहुओं, बीबीयां, दामाद इन निजी फोन कं. में ही ऊंचे पदों पर सुशोभित इसलिए ही कर रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों के माध्यम से बीएसएनएल के ग्राहकों को परेशानी खड़ी करके उनके उपभोक्ताओं को अपनी सिम लेने पर मजबूर कर सके, लूट के सारे षड़यंत्र गहरे हैं।

पूंजीपतियों, भूमाफियाओं के साथ सरकार भी आसानी से कर सकेगी हस्तांतरण

ई-रजिस्ट्री जालसाजों और भूमाफियाओं की पौ बारह

कोई कहीं से भी बैठकर किसी भी अचल संपत्तियों की हेरा-फेरी कर लेगा, साइट हेक कर भूमाफिया हड़पेंगे अचल संपत्तियां

मप्र शासन में बैठे धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी अपनी कमाई और मोटे हाथ मारने के लिए जनधन और जनहितों की बर्बादी करने से ही घोर आनंद प्राप्त करते हैं। इसमें सफल होते हैं तो भी बहुत खुश और असफल होते हैं। तो भी खुश क्योंकि हींग लगी न फिटकरी परिणाम सामने आ जाते हैं। इससे ये सीखने के साथ फिर अगली चाल पुराने कड़वे अनुभवों को ध्यान में रखकर बचकर सुरक्षित तरीके से धन हड़पना, जनता के आक्रोश से बचने पर ध्यान केन्द्रित होता है,फिर सत्ताधीश नेताओं, मंत्रियों को टुकड़ा डालकर पहले जमावट की जाती है, यदि पहला कदम सफल, तो आधी सफलता इनकी निश्चित हो जाती है, फिर जनता कितना भी चिल्लायें, न्यायालय, उच्च न्यायालय सर्वोत्तम न्यायालय कहीं भी जाएं अधिकांश निर्णय इनके द्वारा की गई बर्बादी को कामयाबी ही सिद्ध करेंगे जैसे बीआरटीएस, आधार कार्ड, जैसे अन्य अनेक उदाहरण है। ज्वलंत यक्ष प्रश्न है ई-रजिस्ट्री का जो अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय में वर्तमान में और भविष्य में जो भूमिकाएं अदा करेगी।

सरकार ने 1 जुलाई से प्रयोग के तौर पर पारंपरिक और ई- पंजीयन दोनों तरह से शुरू की थी, पर अगस्त के बाद पूर्णतः ई पंजीयन को ही मप्र के 51 जिलों में लागू कर दिया, ठीक है, शासन में बैठी आईएएस लॉबी ने जिला स्तर पर उपपंजीयकों द्वारा किए जा रहे भारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उच्च मानसिकता का परिचय दिया हो, दूसरी ओर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, भूमाफियाओं, कॉलोनाइजरों जिनमें बड़े-बड़े आईएएस अधिकारियों से लेकर मंत्री और नेता भी शामिल हैं। उनके भूमि, भवन व अन्य संपत्तियों को हथियाने के लिए सारी जालसाजी पूर्ण संरचना की गई हो ताकि जो कार्य कानूनों से नहीं किया जा सके, उसे आसानी से कम्प्यूटर के माध्यम से कर लिया जाये, बाद में भूमि स्वामी क्या कर लेगा, न्यायालय में वाद लगाएगा, भूमि के दिवानी प्रकरण तो वर्षों चलते हैं। लड़ने दो और सिद्ध करने दो कि ये संपत्ति मेरी है, फिर राजस्व में पटवारी, तहसीलदार, सहायक उप, जिलाधीशों, आयुक्तों तक सब ही जालसाज षड़यंत्रकारी हैं। सबको पैसा चाहिए, वो पूंजीपतियों, सरकार, भूमाफिया, नेताओं के पक्ष में ही खड़े होंगे। कम्प्यूटर और सायबर विशेषज्ञ आसानी से फर्जी तरीकोंसे भूमि, भवन व अन्य अचल संपत्तियों को शासकीय साइट पर संग्रहित दस्तावेजों से अंतरित कर लेंगे, इसके उपरांत जब से भूमाफिया, पूंजीपति, उद्योगपति,

शासकीय विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण संस्थाए आदि स्थल पर ई-पंजीकृत दस्तावेज लेकर पहुंचेंगे और गुंडों, बदमाशों, डकैतों, पुलिस के साथ पहुंचेंगे,तब मालूम चलेगा कि असली भूस्वामी के बिना सहमति, धन के लेन-देन, उचित मुआवजे के बिना ही सारा खेल हो गया, सारे खेल पूर्णतः जालसाजी पूर्ण तरीके से कर लिए गए हैं। असली भूस्वामी, खड़ी फसल, खड़े मकान व अन्य संपत्तियों से बेदखलकर सड़क पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कम्प्यूटर पर हस्ताक्षर बनाना,उसकीर कट कॉपी, पेस्ट करना आसानी से किया जायेगा। फोटो, आधार कार्ड, गवाहों के हस्ताक्षर उनके फोटो सबकुछ कहीं से भी निकालकर चिपका दिए जाएंगे, जिसमें पंजीयन कार्यालय के चपरासियों से लेकर बाबुओं, अधिकारियों, सहा. उप पंजीयकों की भूमिकाएं कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष, कभी उन्हें बिना मालूम पड़े भी खेल होते रहेंगे, सेवा प्रदाताओं की जमा की गई राशियों को न कहां से उपयोग करके ई-रजिस्ट्री करवा लेगायह सेवा प्रदाता वर्तमान की विप्रो को भी समझ नहीं आएगा, फिर विप्रो के पास अधिकारी वर्तमान में कं. में सेवा दे रहे हैं, कल उन्होंने नौकरी छोड़ दी या विप्रो ने उन्हें हटा दिया,तो वो भी ऐसी जालसाजियों को बैठकर कहीं से भी अंजाम देंगे, तब शासन के कर्मचारी अधिकारी क्या कर लेंगे, तब भी भू व संपति स्वामी दर-दर की ठोकरें खाता इस थाने से उस थाने और इस कार्यालय से न्यायालय के चक्कर लगाता घूमता और मरता रहेगा।

फिर एक माह में ही 800 से ज्यादा शिकायतें मुख्यमंत्री ऑनलाइन में कर दी गई है। शासन द्वारा वित्तिय वर्ष के बीच से शुरू की गई ई-रजिस्ट्री को लेकर पहले ही दिन से शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। अब तक जिले में सैकड़ों शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से भोपाल तक पहुंच चुकी हैं। जुलाई से शुरू की गई ई-रजिस्ट्री को गत 1 अगस्त से अनिवार्य करते हुए शासन ने मेन्युअल रजिस्ट्री बंद कर दी है। जब से ई रजिस्ट्री शुरू की गई है रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई हैं। पिछले माह जितने विवाद और विरोध सामने आ रहे थे, पिछले दस दिनों में उससे भी अधिक संख्या में ई रजिस्ट्री को लेकर शिकायतें हो चुकी हैं। वकीलों के विरोध के बाद स्टॉम्प वेंडर और प्रॉपर्टी व्यवसायी भी विरोध में आ गए। इसके बाद अब लोग भी कई तरह की शिकायतें कर रहे हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय के सूत्रों की माने तो जिले से मंगलवार तक लगभग आठ सौ शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। बताया जाता है कि पिछले दस दिनों में प्रतिदिन पच्चीस से लेकर 60-70 तक शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों में दस्तावेज जमा होने के बाद मूल दस्तावेज का नहीं मिलना, सुपर बिल्टअप और बिल्टअप क्षेत्र में गलतियां, विजिट रजिस्ट्री नहीं होना, स्टॉम्प वापस नहीं होना, पुराने निर्माणों पर छूट नहीं देना और ई-रजिस्ट्री के लिए घटिया कागज का उपयोग करने जैसी शिकायतें की जा रही हैं।

पारंपरिक पंजीयनों में दस्तावेजों का भौतिक स्वरूप समाने होता था, मुद्रित स्टाम्प पेपर का कागज उच्च गुणवत्ता का होता था, जिसको सुरक्षित तहर से रखने पर पचासों वर्षों तक सुरक्षित रहता था, पर शासन में बैठे धूर्त और मक्कार आईएएस अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों को उसके मुद्रण वितरण, जवाबदेही में भारी परेशानी उठानी पड़ती थी, उसकी छपाई की सुरक्षा से लेकर मुद्रांक विक्रेताओं तक पहुंचाने धन के लेन-देन, दस्तावेजों को संभालने के बाद भी वर्षों बाद भी उसके असली नकली, किस विक्रेता ने बेचें थे, किसके नाम से बेचे थे, खरीदार असली-नकली की पहचान तक हेरा-फेरी के मामलों में न्यायालयों में भी खड़े होना पड़ता था, फिर पाठकों को याद होगा, इन्हीं रजिस्ट्रियों में लगने वाले मुद्रांकों का घोटाला के लगभग रु. 2 लाख करोड़ का था, और 1980 से ही शुरू हो चुका था, पर जब ज्यादा मात्रा में होने लगा तब जाकर सन् 2000 में धरपकड़ शुरू हुई और जब...

(शेष पृष्ठ 10 पर)

लूटतांत्रिक सरकारें कर रही बेरोजगारी का घोर शोषण

दलालों के ठेकों पर सरकारी विभागों में कर्मचारी, इंजिनियर्स आदि

लो.नि.वि., शिक्षा, जिला पंचायतों, स्वास्थ्य व अन्य सभी विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों, इंजिनियरों, डॉक्टरों आदि की भर्तियों के स्थान पर ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जा रहा है, एक तिहाई वेतन डकारता है ठेकेदार

भारत में भाजपा की सरकार व राज्यों में सरकारें में क्या आई, पूंजीपतियों दलालों की उचट के लग गई। 60 वर्ष की आजादी के बाद बड़ी मुश्किल, जालसाजियों से भाजपा बनाम मुखेरा जनपार्टी के हाथ में सत्ता आते ही चारों तरफ न केवल जनता वरन् सार्वजनिक संपत्तियों, उपक्रमों, सड़कों, बिजली मंडलों, खदानों, रेलवे, संचार, शास. चिकित्सालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि तक देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. को गिरवी करने, नीलाम करने और बेंच कर पैसा जुटाने पर तुल गए, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए श्रम कानूनों को समाप्त कर नए कानून जिसमें न केवल न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घंटों तक के प्रावधान समाप्त कर श्रमिकों के चहुंदिश शोषण के रास्ते खोल दिए, कार्य का स्थायित्व समाप्त कर दिया। जब तक जवान

और स्वस्थ हो मजदूरी करो, जो मजदूरी मालिक देना चाहे उस पर चाहे मजदूर व उसका परिवार को शिक्षा, चिकित्सा, निवास तो दूर दो वक्त की रोटी मिले न मिले, कल का भूखा आज मरे, 10 से 12-14 घंटे कार्य करें, खतरनाक परिस्थितियों, रसायनों, धूल, धूएं, नमी, शीत, उच्च तापमान में कार्य करें और बीमार पड़े तो कोई चिकित्सा क्षतिपूर्ति नहीं, सीधा पिछाड़ू लात मारकर बाहर करो और नए श्रमिक रूपी जानवर को भर्ती करों। कारखाना अधि. 1948, न्यूनतम मजदूरी अधि. जैसे 54 श्रम कानूनों में उद्योग, फैक्ट्री, खदान, निर्माण, रखरखाव आदि सभी कार्यों में फैक्ट्री मालिक संचालक प्रबंधक की कहीं कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं। श्रमिकों से काम लेकर बिना वेतन दिए भी भगाया जा सकता है। मरने दुर्घटनाग्रस्त होने, बीमार होने पर उल्टा ही फैक्ट्री मालिक अपने नुकसान की भरपाई व अन्य कारणों से, उसकी पिटाई करने, पुलिस में एफआईआर करवाकर उसे अंदर तक करवा सकने की व्यवस्था भी की जा रही है।

अब न केवल 90 प्रश फैक्ट्रीया, उद्योगों से लेकर सरकारी कार्यालयों विद्युत कं., मप्र लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, जल संसाधन, जिला जनपद पंचायतों, (शेष पृष्ठ 11 पर)

अब सीबीआई हो गई सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन

व्यापमं घोटाले की जांच में सीबीआई से ज्यादा उम्मीद बेकार

सभी जांच एजेंसियां सत्ताधीशों की रखैल, फिर सभी जांच अधिकारी पुलिस विभाग

राष्ट्र में एक प्राचीन कहावत है कि जिसकी लाठी भैंस वही चराएगा। वर्तमान संदर्भ में यह कहावत ऐसे सीबीआई पर लागू होती है कि जब केन्द्र में कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन था, अब जब केन्द्र में भाजपा गठबंधन की सरकार है, तो अब ये सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन बन गया है। अब सीबीआई केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरह धीरे-धीरे चलो, भाजपाई सत्ताधीश मुख्यमंत्री, शिव चौहान उनके मंत्रालय में बैठे महाधूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के प्रिय पात्रों को बचाने उनके विरुद्ध प्रकरण न बनाने, बनाना जरूरी भी हो तो कमजोर प्रकरण बनाने की तैयारी करेगा, दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देने के बाद भी 4 माह में कौन सी बड़ी भारी उपलब्धि है। सीबीआई के हाथों में 4 महीने में केवल एसटीआई व अन्य, राज्य की जांच संस्थाओं से दस्तावेज लेने और समझने में ही गुजर चुके है, फिर सीबीआई, एसटीएफ, एसटीआई, एनआईए अपराधा शाखा अन्य सभी में बैठे तो वहीं मूल पुलिस विभाग के

भारी भ्रष्ट और जालसाजों की फौज, फिर पुलिस सिपाही से लेकर आईजी, डीजी, तक सब पैसे के मुखेरों का गिरोह, अपराधियों को बचाना और फरियादी को फंसाना, झूठी एफआईआर लिखना, न्यायालयों में झूठे दस्तावेज लगाना, झूठी गवाहीयां देना, गवाह पेश करना, नई-नई कहानियां बनाना, सब उनके बाए हाथ का खेल होता है, जिसके विरोध में हर दिन देश और प्रदेश के सत्र एवं जिलों न्यायालयों से लेकर, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणीयां और निर्णयों से समझा जा सकता है।देश और प्रदेश की हजारों कोचिंग संस्थान यथार्थ में इस व्यापमं घोटालों, भर्तीयों और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। इन पर जब-जब आंच आई आसानी से इन हरामखोर, जालसाज, लूटेरों ने पैसा लुटाकर अपने आपको बचा लिया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के बहाने दलालों के माध्यम से परीक्षा पास करवाने और चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश तक लेन-देन कर सारी व्यवस्थाएं करवाते थे। डीमेट जिसमें अकेले अरविंदों में हर प्रवेश में रुपए 50 लाख तक वसूले गए, इस प्रकार विद्यार्थियों के माता-पिताओं से अरबों रुपए की वसूली की गई। (शेष पृष्ठ 10 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9425125569